Haryana Vidhan Sabha

Debates

16th February, 1971 (Evening sitting)

Vol. I – No. 9

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 16th February, 1971 (Evening sitting)

	Page
Motion under Rule 15	(9)1
Motion under Rule 16	(9)1
Bill(s)-	
The Haryana Appropriation (No.2)-1971	(9)2
The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment)-1971	(9)50
The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment)-1971	(9)51
The Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment)-1971	(9)66
The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners	(9)69

(Haryana Amendment and Validation)-1971	
The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment-1971	(9)70
The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment-1971	(9)75
The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment)-1971	(9)87
The Haryana Aided Schools (Security of Service)-1971	(9)99
Official Resolution re:-	
Adoption of Estate Duty (Amendment) Act, 1968 and amendments made therein by certain other Acts retrospectively so far as they relate to estate duty in respect of agricultural lands in Haryana State	(9)106
Discussion on the Annual Report of the Haryana Public Service Commission for the year 1969-70	(9)111
Discussion on the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71	(9)125
Ruling by the Speaker regarding the adjournment of the House when there is no quorum	(9)137
Resumption of discussion on the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71	(9)138-140

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, the 16th February, 1971 (Evening sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh, at 2.00 PM of the Clock, Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

MOTION UNDER RULE 15

Chief Minister (Shri Bansi Lal): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

The motion was carried.

MOTION UNDER RULE 16

Chief Minister (Shri Bansi Lal): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon. Members, I have a suggestion to make. We have a long agenda, as you see, and we have had hundreds of speeches during the last several days. Most of the Hon. Members have participated in the discussion and have brought out the difficulties of their constituencies and so on. Now we have the Haryana Appropriation (No. 2) Bill as item No. 1 the major item. There are eight other Bills on the agendas and then there is an official resolution which should not take more than a few minutes. Again there are two other major subjects i.e. Haryana Public Service Commission's Report and the Annual Financial Statement of the Haryana Electricity Board, for discussion.

So, if you like, we can say that we give two hours to the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, two hours for eight bills, and 1½ hours for comments on other items and we can adjourn at the right time.

Voices: Yes, Sir.

वित्तमंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): मेरा ख्याल है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर बहल करने के लिए तो आप एक घन्टा ही रखें क्योंकि इस पर पहले काफी बहस हो चुकी है।

Mr. Speaker: If that is so, I am quite happy. I think this is alright.....

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, जैसे आपने पहले सुझाव दिया था एप्रोप्रिएशन बिल के लिए दो घंटे तो जरूर रखने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मुझे इस में क्या एतराज है। मैंने तो आप की सहूलियत के लिए कहा है क्योंकि इस पर मैंबर साहिबान पहले काफी बोल चुके हैं इसलिए अब कम टाईम रख लिया जाए।

So, we will have two hours for Appropriation Bill, two hours for the other eight bills, and then whether time you require for the remainder (last) two items viz., Punjab Service Commission's Report and the Annual Financial Statement of the Electricity Board.

So, on the Appropriation Bill I shall apply quillotine at 4.00 PM and the Hon. Members may now like to start discussion thereon.

BILLS

THE HARYANA APPROPRIATION (NO.2) BILL, 1971

Finance Minister (Shrimati Om Parbha Jain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1971.

Shrimati Om Parbha Jain: Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at one.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at one.

(श्री सत्य नारायण सिंगोल बोलने के लिए खडे हुए)

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, वह तो पहले भी बोल चुके थे। जो मैंबर पहले गवर्नर साहब के एड्रैस पर जनरल डिस्कशन पर और डिमाडंज पर बोल चुका हो उसको तो टाईम मिलनी ही नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्षः क्योंकि उनकी तरफ से और कोई बोलने वाला ही नहीं है इसलिए उनको टाईम दिया गया है।

सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): स्पीकर साहब, आज हरियाणा की विधानसभा के अन्दर एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही है। यह ठीक है कि हमारी मैजोरिटी नहीं है और अपोजीशन के मैंबर बहुत से यहां पर हाजिर भी नहीं है।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने बजट स्पीच पर बोलने हुए वक्त भी कहा था और अब भी कहता हूं कि मेरा खदशा था वह पूरा हुआ है वह अब भी कायम है और वह इनकी बजट स्पीच के बाद मजबूत हुआ है। स्टेट के उपर इतना कर्जे का बोझ डाला जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं और यह भी पता नहीं कि यह कब तक चलेगा लेकिन श्रीमति ओमप्रभा जी ने उठ कर यह बात कह दी कि कर्जा उसी को मिलता है जिसकी साख चलती आ रही हो दूसरों के साथ। अगर आने घर में कोई रिश्तेदार कुछ कर्ज लेने आ जाये तो हम यह समझ कर देते हैं कि चलो बटटे खाते जा रहा है कुछ दे दो चार दिन रोटी खा ले। यही हाल इनका है। (विघ्न) यह तो इतना कर्ज हमारे उपर चढाया जा रहा है यह हरियाणा के लिए ठीक नहीं क्योंकि यह बटटे खाते का पैसा नहीं है। इसकी बजाये तो यह किया जाए कि फजूल के खर्चो में कमी की जाये और इकोनोमी की जायें। इसके अलावा यह कहते है कि इन्होंने हरियाणा को इलैक्ट्रीफाई कर दिया है। चलो हम भी मानते है कि कर दिया लेकिन मैंने यह बात पहले भी कही थी कि इनके बोर्ड ने इतना करोडों रूपए का मैटिरियल खरीद कर रखा है कि मैं समझता हूं कि आयदा बीस साल तक और खरीदने की जरूरत नहीं पडेगी। खरीद भी लेते कोई बात न होती लेकिन वह माल भी डिफैक्टिव खरीदा गया है। उसके अन्दर अगर इन्कवायरी कराई जाये तो पता लगेगा कि कितनी कुरप्शन उस खरीद मे की गई है। इसके अलावा इनती रकम पर फजूल का ब्याज देना पडेगा। इनको चाहिए था कि जितने माल की जरूरत थी उतना ही

खदीदते। इन्होंने बेशुमार पोल खरीद लिये तारें खरीद लीं लेकिन इनके पास कुनैक्शनज देने के लिए मीटर नहीं है। यह जींद ही में नहीं होगा सब जगह ही ऐसा हाल होगा। इसकी वजह यह है कि बैलैंसड तरीके से माल नहीं खरीदा जाता और जरूरत के मुताबिक नहीं खरीदा जाता। अगर पोल खरीदने लगे तो पोल ही खरीद लिए अगर तारें खरीदने लगे तो तारे ही तारे खरीद लीं और अपने प्यारों को खटा दिया.... शोर..... चलो मैं अब ज्यादा नहीं कहता इन्होंने एक बात प्रोफैशनल टैक्स खत्म करने के बारे कही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह यह कहते है कि उसी तरह नहीं होगा। कोई एक्ट नोटीफिकेशन से अमैंड नहीं हो सकता है। इनको तो उसे बाकायदा बिल लाकर अमैंड करना पडेगा या फिर यह आरडीनैंस के जरिए अमैंड करेंगे अगर आरडीनैंस करना है तो इनकी मरजी है लेकिन अगर यह आठ बिल लाए जा सकते है तो एक बिल और आ जाता तो कोई फर्क नहीं पडना था। अगर क्लाज डीलीट करानी थी तो इस तरह करा देते यहां हाउस मे अमैंडमैंट लाकर ताकि जो लोग गांव में सर्विस करते हैं और जिन पर यह बरडन पडता है उनको रिलीफ मिल जाता लेकिन यह मालूम होता है कि यह इसे पुलिटीकल गेम शायद बनाना चाहते हैं। और इलैक्शन्ज में इसे नाजायज तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर की बडी तारीफ की जाती है। हिन्दुस्तान के जो शुरू के प्राइम मिनिस्टर थे वह काफी चीजों में डैमाक्रेट थे और वह अच्छी अच्छी कन्वैनशनज कायम करना चाहते थे। उन्होंने चुनाव के दिनों में कहा था कि कोई वजीर अपनी सरकारी

मोटर चुनाव के लिये इस्तेमाल नहीं करेगा और इस कनवेनशन पर कामयाबी के साथ अमल होता रहा अगर किसी के चुनाव के सिलसिले में अम्बाला जाना होता था तो अम्बाला से पांच छह मील पीछे गाडी छोड कर जाता था। लेकिन आज खुले आम सरकारी मोटरों का चुनाव के लिये इस्तेमाल हो रहा है। जितने वजीर हैं वह सब सरकारी गाडियों में बैठकर चुनाव के सिलसिले में दौरा करने जाते है। इस तरह यह देश की भलाई नहीं कर रहे है।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः गलत बात कर रहे है।

सत्य नारायण सिंगोलः आपने तो अपना घर भी गाडी में ही बसा रखा है (शोर) मैं यह सही बात कह रहा हूं और अगर कोई इनकार करता है तो हम लोगों से कहेंगे कि जिस वजीर की सरकारी गाडी में देखो उसे पकड लो। अगर लोगों ने इनको पकडा तो यह उन पर केसिज बनाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चुनाव के लिये सरकारी गाडियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद करो। मै आपको बताना चाहता हूं कि जींद में हिन्दुस्तान के फायनैंस मिनिस्टर आये और उनके लिए एक हफता तक पब्लिक रीलेशन डिपार्टमैंट की गाडियां गांव गांव में दौडती रही प्रचार किया गया कि चव्हाण साहब आ रहे है उनके जलसा में आकर विचार सुनों लेकिन यह कहते है कि सरकारी मशीनरी और गाडियां इस्तेमाल नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई अच्छी कनवैक्शन कायम नहीं हो रही है बल्कि जो पहले अच्छी कनवैक्शन कायम हुई थी उसे ऐसा करके खत्म किया जा रहा है।

इसी तरह एक बात और हो रही है। आप देखें नामीनेशन्ज का सरकार ने चक्कर लगाया हुआ है और हर जगह नामीनेशन हो रही है। कोआप्रेटिव सोसायटीज और छह सात कारपोरेशनज के इन्होंने नाम बताये थे उनमें इस विधान सभा के मैम्बरों की नामीनेशन। यह चीजें पोलीटिकल कुरप्शन को बढावा देती है और जब तक यह चीज चलेगी स्टेट का भला होने वाला नहीं है। इस डैमोक्रेसी को बचाने के लिए जरूरी है किस्म की चीजें न की जायें। रोडज के बारे में कहा गया है कि रोडज बीच में रूकेगी नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह देहात में जाते हैं और एलान करते हैं कि फलां फलां रोड बना देंगे और कहते हैं कि जो अनांउस की थीं वह बना दी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अनाउंसमैंट करने में भी चालाकी से काम लेते हैं चीफ मिनिस्टर साहब सफीदों गयो और वहां यह फायनैंस मिनिस्ट साहिबा भी मौजूद थी। चौधरी रणबीर सिंह एमपी ने कहा कि घसराना से अंटा रोड बननी चाहिए और इन्होंने एलान कर दिया कि घसराना से अंटा रोड मंजूर कर दी लेकिन घसराना नाम का कोई गांव नहीं है बाद में कह देंगे कि रोड कैसे बनाये इस नाम का कोई गांव नहीं इसलिए कैसे कहां से सडक बना दें। इन्होंने कहा कि सहब रोडज को आपस में मिला देंगे लेकिन यह न हो कि सिर्फ गांव की एप्रोच रोडज बना दें और मैन रोडज छोड दे। विपेज एप्रोज रोडज भी बननी चाहिए लेकिन जो मेन रोडज है जिन्होंने थाना को थाना से मिलाना है तहसील को तहसील से मिलाना है और जिला को जिला से मिलाना है वह भी बननी चाहिये। यह न

हो कि बीच का पोरशन छोड दें और बाकी बना दें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है उस तरह से सवाल साल के अन्दर सारी सडके बन सकती है जो सडकें इन्होंने अनाउंस की है जो प्लान के अन्दर है या जिनको ये समझते है कि बननी चाहिए वे बन सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कहते है कि हम रीजनल इम्बैलेंसिज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप बजट को देखें तो मालूम होगा कि इसमें रीजनल इम्बैलेंसिज बहुत ज्यादा किएट किए जा रहे है जिस इलाके में पहले ही बहुत तरक्की हो चुकी है वहां और तरक्की की जा रही है और जो इलाका बैकवर्ड है और बहुत पहले से बैडवर्ड रखा जाता रहा है उसको और ज्यादा बैकवर्ड रखा जा रहा है। जब आप डिवैल्पमैंट के काम करते है तो वक काम किसी आधार पर होने चाहिएं। किसी एक चीज को आधार बना लें हमने जिलावार चलना है डिविजनवार चलना है या तहसीलवार चलना है। जो आधार बनाएंगे उनके मुताबिक काम करें। जब तक एक बैकवर्ड तहसील दूसरी प्रौसपरैस तहसील के बराबर न आ जाएं तब तक उसकी तरफ से ध्यान न हटाएं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जिन इलाको में पहले ही ज्यादा तरक्की हो चुकी है उनकी तरफ कम तवज्जों दें और स्पीड स्लो करके मेन्टेन रखें लेकिन जहां बैकवर्डनैस है वहा काम करने की स्पीड ज्यादा करे तभी हरियाणा तरक्की कर सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने बताया है कि जींद डिस्ट्रिक्ट में नहर निकाल कर दे रहे हैं। बडी तरक्की कर दी है बडा पैसा खर्च कर रहे है इस नहर पर एक करोड रूपया खर्च करेंगे। मैं मानता हूं कि एक करोड रूपखा खर्च कर देंगे और नहर भी निकाल देंगे लेकिन यह बतायें कि इस नहर का फायदा किसको होगा? यह पैसा जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं खर्च हो रहा, यह तो रोहतक जिला के लिए हो रहा है। जींद जिले में से तो नहर गुजरती है जिसकी रिपेयर करनी पडती है रीमाडलिंग करनी पडती है तब रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पानी जाएगा। यूं कहिए कि जींद में नहर के लिये जो रूपया खर्च हो रहा है वह रोहतक डिस्ट्रिस्ट के लिए हो रहा है। जूई नहर के बारे में इन्होंने कहा कि जींद को बडा फायदा होगा। इसके बारे में भी ये कंट्राडिक्शन कर गये है। मैने फिगर्ज मांगी थी कि पहले कितने प्रसैंट पानी जमुना कैनाल में से जींद, रोहतक डिस्ट्रिस्टस में लगता था और अब कितने परसैंट लगेगा। लेकिन इन्होंने फिग्गर्ज नही दी। यह कोई आधार नहीं है कि बिना फैक्टस से कह दिया कि जींद में पानी दिया जाएगा। अगर तुम्हारी बात ठीक है तो यह बतायें कि इन डिस्ट्रिस्टस में पहले कितना पानी लगता था और अब नई नहर बनने से कितने परसैंट लगा सकेगा। यह बात मैं पहले भी कहता आया हूं और अब भी कहूंगा कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि हमारे सामने से पानी से भरी हुई नहर गजरें और रजबाहे खाली पडे हो। मैं नहर के किनारे ही रहता हूं लेकिन मैंने ऐसा कभी अपनी जिन्दगी में नहीं देखा कि नहर भरी हो और रजबाहे

खाली हों। जींद में तमाम डिस्ट्रिब्यूटरीज एक, दो, तीन, चार सभी खाली रहती है। और यही वजह है कि हम हमेशा कहते रहते है कि हमें पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिला। यह मालूम नहीं कितना पानी मिलना चाहिए क्योंकि हम टैक्निकल हैंड नहीं है। सिर्फ एक ही चीज महसूस करते हैं कि हमारे रजबाहे खाली पडे होते हैं मैं सरकारी से अर्ज करूंगा कि अगर नहर में पानी हो तो रजवाहों में पानी जरूर आना चाहिए ताकि जींद के गरीब किसानों को फायदा पहुंच सके।

उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर आगमेंटेशन टयूबवैलज का जिकर किया गया। नहर का पानी न मिलने की वजह से किसानों ने समझा कि शायद पानी न ही मिले, अपने टयूबवैल लगाने शुरू कर दिए क्योंकि यह अमरे–मजबूरी थी। जींद, रोहतक और करनाल में जो टयूबवैल्ज लगे है। यह इस बात का सबूत है कि लोगों को नहर का पानी शेयर के मुताबिक जरूरत के मुताबिक नही मिलता था। सरकार यहां फिग्गर्ज देती है कि हमने इतने एकड जमीन को पानी दिया, हरियाणा में इतने परसैंट जमीन को पानी लगता है यह गलत है। अगर छह महीने में एक बार जमीन को पानी आ गया तो ये हिसाब लगाते है कि इरीगेशन हो गया और इसी हिसाब से ये फिग्गर्ज दे देते है कि इतने एकड जमीनक को पानी लग गया। तरीका यह है कि एक जमीन को पहले शुरू से पानी देते हैं खाद डालते हैं और फिर बीज बोते हैं। अगर खाद डालने के बाद हल चलाने वाला खेत को पानी न दे तो

उसको नुकसान होता है। इन्होंने यह भी कहा कि खाद इस्तेमाल नहीं करते। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनके पास सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिख कर आया कि हरियाणा के लिए जितना खाद का कोटा मुकर्रर था वह लिया नहीं गया। हरियाणा के लिए जितना कोटा सैन्ट्रल गवर्नमेंट मुकर्रर करती है अगर उसी हिसाब से पानी सप्लाई होता तो हम खाद का कोटा पूरा उठाते। जमींदार खाद क्यों नही लेगा? इसलिए नहीं लेता कि जितनी खादें है जिनको आम जमींदार सरकारी खाद कहता है जब तक सरकार खाद के साथ साथ जरूरत के मुताबिक पानी मुहैया नहीं करती तब तक खाद लेने का कोई फायदा नहीं है। बिना पानी से खाद बीज को फूंक देती है, खडी फसल को फूंक देती है। अगर पानी पूरा हो तो फसल ठीक रहती है अक्सर देखा है अगर पानी पूरा मिलता। बाज बाज दफा स्पैशिली कोशिश की गई कि जहां खाद की कमी है वहा खाद पूरी जाए लेकिन नहीं मिलती। इन चीजों को कमी होने से किसान को बैचेनी होती है और देश की उन्नति में बाधा पडती है।

उपाध्यक्षाः आप कितना टाईम और लेंगे? 4 बजे गिलोटिन लागू हो जाएगा, आप जल्दी खत्म करें।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः जब आप कहेंगे बैठ जाउंगा।

उपाध्यक्षाः आप एक मिनट और बोल लें।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः आपकी मेहरबानी, मैं अभी बैठ जाता हूं।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, वितमंत्री महोदया ने अपने भाषण में प्राईम मिनिस्टर का जिकर किया, यह सही बात थी लेकिन नीति ही की बात नहीं है। बात तो दरअसल यह है कि अगर हम सारा हिसाब–किताब लगाकर देखे तो पता चलता है कि हम किसी हद तक हिन्दुस्तान की सरकार के पैसे पर निर्भर करते है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सदन के सामने जो आंकडे रखूंगा वे सारे के सारे वितमंत्री महादेया ने ही हमको छाप कर दिए है। इससे पहले कि मैं आंकडों की तरफ जांउ, एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि हमारी सरकार से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब सही हो। अक्सर गलत होते है। अभी दो तीन सवाल इस सदन में किये गये और मैमोरडेंम प्रैस एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए नहीं आया और न ही सरकार को प्राप्त किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। जो प्रस्ताव हरियाणा लघु समाचार पत्र संपादक संघ के पास किया और जिसको जनरल सैक्रेटरी ने श्री स्वरूप किशन के नाम से सरकार को भेजा, वह पत्र में सदन में रखना चाहता हूं। (*पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया) इसी तरह सरकार ने कई बार कहा कि हम छोटे समाचार पत्रों और सप्ताहिक समाचार पत्रों की सहायता कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह उचित बात नहीं है जिन समाचार पत्रों का काम ही

सरकार को सारी सूचना देना है उनके बारे में गलत बातें कही जाए और असलियत को छुपाया जाए यह सही नहीं है। कोई अच्छी बात नहीं है। हमने 1968–69 में जो सूचना सदन में रखी थी उसके मुताबिक साप्ताहिक अखबारों या जो अखबार जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर चलते है उनको साल में 29537 रूपये दिये गये औरै इसके मुकाबले में कुल समाचार पत्रों को जो रूपया दिया गया वह 281505.97 रूपए था। 1969–70 में हरियाणा के पत्रों को 29181.49 रूपये के इश्तिहार दिए गये जबकि इसके मुकाबले में सब अखबारों को 324675.43 रूपये दिए गए। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रदेश के साप्ताहिक आदि पत्रों की बहुत बडी सूची थी उन सबको इश्तिहार नहीं दिए गए। 1968–69 में 29 अखबारों को दिए और 1969–70 में सिर्फ 27 अखबारों को दिए गए।

इसके साथ ही साथ आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि जिन रोजाना निकलने वाले अखबारों को इश्तिहार दिए गए उसमें से हरियाणा में केवल एक छपता है। इसी तरह से जिन वीकलिज को इश्तिहार दिए गए उनकी सख्या 32 है मगर इनमें से भी हरियाणा में छपने वाला एक है। फिर 15 दिन में छपने वाले अखबारों को जो इश्तिहार दिए गए उनकी संख्या 9 है मगर हरियाणा में छपने वाले केवल 3 है। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में छपने वाले अखबारों की आज कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जैसे उन्होंने एलान किया है कि हरियाणा के अखबारों को वे प्राथमिकता देगे उसके मुताबिक ही उनकी नीति

होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद मैं आंकडों की तरफ जाना चाहता हूं।

एक आवाजः चौधरी साहब, आंकडों को छोडो। क्या रखा है इसमें?

चौधरी रणबीर सिंहः मैं खान साहब तो नहीं हूं जो आंकडों को छोडूं। मेरा नाम चौधरी रणबीर सिंह है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया, इक्टठे पंजाब के कर्जे का बंटवारा हमारी हिन्द सरकार ने पूरा नहीं किया है बल्कि प्रोविजनल बंटवारा किया है। 1–11–66 को प्रोविजनल कर्जा हमारी सरकार के जिम्मे 161.76 लाख था और 1–4–71 को वह 190.68 लाख होगा। 1–4–70 को बजट के आंकडों के मुताबिक यह 189.19 लाख था। उपाध्यक्ष महोदया, आप को यह जानकार ताज्जूब होगा कि हमारा काम किस तरह से चलता है पिछले साल 1970–71 के अन्दर जो हमने कर्जे लिए वह 50 करोड 65 लाख रूपये के थे। और जो कर्जा वापिस किया वह 39 करोड 33 लाख रूपये का था। इसका मतलब यह है कि अंगूठा तो हमने लगाया 50 करोड 85 लाख रूपये पर मगर हमें दरअसल मिला 11 करोड। उपाध्यक्ष महोदया, इस साल के आंकडे यह है कि जो हम कर्जा लेने जा रहे हैं जिसका बजट के अन्दर जिक्र है वह 60 करोड 75 लाख का कर्जा होगा। इसमें से 42 करोड 42 लाख के उपर तो हम अंगूठा लगायेंगे। वह हमको मिलेगा नहीं । हमको दरअसल जो

मिलेगा वह 18 करोड के लगभग मिलेगा जबकि पिछले साल 11. 52 करोड मिला था। यही रफतार रही तो कभी ऐसी हालत आ जायेगी कि हम अंगूठा तो लगायेंगे मगर पैसा हमको मिलेगा नही। यह बडी गम्भीरता से सोचने की बात है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि कर्जे के बगैर काम नहीं चल सकता, यह ठीक बात है। वितमंत्री महोदया ने जैसा कहा कहा वह बात सही है। पंजाब एक बहुत छोटी सी स्टेट थी लेकिन सारे हिन्दुस्तान में काफी डिवैल्पड थी। उसका एक कारण था और वह यह कि हिन्दुस्तान सरकार की सबसे बडी कर्जेदार जो स्टेट थी वह पंजाब थी। पैसे लिए बगैर काम नहीं चल सकता लेकिन बात असल उसमें यह है कि हम जो कर्जा लेते हैं वह कर्जा सही तौर पर इस्तेमाल हो और इसमें पैदा करने की शक्ति बढे। तब तो कर्जे का फायदा है। अगर कर्जे को पी जायें या नवाबों की तरह खर्च करें तो वह फायदेमंद नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदया, बिजली के बारे में यहां बडी बातें कही गई। शाम को शायद इस बारे में बहस करने का मौका भी मिले। आपको जानकर ताज्जूब होगा कि बिजली के लिये दो साल के अन्दर, जिसके बारे में बजट के अन्दर बडा जिकर किया गया है। हमारी सरकार ने कितना रूपया दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, हम जो पैसा कर्ज के रूप में लगा रहे है स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के उपर उसका जो ब्याज हमको साल भर में आना चाहिए वह बैठता है 1969–70 में चार करोड तेहत्तर लाख बाईस हजार और

1970–71 में पांच करोड चार लाख बहतर हजार रूपये तथा जो हमारी सरकार ने पैसे दिये वे पांच करोड पंचास हजार रूपये जिसके मायने है कि कोई 70–75 लाख रूपये लिये गये। असल में कोई रूपया लिया दिया नहीं गया क्योंकि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अनुदान लिया मान लिया और सरकार ने ब्याज आया मान लिया। जिस तरह से हमारी सरकार के साथ हुआ उसी तरह से अपने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कर रहे है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी जय सिंह राठी पदासीन हुए) सभापति जी, फिर सवाल है कि पैसा कहां से आया? इसके बारे में अर्ज यह है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में 1969–70 के अन्दर जो पैसा आया वह बीस करोड सत्तर लाख पैंसठ हजार है जिसमें से पांच करोड पंचास लाख जो है वह हमारी सरकार का है।

श्री सभापतिः मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहिबा से कहूंगा कि * * * * व बैठे।

श्रीमति ओमप्रभा जैनः आपने कल भी यह बात कही थी. .....

श्री सभापतिः कल तो मैंने चिट से कह दी थी परन्तु मुझे ऐसे कहना पडा क्योंकि आज भी आप वैसे ही बैठी थी।

श्रीमति ओमप्रभा जैनः इसमें कहने की तो कोई बात थी नहीं क्योंकि बाकी हाउस को तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ चेयर की बात थी।

उद्योग मंत्री (खान अब्दुल गफफार खां): चेयरमैन साहब, थोडी सी तो लिहाज की होती। मुझे समझ नहीं आया कि आपको यह कहने की क्या जरूरत पेश आई?

Mr. Chairman: That is not the decency in the House.

चौधरी रणबीर सिंहः सभापति जी, मैं इसलिए आंकडे रख रहा हूं क्योंकि यहां बिजली का बडे जोरों से प्रचार है। पोल अच्छे लगे या खराब लगे वह बात दूसरी है लेकिन पैसा कहां से आया यह जानने की बात है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस बात में तो मैं भी बहिन ओमप्रभा जी के साथ अपने आप को शामिल करता हूं। बहिन इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री ने हमको नई आर्थिक नीति ही नहीं दी बल्कि काम चलाने के लिए साधन भी दिये हैं वही हमको पैसा दे रही है। हमारी सरकार भी चाहे पंजाब की सरकार थी या चाहे हरियाणा की सरकार है। इस मामले में बहादुर है क्योंकि इसने अगूंठा लगा कर हौसलें से कर्जा उठाया। (विघ्न) दूसरी विरोधी दलों की सरकार चाहें वह यूपी की सरकार हो या कोई और सरकार हो अगर फायदा न उठाये तो इसमें प्रधानमंत्री या सैन्ट्रल गवर्नमैंट का क्या कसूर? अंगूठा लगाने की बहादुरी के लिये तो

हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है क्योंकि इसने हौंसले से कर्जा उठाया है। इसी तरह से बोर्ड के अफसर भी कर्जा हासिल करने के लिए धन्यवाद के मुस्तहिक है। इनकी बहादुरी का इस बात से पता चलता है। जितने भी बिजली के यंत्र लगे हुए है उनकी सिचांई के लिए पैसा रखा जाता है जिसका नाम रिजर्व डैप्रिसिएशन फंड होता है। यह 1969–70 में एक करोड तेतालीस लाख बयालीस हजार था और 1970–71 में दो करोड, त्रेपन लाख बासठ हजार था लेकिन यह सारे का सारा पैसा लगा दिया गया है। मशीनरी घिसने के बाद पैसा कहां के लगा सकेंगे, यह समस्या आगे सामने आएगी मगर हौंसले की बात है। बैंक में पैसा रखने से भी कोई फायदा नहीं। उसका प्रयोग होना चाहिए। (विघ्न) मैं बता रहा हूं कि कैसे हम इस बात के लायक हुए। लाईफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन जो हिन्दुस्तान की सरकार की अदारा है उससे भी हम लोगों ने मदद ली। इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को तथा सैन्ट्रल गवर्नमैंट को बधाई दी है। उन्होंने अढाई करोड रूपये 1969–70 के अन्दर और दो करोड रूपये 1970–71 के अन्दर दिए। इसी तरह से सैंट्रल गवर्नमैंट के जो दूसरे अदारे हैं उनसे भी इन्होंने 1969–70 और 1970–71 में दो करोड नब्बे लाख रूपये लिए। असल बात यह है कि बीस करोड सत्तर लाख में से पांच करोड इक्कासी लाख छोड करके जो ब्याज का आना था और हमने नहीं लिया, बाकी सारा रूपया हिन्दुस्तान सरकार के अदारों से आया। फिर समाजवाद की नीति के तह हमारी केंद्रीय सरकार ने बैंकों को नेशनेलाईज किया। वे बैंक जो कभी किसी

को पैसा नहीं देते थे उनसे हमारे चेयरमैन साहब, बोर्ड के अफसरों ने तालमेल कायम किया और वहां से पैसा लिया। तो एक तरह से, मैं मानता हूं कि हमारी वितमंत्री महोदया ने प्रधानमंत्री का जो जिक्र किया वह सरसरी जिक्र है मगर उसके उपर भी कुछ आपति यहां की गई। माफ करना, सभापति महोदय, वह आपकी तकरीर में ही थी।

श्री सभापतिः अब भी तो मसाला आप दे रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंहः असल बात यह है कि हमको यह मानना चाहिए और हमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट का मश्कूर होना चाहिए कि हमारे प्रदेश को तरक्की करने लायक बनाया।

सभापति महोदय, अब जो बजट में आंकडें छपे हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। कितनी टैक्स के उगराहने से हमारी तरक्की हुई और कितनी अपने दम पर हुई। सन 1967–68 के जो अकाउन्ट है जिनमें कोई अदला–बदली नहीं हो सकती है उनके मुताबिक हरियाणा से इन्कम टैक्स और सैंट्रल एक्साइज टैक्स प्रदेश की कुल टैक्स आय जो 33 करोड और 53 लाख रूपया था जिसमें से 7 करोड और 11 लाख हमें आया। इस तरह सन 1971–72 में 59 करोड और सात लाख रूपया उन टैक्सों का जाएगा लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार से 13 करोड 48 लाख रूपया आएगा। दरअसल जितना पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट से आता है वह 21 से 25 प्रतिशत के बीच में इमदाद के रूप में आता

है। जहां तक हमारा ताल्लुक है उसमें दो चीजें बडी जरूरी है। एक जो यह प्रोफैशनल टैक्स है, इसके बढाने के मैं हक में नहीं हूं लेकिन 1967–68 में 17 लाख रूपया प्रोफैशनल टैक्स आया और 71–72 में भी 17 लाख ही आयेगा। आज जब कि हमारी आबादी बढ गई है सरकारी नौकरी करने वालों का प्रोफैशन भी बढ गया है लेकिन उनका टैक्स उतना ही है। इसी तरह से लैंड रैवेन्यू भी नही रहेगा। लेकिन फिर 1967–68 मे जो लैंड रैवेन्यू आया वह एक करोड 43 लाख रूपये आया अब 1971–72 में एक करोड 53 लाख रूपया जाने की उम्मीद है यह जो 10 लाख रूपये की बढौतरी है यह कोई विशेष बढोतरी नहीं है। हां यह मैं मानता हूं कि सेल्स टैक्स के अन्दर काफी बढोतरी हुई है जैसे कि 1967–68 में नौ करोड और 54 लाख थी। 1971–72 में 18 करोड और 31 लाख दिखाया है। इस प्रकार से आठ करोड और 77 लाख रूपया अधिक आमदन होगी। कहने का मतलब यह है कि सही ढंग से टैक्स को वसूल किया जना चाहिए ताकि हम यह बता सकें कि हमने टैक्स वसूल करने में काफी सतर्कता से काम लिया है।

सभापति महोदय नहरों के विषय में बडी बातें कही जाती है कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं और जैसा कि वितमंत्री महोदया ने भी अपनी बजट स्पीच में कहा है कि पिछली बार हमने 5 या 7 करोड रूपया नहरों पर खर्च किया और इस साल नौ करोड रूपया खर्च करने जा रहे है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सन। चेयरमैन साहब, कोई टाईम बोलने का फिक्सड है या जितना मर्जी आये ले सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंहः सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इरीगेशन के विषय में जिकर कर रहा था। इरीगेशन के लोन का जो हमने ब्याज दिया वह सन 1969–70 में दो करोड 17 लाख रूपया दिया, इसमें मल्टीपरपररिवर वैली प्रोजैक्ट का शामिल नहीं है और इस साल के बजट में जो रखा है वह तीन करोड और 17 लाख रखा है। एक साल के अन्दर एक करोड ब्याज का खर्चा बढा है। इसमें हमें डरना नहीं चाहिए लेकिन आमदनी तो उससे बढनी चाहिए। इस हिसाब अगर हमें जो आदमनी हुई है मल्टीपरपज को छोडकर यानि सिंचाई विभाग से एक करोड और 93 लाख की हुई है सन 1970–71 में लेकिन 1970–71 के बजट में जो रखी है उसमें मुझे पता नहीं क्यों कम दिखाई गई है। इसमें केवल एक करोड और चालीस लाख रूपया रखी है क्या कारण है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम क्यों रखी गई है। स्टाफ का खर्चा बढ गया या कोई और खर्चा बढ गया वह बताया जाना चाहिए था।

श्री सभापतिः टाईम फिक्स नहीं है बनारसी दास जी। अगर समय मिला तो आप को भी टाईम दिया जायेगा। इतना जरूर है कि चार बजे गिलोटीन लागू हो जायेगा।

श्री बनारसी दास गुप्ताः सभापति महोदय, हमारी ओर से बहुत सारे स्पीकरज की आपके पास लिस्ट आई हुई होगी और जब आप सब को ही मौका देना चाहते हैं तो टाईम मुकर्रर होना चाहिए।

श्री सभापतिः यह पहले ही डिसाईड हो चुका है कि चार बजे गिलोटीन लागू होगा सब स्पीकरज को बोलने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है।

चौधरी रणबीर सिंहः महामंत्री जी मेरे विषय में ज्यादा एतराज कर रहे हैं। सभापति महोदय मैं इरीगेशन की आदमनी के विषय में जिकर कर रहा था। भाखडा से जो इरीगेशन की आमदनी है वह सन 1970–71 में एक करोड और 71 लाख रूपए हुई और रिवाइज बजट एस्टीमेटस के हिसाब में 1971–72 में वह आमदनी एक करोड 75 लाख रूपया बतायी है। भाखडा के एरिया में जहां बैटरमेंट लैवी लगी है वह एक करोड 27 लाख रूपया सन 1970–71 में थी और अगले साल के रिवाइज एस्टीमेटस को देखकर पता चलता है कि एक करोड और 28 लाख रूपया है।

वैस्टर्ज जमुना कैनाल बैटरमैंट लेवी की आमदनी 35 लाख और 87 हजार रूपया दिखाई गई है और सन 1971–72 के अन्दर 36 लाख 88 हजार है कोई विशेष अन्तर नहीं है।

सभापति महोदय मैं ज्यादा आंकडों के सदन के उपर बोझा नहीं बढाना चाहता है और महामंत्री जी भी हमारे जल्दी में

है कि मैं जल्दी से अपनी स्पीच को खत्म करूं लेकिन यह जो बजट के आंकडे मैंने बताये है उनसे पता चलता है कि हमारी सरकार जो काम करती है उनका बोझ किसी महकमें पर कितना बडा है यह देखने की बात है। हमें यह देखना है कि हमें नेट आमदन कितनी होती है।

आपको पता ही है कि हमारे यहां तीन–चार दरियाओं का पानी एक दो साल के अन्दर पहुंचेगा और एक दो दरिया का पानी अब आता है एक जमुना का और दूसरे सतलुज का भाखडा से ब्यास और कुछ रावी का पानी भी आयेगा। सतलुज पर तो हमारा डैम बना हुआ है और जमुना पर भी डैम बनाने की योजना थी। तो जमुना पर किसाउ डैम बनाने का फैसला आज से छह वर्ष पहले हुआ था लेकिन इस बजट में उसका कहीं भी जिकर नहीं है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट के मंत्री डाक्टर केएल राव साहब ने विश्वास दिलाया था कि जल्दी इसका फैसला करेंगे। वैसे तो हमारी सरकार बडी तेज है लेकिन जैसा कि बहिन चन्द्रावती जी ने कहा कि दो चीजों में है एक तो किसी के साथ बिगाड करना हो उसमें तेज है। (विघ्न)

सभापति महोदय मुख्यमंत्री कुछ भी कहे मैं उसके बारे में महसूस नहीं करता क्योंकि जब मैं काग्रेस में आया था तब मुख्यमंत्री जो आज हैं उनको पता भी नहीं था कि मुझको कांग्रेस में लाने वाला वह नहीं है? जब मैं कांग्रेस का महामंत्री बना था तब तो वे कांग्रेस में आये थे। इसके अलावा इस सदन के अन्दर

देखा है कि हम जब शुरू में आये थे तो 48 मेम्बर बन कर आये थे। 48 मेम्बरों में से 17 इनके नाराज होकर चले गये थे। एक तिहाई मेम्बरों के दल बदल करने के पीछे उनका यानि मुख्यमंत्री जी का सीधे या टेढे तौर पर हाथ है। जो कुछ हुआ उसके विषय में तो कुछ नहीं कहता लेकिन मुख्यमंत्री जी या अन्य कोई मंत्री हमारे बीच में रूकावट डालना चाहेंगे तो हम उसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

चौधरी अब्दुल रजाक खांः चेयरमैन साहब, साले रवां के बजट पर बहस हो रही है। सरकार ने कई एक अच्छे काम करने के प्रोग्राम बनाए है। सरकार की सबसे ज्यादा तवज्जों जरायत पर है। कारखानों और जरायत के बारे में छोटे छोटे से मेरे सुझाव है। एक तो यह है कि जो नहरों को कच्चा बनाने का पुराना तरीका है इसको सरकार बदले इसमें तमाम सूबे में शोरे की ज्यादती हो गई है इसलिये सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि पुखता नहरें बनाने की तरफ ध्यान दें। हमारे इलाके में नहरें नहीं है। सन 1968 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने यकीन दिलाया था कि हमारे इलाके में जो काले पहाड है जो कि 40 मील में फैले हुए हैं। जिनके दामन में पानी बहुत ज्यादा है उसमें सरकार टयूबवैल लगायेगी और जमीन सैराव करेगी लेकिन आज दो साल हो गए सरकार ने इस स्कीम को अमली शक्ल नहीं दी और उस इलाके में सूखा है। सरकार से दरख्वास्त है िकइस स्कीम को अमली शक्ल

दी जानी चाहिये। इससे जहां लोगों की खुशहाली होगी वहां मुल्क भी खुशहाल होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी मुश्किलात किसी हद तक दूर होगी। सडकों का जहां तक ताल्लुक है सडकों को बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। सरकार की तरफ से यह एशोरेन्स दी गई है कि सन 1973 तक सडकें सूबे के हर गांव तक पहुंचा दी जायेगी। यह बडी अच्छी बात है हम इसके लिए गवर्नमैंट के मशकूर है। हमारे यहां दो तीन सडके बहुत जरूरी थी जिनके न बनने की वजह से कई कई मील तक पुखता रास्ता नहीं है इन सडकों को बनाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है लेनिक अब इस तेजी के दौर में भी वे पीछे रह गई। इनमें एक सडक है पुराना से बेवां, दूसरी है पिगवा से मलहां और तीसरी है मलहाका से बुडबुड से बटी हो। इन सडकों की तामीर हो जाने के बाद कम से कम 30 गांव ऐसे है जो सडकों से जुड जायेंगे। इस वक्त वे रेतीले और कच्चे रास्तों में घिरे हुए है। वहा के लोग मण्डियों में अपना माल लाकर नहीं बेच सकते जिसकी वजह से उनको दो तीन रूपये का कम भाव मिलता है। सडकों के बारे में एक और भी छोटी सी तजबीज है लिंक रोडज को जो घुमा दिया जाता है या कब दी जाती है उसके लिएक महकमा 1000 फूट लेता है। इससे छोटे छोटे किसानों को तकलीफ होती है और कई एकड जमीन घुमां के लिए चली जाती है मैं यह अर्ज करूंगा कि यह घुमां कर दिया जाए और इसके लिए पांच सौ फुट काफी है। जो स्टेट हाइवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए एक हजार फुट ही रखी जाये। जो लिंक रोडज और एप्रोच रोडज

है इन छोटी छोटी सडकों पर तो छोटी ट्रांसपोर्ट चलती है। (विघ्न) तालीम का जहां तक ताल्लुक है सैंकडों मिडल स्कूल अपग्रेड करके हाई स्कूल किए गये और सैंकडों प्राइमरी स्कूलों से मिडल स्कूल अपग्रेड किए गए और सरकार की तरफ से यह एशोरन्स दी गई थी कि बैडवर्ड एरिया की तरफ काफी तवज्जो दी जाएगी। कई सालों से हमारा इलका तालीम के लिए काफी पीछे है और वहां स्कूलों की काफी कमी है पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने दो हाई स्कूलों को अपग्रेड किया और दो मिडल स्कूल अपग्रेड किए इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार है। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी वायदा फरमाया था कि इस इलाके में गवर्नमैंट कालेज खोला जायेगा। उस वायदे को किए हुए एक साल हो गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह भी तवज्जों दे। हमारे इलाके के लोग बहुत गरीब है वे अपनी कन्ट्रीब्यूसन से न तो कालेज बना सकते है और न बना पाए हैं और न बना पायेंगे। यदि आप यह बना दे ंतो इलाके की अनपढता दूर करने के लिए आपका बहुत एहसान होगा। जैसे कालका में गवर्नमेंट कालेज बनाया गया है इसी तरह तहसील फिरोजपुर झिरका में भी कालेज होना चाहिये। इसके साथ साथ पुनहाना में जो काफी बडा कस्बा है वहां गर्लज मिडल स्कूल है उसे अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया जाये। मोजिया नई और मोजिया बुडबुड में नये प्राईमरी स्कूल खोले गए है। इनकी आबादी 6 हजार के करीब है इन प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनाया जाए। इसके साथ साथ हास्पीटलज के बारे में सरकार ने एक वायदा

किया था कि वहां गश्ती हस्पताल, मोबाइल हस्पताल लोगों को मुहैया किये जायेंगे लेकिन अब तक इस तरफ कोई नुमायां कदम नहीं उठाया गया और लोगों के लिए सहूलियत नहीं पहुंचाई गई है। इस तरह से एक और मसला है हमारे थोडे से इलाके में नहरें पडती है। वह यूपी सरकार की मलकीयत है और उनके छोटे मुलाजम हमारे लिये सिरदर्दी पैदा करते हैं वह जो लिख देते है वह अटल होता है। हमारे लोग उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त नही कर सकते है क्योंकि उनका आगरा जाकर दरख्वास्त देनी पडती है इसलिए हमारी सरकार को चाहिये कि उस इलाके में जितनी यूपी सरकार की नहरें है और जितने रैस्ट हाउस है उनका मुआवजा देकर उनको ले लिया जाये। चेयरमैन साहब, आपकी मार्फत मैं कहूंगा कि यह जो मुसीबत सैंकडों साल से है यह खत्म होनी चाहिये। इन नहरों के साथ साथ जो शोरा पैदा हुआ है इन नहरों के जारी होने से उसका भी मुआवजा यूपी सरकार से तलब किया जाये और इन नहरों का जो छोटा अमला है इसके बारे में सरकार अपना कुछ दखल रखे ताकि लोगों को उनका कोई मुलाजम जब तक यह मुआवजा अदा न करें अपने घेरे में आकर उनको तकलीफ न दे सके। इन लफजों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

समाज कल्याणमंत्री (सूबेदार प्रभुसिंह): चेयरमैन साहब, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका

बहुत मशकूर हूं। इस 3.00 PM बजट पर बोलने के लिये मैं खडा हूं।

श्री चेयरमैनः बजट नहीं, एप्रोप्रिएशन बिल पर।

सूबेदार प्रभुसिंहः जी हां। जो कुछ आप कहते हैं मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैंने बजट का जिकर इसलिए किया है कि मुझे आखिर में मौका मिला है और इस सरकार का इस वक्त जो तरक्की का प्रयास है वह खाली शानदार ही नहीं, यह जानदार और ईमानदार भी है। किसानों को करों से राहत देकर, प्रोफैशनल टैक्स को हटाने से हर गरीब आदमी के अन्दर कुछ खून पैदा होगा। कई जिकर यहां आये है। हरिजन वैलफेयर का जिकर यहां आया और कहा गया कि इनको खाली बहकाया है।

(श्रीमति शकुन्तला की ओर से विघ्न)

एक एमएलए साहिबा भी कुछ बोल रही हैं उधर से भी कुछ भाई बोल रहे थे लेकिन मुझे सारी असलियत का पता है और इसी वास्ते बोल रहा हूं कि आप लोगों को जिस चीज का पता नहीं है वह मैं चेयरमैन साहब के थ्रू आपको बता सकूं। पहले बहकाया जाता था बहकाया जाता रहा है मगर पिछले अढाई साल से जब से यह बंसीलाल सरकार आयी वह बहकावेबाजी वाली मदारी चले गये। उन मदारियों से छीन कर अमल मसव्वर के हाथ में एक तस्वीर बनाने की ताकत आयी है। बंसीलाल सरकार ने जो तस्वीर बनायी उस तस्वीर में हर पहलू से कोई खामी नहीं है।

चेयरमैन साहब, मैं सरकार की तारीफ नही करता, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि सिर्फ बातों का जमाना चला गया। आज तो जनता काम से फैसला करती है और काम से ही उन्हें आपका यकीन होता है। मैं आपको बताता हूं कि बंसीलाल सरकार ने उनके लिये क्या क्या किया है यहां इस सरकार के आने से पहले भी सरकारें चलती रही। वह भी हरिजनों के लिये चौपालें बना सकती थी। हरिजनों के जब कभी बारात आती थी या उनके कुछ मेहमान आते थे तो उन्हें दूसरी चौपालों में जगह नहीं मिलती थी। इस बंसीलाल सरकार ने इसी साल हरिजनों के लिए चौपाल बनाने के लिए पैसा दिया है। मकान बनाने के लिए कर्जा लेने के लिए भी हरिजन लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। सरकार उनको आधे सूद पर 20—20 हजार रूपया मकान बनाने के लिए देगी। तीन साली योजना में हरएक आदमी को 1600 रूपये की ग्रान्ट मिलेगी। इतना ही नहीं, हरिजन लडकियों को पढाने के लिये पहली सरकारें भी कुछ वजीफे दे सकती थी। मगर इस बंसीलाल सरकार ने नवीं क्लास से 5 रूपये और दसवीं से 30 रूपये जहां तक कि उनको पहले 6 रूपये महीना मिलता था देने शुरू किये है। अगर पहली सरकारें चाहतीं तो हरिजन लडकियां पढा सकती थी। लडके पढाने से एक आदमी पढता है और लडकियां पढाने से खानदान पढता है। जब तक उनके खानदान नहीं पडेंगे तब तक यह आगे नहीं बढ सकेंगे। इस बंसीलाल सरकार ने एक ओर बहुत अच्छा कदम उठाया है। (विघ्न) यह बात सबसे काम की है। यह बात क्रिटीसाईज करने की नहीं है क्योंकि

एक बहुत बडा तबका है उसमें आप लोग भी शामिल है सरकार भी शामिल है। आप लोगों ने भी वायदे किये थे और इस सरकार ने भी। अब इस सरकार ने वह पूरे किये है तो इस काम के लिये आप लोग भी सम्मिलित हैं क्योंकि आप सरकार से बाहर नहीं है। यही आपका काम है क्या, कि आप सरकार की हर बात में मुखाल्फत करते जायें।

श्री सभापतिः सूबेदार साहब, यह न कहें कि तस्वीर है आप यहां असलियत बतायें.....

सूबेदार प्रभुसिंहः चेयरमैन साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप यहां (अपोजीशन बैचिंज की तरफ इशारा करते हुए) होते तो पेाजीशन कुछ और थी मगर अब तो आप चेयर पर है....

श्री सभापतिः मैं तो आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप यह न कहें कि आपकी सरकार ने यह तस्वीर बनायी....

सूबेदार प्रभुसिंहः चेयरमैन साहब, इस समय आप अपनी जगह नहीं, हाउस की चेयर पर बैठै हैं.....

श्री सभापतिः मैं तो आपसे सिर्फ यही बात कह रहा हूं कि आप तस्वीर के चक्कर में न पडें। आप का टाईम खराब हो रहा है....

सूबेदार प्रभुसिंहः कोआप्रेटिव सोसायटीज में हरिजनों को पहले कोई नुमायन्दगी नहीं मिलती थी और पहली सरकारें भी उन्हें नुमायन्दगी दे सकती थी। अब कोआप्रेटिव एक्ट के तहत हरिजनों को नुमायन्दगी मिलेगी यानि नोमीनेशन मिलेगा। यह एक बहुत बडा काम है। हरिजन नम्बरदारों को बराबर का अधिकार देकर पहली सरकारें भी उन्हें उंचा उठा सकती थी। इस सरकार ने इन्हें नम्बरदारों के बराबर का अधिकार देकर उन्हें उंचा उठाने का कदम उठाया है। आप भी किसी शहर में रहते होंगे। मैं आपके जरिये हाउस को बताना चाहता हूं कि पैसे वाले जहां लोग रहते हैं वहां बिजली है नल भी है सफाई भी है मगर जहां हरिजन लोग रहते है वहा हरके चीज की तंगी है। पहली सरकार सारे हरिजन मौहल्लों में बैडवर्ड क्लासिज और गरीब आदमियों के मोहल्लों में, जहां बिजली नही थी, पानी का प्रबन्ध नही था, सुधार करने के लिये एक स्पैशल ग्रान्ट दी है।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, नौकरियों में जो हरिजनों को बैडवर्ड क्लासिज की रिजर्वेशन थी वह पिछले 20 सालों से बहुत कम थी। जिस वक्त बंसीलाल सरकार बनी, उस दिन के मैं आपको आंकडे बतलाता हूं। हरियाणा की तमाम नौकरियों में सिर्फ 3 प्रतिशत ये लोग पढते थे और इस बंसीलाल सरकार के बनने के बाद आज इनकी परसैंटेज साढे 8 प्रतिशत तमाम नौकरियों में पडती है। इनको साढे 5 परसैंट ज्यादा नौकरियों में आना सरकार

का तूफान की तरह से हरिजनों की तरक्की के लिये काम करना बताता है।

(श्रीमति शकुन्तला की ओर से विघ्न)

बहिन जी, जरा दिल थाम कर सुन लीजिये। आपके भले के लिये ही हमने यह काम किया है।

श्रीमति शकुन्तलाः मेरा दिल तो आपकी ठेकेदारी से भर रहा है–

सूबेदार प्रभूसिंहः इतना ही नहीं हरिजनों के कल्याण के लिये एक निगम बनाकर जो 2 करोड रूपया दिया गया है यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पहले जहां हरिजन पांच पांच सौ या हजार रूपया लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे अब 10 हजार, 15 हजार, एक लाख, दो लाख या 5 लाख रूपया भी ले सकते है।

चौधरी जयसिंह राठीः यह तो सब जबानी है।

सूबेदार प्रभूसिंहः जबानी नही कागजी है।

चौधरी जयसिंह राठीः कागजों पर यह होगा कि वह ले सकते है लेकिन असल में आप पैसा नहीं दैंगे।

सूबेदार प्रभूसिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह काम चलायें, हम असल में उन्हें पैसा देंगे। मैं आपके जरिये बताना

चाहता हूं कि पहले जो उन्हें लोन बगैरा दिलाने के लिये दलाल बनते थे। अब हम इनको दलाली नहीं करने देंगे। उनको सीधे पैसा देंगे।

चौधरी जयसिंह राठीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सन। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी मैम्बर के लिये दलाल कहना ठीक नहीं है। यह दलाली की लफज भी अन–पार्लियामेंटरी है। इसलिये मैं सूबेदार साहब से कहूंगा कि वह इसे वापस ले लें। वह हमारे साथ ही एमएलए बनकर आये है। अगर कहीं पहले का जिक्र हो तो और बात है।

उपाध्यक्षाः अगर यह अन पार्लियामेंटरी होगा तो यह वापस ले लेंगे या मैं एक्सपंज करवा दूंगी।

चौधरी जयसिंह राठीः मिनिस्टर साहब इसे वापस ले लें तो अच्छा है क्योंकि इनके रिमार्कस एक्सपंज हो, यह अच्छा नहीं लगता।

सूबेदार प्रभूसिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनकी कोशिश यह है कि मैं बोल न सकूं।

चौधरी जयसिंह राठीः ऐसी कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्षाः सूबेदार जी, आपके वह शब्द अनपार्लियामेंटरी थे।

सूबेदार प्रभूसिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह शब्द मैं बडी इज्जत के साथ वापस लेता हूं। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जब से आजादी मिली है तब से जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर होत थे वे नान–गजेटिड होते थे, एक नायब तहसीलदार तो अटैस्ट कर सकता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर यह काम नहीं कर सकता था। उस बेचारे को बस के लिए घंटों इंतजार करना पडता था। वह छत पर खडा होकर आवाज लगाता था। लेकिन अब इस सरकार ने उसे गजेटिड बना दिया है। उसके लिए जीपों को इन्तजाम कर दिया है। उसके लिए टेलीफोन भी लगा दिया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जितनी कर्स्टडियन लैंड थी, इस बंसीलाल सरकार ने उस जमीन को हरिजनों के लिए रिस्ट्रिक्टिड सेल कर दी है। वह जमीन किसी को नहीं मिलेगी। (व्यवधान) मैं असली सरकार की तरफ से बोल रहा हूं जो जैसा होता है उसको वैसा ही दूसरा नजर आता है। इतना ही नहीं जितनी नजूल लैंड थी वह जमीन लैंड लैंस हरिजनों को दी जाएगी। जितनी इनफीरियर लैंड स्टेट में पडी है वह तमाम जमीन सिर्फ हरिजनों को बांटी जाएगी। इसके अलावा हरिजन बच्चों को 22 साल तक छह रूपया वजीफा मिलता रहा लेकिन इस सरकार ने छह रूपए से आठ रूपए कर दिया और जो हरिजन लडके छात्रावास में रहेंगे उनको 45 रूपए से 60 रूपए तक वजीफा मिलेगा।

पीने के पानी की स्कीम के बारे मे मैं बताना चाहता हूं। पहले हरिजन मौहल्लों में सरपंचों के द्वारा नलके लगाए जाते थे लेकिन इस सरकार ने हुक्म निकाला है कि हरिजन मौहल्लों में नलका लगाने के लिए किसी पंच या सरपंच से पूछने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं किसी भी गांव में अगर हरिजनों को पीने के पानी की तकलीफ है तो सरकार दो साल के अन्दर ऐसे सात हजार गांवो में हरिजनों के लिए पीने के पानी की तकलीफ को दूर करेगी इसके आगे एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बच्चे कमजोर है ऐसे सात हजार बच्चों के लिए मुफत खुराक देने के लिए सरकार ने आर्डर निकाल दिये है। यह खुराक सिर्फ बालमिकी बच्चों को दी जाएगी। यह सब हरिजन बच्चों को नही। यह सरकार सभी हरिजनों को आगे ले जाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले अम्बाला में एक सैन्टर था उसमें 60 या 65 बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती थी उनको 75 रूपया वजीफा दिया जाता था इस सरकार ने दो सैन्टर और मंजूर किए है वैसे पहला सैन्टर भी इसी सरकार ने खोला था।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, यहां पर एक मेम्बर ने महिलाओं के बारे में जिकर किया। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बाईस सालों में किसी ने इन महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया।

पहले यहां जितने विधवाओं के सैन्टर थे उनमें सिर्फ 100 विधवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था थी। लेकिन इस सरकार ने और सेन्टर खोले है जिनमें 500 विध्वाओं के लिए इतंजाम किया जाएगा। जो नाबालिग है उनको पढाया जाएगा और जो पढ रही है उनको सहारा दिया जाएगा इसके अलावा विधवाओं के जितने बच्चे है उनको सहारा दिया जाएगा बशर्ते कि उनका कोई सहारा न हो।

श्री ओमप्रकाश गर्गः स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। यह एक चीज कहना भूल गए है कि पहले हरिजनों का एक मेम्बर मिनिस्टर होता था लेकिन अब चार हो गये है।

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

सूबेदार प्रभूसिंहः मैं यह बता रहा था कि अब वहां 500 विंडोज के लिए प्रबन्ध इस सरकार ने किया है। पहले शरणार्थी विंडोज के लिए इन्तजाम था लेकिन लोकल विंडोज के लिए भी इस सरकार ने इन्तजाम किया है।

स्पीकर साहब, इस आजाद देश के अन्दर भिक्षा मांगना एक कंलक था। इस सरकार ने 32 लाख रूपया अलग रखकर इस कलंक को दूर किया है। कानून द्वारा भीख मांगना बंद कर दिया है। जो भिखारी आवाज देकर भीख मांगते थे तथा जो तन्दरूस्त थे और दिन में भिक्षा मांगकर शाम को पीकर सो जाते थे ऐसे

भिखारियों को यह सरकार दस्तकारी सिखाएगी और जो भिखारी अपाहिज है या बेसहारा है उनका खाने का प्रबन्ध इस प्रकार ने किया है। उनके जो बच्चे हैं उनको पढाया जायेगा उनके लिए इस सरकार ने सैन्टर खोले है। इसी प्रकार जो कोढी है उनके लिए अलग से सैन्टर खोले है। हमारे यह भाई छछरोली में जाकर देखें वहां एक जमींदार का भी बच्चा उसी तरह रहता है जिस तरह एक कोढी का बच्चा रहता है।

जब राव साहब की सरकार बनी तो उन्होंने बनते ही हमारे बूढे और बूढियों की पैंशन बंद कर दी। मगर इस बंसीलाल सरकार ने हमारे जो माता–पिता है दादा–दादी है उनको पैंशन फिर देनी शुरू की और यह सरकार आज 3200 लोगों को पैंशन दे रही है। यह सरकार इनको 25 रूपया माहवार देती है। अगर इस सरकार को चार हजार लोगों को भी पैंशन देनी पडेगी तो यह सरकार वह भी देगी। यह सरकार उन बूढों को जिनका कोई सहारा नहीं है रोटी और कपडे देने का प्रबन्ध कर रही है। स्पीकर साहब, मुझे काफी टाइम हो गया है बोलते हुए, मुझे बोलना तो और भी था लेकिन और लोगों ने भी बोलना है इसलिए अन्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार हरिजनों को आगे ले जा रही है और अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो मुझे उम्मीद है कि हरिजनों के पास कोई मांग मांगने के लिए नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्षः जो मैंने आपको सजेशन दी थी उसके लिए भी आपने कुछ कहा है।

सूबेदार प्रभुसिंहः हां, स्पीकर साहब, आपने हरिजनों में चौपाल की सजैशन दी थी उसके बारे में मैंने कहा है। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद मैं बहन ओमप्रभा जी को भी बधाई देता हूं और चाहता हूं कि वे सदा अमर रहे जिन्होंने थैली का मुंह खोला हुआ है।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सन। स्पीकर साहब, अगर आदमी मरने के बाद होता है या जीते जी ही हो जाता है। (हंसी)

सूबेदार प्रभुसिंहः बहन जी हम आपको मरने की नहीं देंगे।

चौधरी चांदरामः स्पीकर साहब, मेरे साहब मेरे पास इस वक्त वह नोटस तो नहीं है जो मैंने तैयार किए थे लेकिन मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इजाजत दी है। मैंने कहा था कि बजट पिछले सालों से निस्बत खासा प्रगतिशील है लेकिन इसका यह मतलब नही है कि वह इतना अच्छा है जितना कि एक अडरडिवैलपड स्टेट का होना चाहिये। हमारा हरियाणा एक पोटैशियल स्टेट है। इसका जन्म बहुत पुराना है यहां पर आर्य संस- कृति ने जन्म लिया था और धर्मयुद्ध में श्री कृष्ण जी ने कर्तव्य का उपदेश दिया था। इसलिए जरूरी है कि

आप यहां पर कोई ऐसी चीज करें जिससे सारे देश को रोशनी मिले और मैं समझता हूं कि पिछले सालों की निसबत जहां तक हरिजन वैलफेयर का सवाल है इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए ज्यादा रकम रखी गई है। लेकिन आज हम अपनी पडौसी स्टेटस पंजाब, हिमाचल और राजस्थान को देखें तो वह इस मामले में हमसे कहीं आगे है। सूबेदार प्रभुसिंह जी को शायद मालूम होगा कि राजस्थान में हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो उन्होंने लिमिट रखी है वह दस हजार रूपए सालाना है। जिस आदमी की साल की इतनी आमदन होगी उसके बच्चों की फीस मुआफ होगी और वजीफे की रकम उन्होंने छह रूपए से 15 रूपये बढाई है। हिमाचल ने 3600 रूपये की लिमिट की है और पंजाब ने भी जिसकी राजधानी चंडीगढ ही है 3600 रूपए की लिमिट हरिजनों के लिए की है लेकिन हमारे यहां तक लिमिट सिर्फ 1800 रूपए की है इस लिमिट में अगर हिसाब लगाया जाए तो जो चपरासी लगा हुआ हो वह भी फायदा नहीं उठा सकता और वह बैकवर्ड की डैफिनेशन में नहीं आ सकता। इन्होंने बजट स्पीच के अन्दर पिछडी श्रेणियों के चैप्टर में जो चीज रखी है वह उसको नोट फरमाएं और हरियाणा सरकार के संबंधित आफिसर्ज भी इस बात को सुन लें कि जब इस चीज की इम्पलीमेंटेशन होती है तो उसमें बहुत घपला होता है। जून 1966 में हमने यह फैसला किया था कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज दोनों की इरेस्पैक्टिव आफ इन्कम फीस मुआफ हो लेकिन उसके बाद जुलाई 13 को डिसिजन बदल गया और हैडमास्टर्ज के बाद में यह इन्टरप्रटेशन की कि

सिर्फ उस हरिजन को जो 1800 रूपए सालाना से कम इन्कम का सर्टीफिकेट देगा यह रिसायत दी जाएगी। सबूदार साहब जानते है कि एक हरिजन को ऐसा सर्टीफिकेट देने के लिए कितनी दिक्कत का सामना करना पडता है। मैं चीफ सैक्रेटरी साहब से इस प्वायंट पर लडता रहा कि जो हरिजन वैलफेयर अफसर है उसका सटीर्फिकेट क्यों नहीं मान लिया जाता। मैंने खुद एक जीए को टेलीफोन करके कहा कि फलां फलां लडका हरिजन है लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि नहीं उसको कहो कि पटवारी से लिखवा कर लाए और उसके बाद जब तहसीलदार सर्टीफाई करेगा तो फिर मैं दस्तखत करूंगा। अब आप बताएं कि इतना इंतजाम एक गरीब आदमी कैसे कर सकता है और अगर कोई करे भी तो उसके 15—20 रूपए तो वैसे ही खर्च हो जाते है तो फिर उसको सुविधा क्या हुई। स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि उनके मुंह में चमचा देने से उनकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है Desperate diseases require desperate remedies. तो यह एक पुराना रोग है इसका इलाज अगर खास तरीके से किया जायेगा तभी यह ठीक हो सकता है। लेट डाक्टर एम्बेदकार ने एक किताब लिखी थी शूद्रों की खोज लेकिन वह खुद नहीं बता सके कि यह हरिजन और शुद्र कब से बने। मुझसे पहले कांग्रेस के एक सदस्य ने अपनी स्पीच में यह सही तौर पर कहा था कि हरियाणा में 25 लाख हरिजन है अगर उसके उपर एक रूपया फी आदमी खर्च किया जाए तो उससे उनका क्या उद्धार हो सकता है। मैं केवल हरिजनों के लिए हो नहीं कहता बल्कि इससे भी आगे जाता

हूं। मैं यह कहता हूं कि तीन किस्म के लोग है जो बैकवर्ड गिने जाते है। एक तो शैडयूलड कास्टस के लोग है जिनकी लिस्ट बना कर यह कहा गया है कि उनके लिए कांस्टिटयूशन में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन इन प्रोमोशन के बारे में 19 दिसम्बर 1970 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह होल्ड किया है कि प्रोमाशन्ज में रिजर्वेशन की जा सकती है। पंजाब वालों ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रिजर्वेशन रोक रखी थी लेकिन अफसोस की बात है कि हरियाणा सरकार ने उस पर अमल रोक दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि जो सन 1965–66 में प्रोमोट हुए थे उनको भी रिवर्ट होना पडा और आज भी उनके कागज देखे जा रहे है। जब सुप्रीमकोर्ट ने यह इन्टरप्रटेशन दे दी कि तुम पहली वैकसीज भी रिजर्वेशन में दे सकते हो तो फिर उस पर अमल होना चाहिए था। मैं नुक्ताचीनी वाली बात करने के लिए खडा नहीं हुआ हूं बल्कि एक सही बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमको चाहिए कि जब विधान में रिजर्वेशन्ज है तो हम इस सालों के लिए और बढा दें। इसमें एक सैक्शन हरिजन्ज का है दसूरे बैकवर्ड क्लासिज है जिसमें कुम्हार, लोहार और तेली वगैरा आते हैं और इसके अलावा तीसरी बैकवर्ड क्लासिज की वह कैटेगरी है जिनकी आमदन सालाना एक हजार रूपए से कम है चाहे वह जाट है ब्राहमण है या कोई ओर है।

सूबेदार प्रभुसिंहः वह कैटेगरी अब खत्म हो गई है।

चौधरी चांदरामः अगर आपने उनको बीच में से निकाल दिया है तो मेरे ख्याल में वह आपने अच्छा नही किया। हमारे लेट प्रधानमंत्री नेहरू कहा करते थे कि सारा हिन्दोस्तान गरीबों का देश है। जहां 80 फीसदी लोगों को 6 या 7 आने आमदन हो अगर ऐसे हालात में हरिजनों को और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को रियायत देने के लिए 1800 रूपए वाली पाबन्दी लगादी जाए और उसके लिए भी उनको इतने लम्ब चौडे प्रोसीजर में से गुजर कर सर्टीफिकेट लाकर देने के लिए पाबन्दी लगाई जाए तो वह चीज ने देने के बराबर हो जाती है।

तो यह कह देना कि सब कुछ हरिजनों को दे दिया औरों की नहीं दिया इससे कोई बात बनती नहीं। हरिजन कभी नहीं कहते कि दूसरों को न दो। हम मानते है कि हर जाति में बैकवर्ड लोग हैं सोशली डिसऐबल्ड लोग है उनको चाहे निर्धन कहलो, ऐसे सब लोगों की मदद होनी चाहिए चाहे वे किसी भी बिरादरी के हो। हरिजनों ने कभी नहीं कहा कि उनको रियायत न दो। आज हमारे समाज में पांच फीसदी लोगों का गलबा है और उसका ही सर्विसिज पर और बिजनैस पर कब्जा है। आज यह सारी लडाई क्या है? यह जो लोग मिड टर्म पोल हो रहे है वह अमीर और गरीब के बीच में हो रहे है हैव्ज और हैव नाटस के बीच में हो रहे है और एक्सप्लायटिड और एक्सप्लायटर के बीच हो रहे है। जब राष्ट्रपति गिरि को वोट देने का सवाल आया था उस वक्त मैं डिप्टी लीडर था। मैंने फैसला किया था कि अगर मैं

गरीबों में पैदा हुआ हूं और मैंने इकनामिकस की एमए पास की है तो असूल का रास्ता और मेरी जमीर का तकाजा यह है कि मैं आपका वोट श्री गिरि को दूं और मैंने खुल्लमखुल्ला दिया भी। आज मैं इदिरा जी के साथ हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आज हिस्टरी में एक नया मोड आ रहा है जिसे वह लाना चाहती है। मैं इनडिपैडैंट हूं या किसी पार्टी में हूं या नहीं कल को क्या सोचूगां या नही ंसोचूगा लेकिन मेरी यह धारणा स्पष्ट है कि आज देश में जो प्रोग्रेसिव फोर्सिज है उनकी नुमायंदगी इंदिरा जी करती है और उन्होंने एतिहासिक कदम उठाया है। अगर सैंटर में पार्लियामेंट में कोई स्टेबल गवर्नमैंट बनेगी तो लाजमी बात है कि उसका असर स्टेटस पर भी पडेगा और स्टेट गवर्नमैंटस को भी फायदा होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है इसमें कुछ बातें जरूर है जिनको हम प्रोग्रैसिव कह सकते है चाहें वह चौपाल बनाने के सिलसिले में हो या घर निर्माण के सिलसिले में हो। 12/13 करोड रूपया रोडज के लिये रखा है और नहरें भी पक्की करना चाहते है। मैं तो उस वक्त भी कहा करता था कि क्यों बडे बडे डैम बनाने पर खर्च करते हो पहले नहरों को पक्का करो और पानी की वेसटेज रोको, दोनो तरफ टयूबवैलज लगा कर नहरों का पानी बढाओ। भिवानी को जो पानी दो और दूसरे जितने ऐरिड ट्रैक्टर्स है उन सब को पानी मिलना चाहिये। शकुन्तला जी ने भी कहा कि कुछ इलाकों को ज्यादा पानी मिला और कुछ को नही मिला और साल्हावास को पानी नहीं मिला। मैं उस हलका की नुमाइंयगी करता रहा हूं और वह हलका मुझे

कामयाबी देता रहा है। हमने वहां 87 लाख रूपया रोडज के लिये खर्च किया था और भी कई दूसरी चीजें वहां दी थी। लेकिन उसके बाद से जब से मैंने उसे छोडा जहां काम था वहां ही रह गया। जब मैं रोहतक जाता हूं तो लोग मुझे बताते है कि उन पर रूपया खर्च नहीं होता है। और जो सडकें जहां थी वही बीच में ही रह गई है। लडैन माइनर आज तक मुकम्मल नहीं हो रहा है और वह सारा इलाका अकालग्रस्त है। मैं हैरान हूं कि उस जैसे इलाके को पानी न दिया जाये। अगर भिवानी और महेन्द्रगढ में पानी दिया जा सकता है तो मैं हैरान हूं कि वहां क्यों नहीं दिया जा सकता। आप जानते है कि झज्जर तहसील फौजी हिसाब से सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है। जिन लोगों का देश की डिफेंस में इतना हिस्सा हो उनको अगर यह भूल जाये ंतो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। जिस वक्त बजट में एलोकेशन फंडज की होती है उस वक्त देखना चाहिए कि किन किन इलाकों को प्रायरटी देनी चाहिए। आज प्लानिंग फ्राम अबव होती है अमीर के लिये प्लानिंग नहीं होनी चाहिये गरीब के लिये होनी चाहिये। बजट में कई किस्म की सब–स्कीमें है किसानों के लिए कोआप्रेटिव बैंक्स से और लैंड मार्टगेज बैंक्स से कर्जे देने की स्कीमें है। बडी अच्छी बात है लेकिन इन कर्जो को ले कौन जाता है यह देखने वाली बात है। यह सारी चीजें और सहूलियतें गरीब किसान नहीं ले जाता है और वह ले नहीं पाता है। जाबते और फार्म इतने मुश्किल बना रखे है कि गरीब अनपढ किसान को वह भरते ही नहीं आते है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूं और मैं उस

वक्त अफसरों से कहता था कि पतलून पहन कर जरायत की तरक्की नहीं होगी पैदावार नहीं बढेगी। आपको निक्कर पहन कर फील्ड वर्कर के तौर पर नाम करना चाहिये। आज अफसरों में हम जितना संतोष पैदा करें उनके दिल को बढाये अच्छी बात है और कुछ बातें बजट में सर्विसिज के लिये है भी लेकिन टीचर्ज के लिये कुछ नहीं किया गया है। मैं चीफ मिनिस्टिर साहब से कहूंगा कि इसमें उनके पर्सनल प्रैक्टिज का सवाल नहीं आना चाहिए। मैं अकेला ही नहीं कहता उनकी पार्टी वाले भी कहते है चौधरी हरकिशन लाल ने कहा और मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी में यह बात 3 परसैंट आई। टीचर्ज जिनको हम गुरू मानते है उनके मंहगाई भत्ते पर कट लगा दिया। इसमें किसी की प्रैस्टिज का सवाल नहीं और उन टीचर्ज को पालेटिक्स में दाखिल नहीं करना चाहिये। क्यों कोई आदमी मजबूर होता है एजीटेशन के लिये। पहले डिसकंटैंटमेंट आती है फिर फ्रस्ट्रेशन आती है और उसके बाद इनकलाब आता है लोग नक्सलाइट बनते है। किसी फिलासफर ने कहा कि असंतोष जो है वही इनकबाल की जड है। कोई इसे कम्यूनिस्ट का नाम देते है। मैं रूस में जाकर आया हूं जिनको कम्युनिस्ट कहते है। मैं कहता हूं कि वहां तो स्वर्ग है और चिंता नाम की कोई चीज नहीं वहां पर नहीं है कि आज काम मिल गया कल को कैसे मिलेगा कहां से मिलेगा। आपने कल परसों अखबारों में देखा होगा कि जेबीटी पास लडकियों ने चपरासी की पोस्ट के लिये एप्लाई किया है। मैं चौधरी माडू सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इनके हलका की एक जेबीटी पास

हरिजन लडकी मेरे पास आई है। हरिजन लडकियां सारे जिला में पांच सात ही होगी तो जेबीटी पास हों लेकिन उसे बताया कि वह बेकार है। वह कहने लगी कि उसे पहले सात आठ दिनों के लिये लगाया था लेकिन बाद में उसे सोनीपत में फेंक दिया और वहां से अब वह डेढ महीना छुटटी काट कर आ गई और अब बेकार है। इसी तरह जिला करनाल की कई जेबीटी पास लडकियां बेकार है और लडके तो बहुत है। मैंने राव महावीर सिंह से कहा कि आपने ट्रांसपोर्ट में कितने लोग लगाये तो उन्होंने कहा कि पांच सौ के करीब रखे है। लेकिन पांच सौ में से मुश्किल से 84 हरिजन लडके लगाये हालांकि 350 से ज्यादा रिजर्वेशन के हिसाब से होने चाहिए थे। मैं कहता हूं जेबीटी पास लडके हरिजनों के बेकार फिर रहे है लेकिन यह कहना कि आयंदा ख्याल रखेंगे कोई बात इससे बनती नहीं है जब कि यह रिजर्वेशन भी पूरी नहीं कर रहे है। मैं कहना चाहती हूं कि इनको ल्योरेकेसी के हाथों में हमेशा नहीं खेलना चाहिये अगर खेलते है तो इनकी मरजी है लेकिन दीवार पर देख लें क्या लिखा हुआ है लाल स्याही से। हमस ब डैमोकेसी के नाम से यहां बैठे है और बडे बडे भत्ते लेते है लेकिन क्या आपने देखा है कि आज हरिजनों और गरीबों की क्या हालत है? आज हालत यह हो गई है कि आज उनकी लडकियां 14/15 साल की, सडकों पर मिटटी ढोती है। रणसिंह जी कहते है कि मिनीमम वेजिज मुकर्रर कर दी है लेकिन यह नहीं बताया कि कितनी मुकर्रर की है। किसानों को तो मजबूर किया जाये कि पांच रूपये दो और यह पांच रूपये भी मैनें मुकर्रर किये

थे जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था और यह पांच रूपये वह गांव में लेता है लेकिन एक गरीब हरिजन लडकी, उसकी मां और भाभी जो अपने घर से चार पांच और सात मील पर जाकर काम करती है उनको क्या मिलता है और उनकी क्या हालत है यह भी आपने देखा? मैनें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को एक चिटठी भी इस बारे में लिखी थी कि एक लडकी को तो काम पर यहां लगा दिया लेकिन उसके रिश्तेदार को एक दो मील उससे दूर लगा दिया। मुझे इस बारे में लिखी हुई शिकायत मिली। मैं ऐसे ही वहां जहां काम हो रहा था चला गया और उनसे पूछा कि क्या तुमको तनखाह मिल गई। उन्होंने जवाब दिया कि तीन महीने से नहीं मिली। मैंने नहीं बताया कि मैं कौन हूं लेकिन जब मेट को मालूम हुआ कि मैं कौन हूं और क्या पूछ रहा हूं तो वह झट वहां आ गया और मजदूरों से कहने लगा कि यहां खडे खडे क्या करते हो काम पर जाओ। मैंने वजीर साहब को चिटठी लिखी इस बारे में, लेकिन आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। मैं हैरान हूं कि मेरा वह अजीज जिसको मैनें चार साल तक पढाया हो एक एमएलए की चिटठी का जवाब न दे हालांकि इस बारे में स्टैडिंग इन्सट्रक्शन्ज है।

स्पीकर साहब, इन्ट्रोडयूस होता है और बजट में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लिये ही नहीं बल्कि हरियाणा के तमाम डिस्ट्रिक्टस को एक एक लाख रूपया हरिजनों को कर्जा देने के लिये रखा जाता है। मैं सूबेदार साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं एक लाख कर्जे के अगेस्ट दस पन्द्रह हजार

एप्लीकेशनज आ जाती है। एक आदमी के ऐप्लीकेशन देने के लिये कम से कम 15 रूपये फी एप्लीकेशन खर्च होते है। इस तरह से एक लाख कर्जा देने के लिए कम से कम डेढ लाख रूपया एप्लीकेशन्ज के जरिये से सरकार इकटठा कर लेती है। इससे अच्छा है हरिजनों को कर्जा ही न दें क्योंकि आप देने की बजाए उलटा ले लेते हैं। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि बजट बनाते समय बजट को जोब–औरिएंयटिड और एम्पलायमैंट औरिएंयटड बनायें, वरना बजट का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह फैसला करें कि फलां स्कीम पर इतना रूपया खर्च करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है।

स्पीकर साहब, उकलाना में 25 हजार स्पिन्डलज की स्पिनिंग मिल लगाने की स्कीम बनी थी उस मिल में हरिजनों का हिस्सा था क्योंकि यह कोआप्रेटिव स्पिनिंग मिल थी। 90 परसैंट रूपया सरकार की तरफ से खर्च होना था और 10 परसैंट हरिजनों ने देना था जो कि मिल के शेयर होल्डर थे। इस प्रकार की मिल ज्वायंट पंजाब में भी आदमपुर में लगी थी। इस उकलाना मिल के लिए पांच लाख रूपया बजट में प्रोवाइड किया और फैसला हुआ कि इस मिल में हमने इतने हजार हरिजनों को शेयर होल्डर बनाना है बहुत से हरिजनों ने अपने शेयर के पैसे भी दे दिये लेकिन वह मिल अभी तक नहीं लगी और अब हमें पता चला कि उस स्पिनिंग मिल का क्या मतलब था। सारी हरियाणा स्टेट में 25 हजार स्पिन्डलज की कोई स्पिनिंग मिल नहीं है। अगर होगी

तो सिर्फ 18 हजार तन्तुओं की होगी। इस मिल में जिसमें हरिजनों का शेयर था और गरीबों को रोजगार मिलना था उसे जरूर लगाना चाहिए था। इससे जुलाहों को काम मिलता जिनका काम ही खडडी का काम करना है, वे बेकार बैठे है। नाइलौन और टैरिलीन ने तो खडडी का काम ही खत्म कर दिया है। खडडी की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती जिससे लोग नाइलौन और टैरिलीन पहनते हैं। मेरी यही स्कीम थ्झी कि हर गांव में पावर लूम की खडिडयां लगाई जाएं। अब तो खडडी लगाना आसान है क्योंकि गांवों में बिजली पहुंच गई है। आप हरिजनों को रोजगार दें ताकि वे भी सुख से घर में खा–पी सकें, इज्जत से रह सकें।

स्पीकर साहब, सरकार ने जींद में एक चमडे का कारखाना लगाया, मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस कारखाने में भी ब्योरोक्रेसी चलती है। जहां हरिजन का हक था, जहां चमार काम कर सकता था वहां आज हरिजन के बजाये ब्राहमण का लडका काम करता है। चमार के लडके को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती और न ही उस में इतनी सूझबूझ और समझ होती है। इस काम से भी हरिजन भाई महरूम हो गये है। जमीन के बारे में देख लें। आज हरिजन मुजारे को जमीन नहीं मिलती। किसान के पास इनती थोडी जमीन है कि उसका अपना गुजारा मुश्किल से चलता है। जब किसान के पास अपने लिए ही जमीन नहीं है तो मुजारे का गुजारा कहां से हो सकता है? जमीन की लालसा में हरिजन कब तक रहेंगे। आज हम देखते है कि

गांवों के कुम्हार, लुहार, वगैरह सब बेरोजगार बैठे हैं। मैं वित्तमंत्री महोदया को सुझाव देता हूं कि आप इन गरीब लोगों के लिए कोई न कोई स्कीम बनाये बजट में इन लोगों के लिए मेहरबानी करें ताकि ये भी सुख से जी सकें।

स्पीकर साहब, चौधरी लहरी सिंह ने रोहतक वगैरा में शुगर मिलैं बनाई थी और हमें बडी खुशी हुई थी कि सदियों से पुराने ढंग से जो गुड वगैरह बनाया जाता था उससे छुटकारा मिला। मुझे पता लगा कि पिछले साल इन तीनों मिलों में 36 लाख के करीब मुनाफा हुआ। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि दो चावल मिलें और तीन कोआप्रेटिव शुगर मिलें लगाएंगे। मैं कहता हूं कि सिर्फ तीन शुगर मिलें नहीं बल्कि आपको हर दस दस पन्द्रह पन्द्रह मील के फासले पर एक शुगर मिल लगानी चाहिये। अगर आप सारी स्टेट को खुशनुमा शकल देना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिलें खोली जाएं ताकि हरियाणा के हर व्यक्ति को रोजबार और पेटभर रोटी मिल सकें। मैंने देखा है रोहतक के रैस्ट हाउस में जा कर देंखे उसकी टटियां भी खूबसूरत है पंखे लगे हुए हैं खूबसूरत रोशनी है दीवारों पर सुन्दर रंगीन सफेदी बगैरह है। ठीक है आने वाले हरियाणा और हिन्दुस्तान का यही नक्शा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि रैस्ट हाउसिज में आराम के हर साधन हो, हमें देखना चाहिए कि किस चीज को टौप–प्रायरिटी देनी चाहिए। गरीब जनता को खुशहाल बनाने की तरफ तवज्जह देनी चाहिए। स्पीकर साहब, हर सरकार के हर

बजट में रूपया लिमिटिड होता है। जब लिमिटिड बजट को तकसीम करने का सवाल आता है तो प्रायरिटी मुकर्रर की जाती है। कोई भी इकनामिक्स का स्टूडैंट कहेगा कि सबसे पहले प्रायरिटी फिक्स करें तब रूपया तकसीम करें। आप बतायें कि पब्लिक सैक्टर में कितने कारखाने लगाये हैं? चीफ मिनिस्टर साहब तो यही समझते है कि वह स्टेबिलिटी ले आये हैं एक मजबूत सरकार बना कर दे दी है इसलिए कारखाने लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओमप्रभा जी ने जो बजट पेश किया है उसमें भी कुछ चीजें अच्छी है लेकिन इन चीजों का फायदा बडे बडे किसानों के लिए है गरीब किसान को कोई फायदा नहीं। आप इस बात की कोशिश करें कि गरीब किसान के लिए भी ग्रीन–रैवोल्यूशन आए, हरी–क्रान्ति आए। जिसको ये ग्रीन–रैवोल्यूशन कहते हैं वह तो मोटे मोट किसानों के लिए ही आया है।

श्री अध्यक्षः आपका टाईम हो गया है।

चौधरी चांद रामः थोडा सा टाइम और दे दें। स्पीकर साहब, मेरे अपने वक्त में , 1967 में 15 रूपये फी क्विन्टल के हिसाब से किसान को गन्ने की कीमत देते थे लेकिन आज 7.37 पैसे प्रति क्विंटल है। सभी जानते है कि आज चीजों की कीमतें बहुत बढ चुकी हैं किसान के खर्चे बढे है, मजदूर की मजदूरी बढी है और उसके मुकाबले में इन्होंने गन्ने का भाव 7.37 रूपये फिक्स किया है। स्पीकर साहब, पिपली शाहबाद के इलाके में एक मिल

लगाई जानी चाहिए। इस इलाके में डेढ दो करोड मन गन्ना पैदा हाता है और इस गन्ने को पेलने के लिए एक करोड मन गन्ना पेलने वाली सिर्फ एक ही मिल है जो जगाधरी में है। जब कि यहां गन्ने की इतनी ज्यादा पैदावार है और एक मिल सारा गन्ना पेल नहीं सकती तो एक और मिल लगानी चाहिए ताकि लोगों को नुकसान न हो और उनका गन्ना पेला जा सके। मिल की कमी की वजह से बहुत सारा गन्ना खराब हो जाता है।

स्पीकर साहब, मैंने 13–14 स्कीमें चमडें के काम को बढावा देने के लिए बनाई थी। इन स्कीमों में से एक स्कीम यह थी की हर ब्लाक के अन्दर एक एक कारखाना कोआप्रेटिव बेसिज पर बनाया जाए ताकि गरीब इलाके के लोगों को रोजगार दे सकें। यह काम सरकार के उत्साह से हो सकता है। आज जब कि हरियाणा के गांव गांव में बिजली पहुंच गई है सडकें बन गई है तो कोआप्रेटिव बेसिज पर बहुत कारखाने खुल सकते है। जो नान–प्रोडक्टिव एक्सपैंडीचर है उसको प्रोडक्टिव एक्सपैंडीचर बनायें ताकि रूपये का सही इस्तेमाल हो सकें। आपने गृह निर्माण के लिये हाउसिंग बोर्ड बना दिया। इस बोर्ड की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सबसे पहले रोजगार की जरूरत है घरों की नहीं। अगर रोजगार मिल गया तो लोग घर अपने आप बना लेंगे क्योंकि उनके आमदनी के साधन हो जायेंगे। जैसे सूबेदार साहब है इन्होंने फर्स्ट क्लास कोठी बनाई है ये पहले गरीब हरिजन थे और जब रोजगार मिल गया तो कोठी भी बना ली। आप पहले हरिजनों

को काम दे, घरों के लिये पैसा न रखें और सारे का सारा रूपया प्रोडक्टिव कामों में लगायें जिससे रोजगार के साधन पैदा हों, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो देश का भला कर सकेंगे। स्पीकर साहब, मैं एक दो मिनट और बोलना चाहता हूं। थोडा सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि प्रमोशन पोस्टस में शैडयूल्ड कास्टस के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। हरियाणा स्टेट में क्लास 3 और क्लास 4 के लिये तो रिजर्वेशन है लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कोई रिजर्वेशन नही है। क्लास 1 और 2 के लिए रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं हो सकती? 1963 में क्लास 1 और 2 के लिए सरकार कैरों के वक्त में रिजर्वेशन लागू हुई थी और 1966 तक रही जब कि हरियाणा प्रान्त नया नया बना था। मुझे याद है कि हमारा अपना पंजाब का एक चीफ सैकेटरी नोमिनेटिड होता था, कम्पीटिशनर नहीं होता था। मैंने फाईल पर लिखा था कि प्रेजैन्ट चीफ सैकेटरी नोमिनेटिड है कम्पीटिशनर नहीं। तो यहां एफिशियेन्सी नहीं हुई क्या? लेकिन अंग्रेज राज के अन्दर हरिजनों की कभी नौमिनेशन नहीं हुई किसी और माइनरिटी तथा वीकर सैक्शनज के लिये नौमिनेशन नहीं हुई। आज उस कमी को पूरा करने के लिए भी हमें ध्यान देना है। जिन जिन को वेटेज मिलता था आज वे लोग भी कहते हैं कि इन हरिजनों को क्यों सहूलियत मिल गई। तो मैं समझता हूं कि हमको इस मामले में भी कदम उठाना चाहिये और क्लास वन और टू आफिसर्ज की पोस्टों के लिए भी रिजर्वेशन कर देनी चाहिए। पिछले साल 456 पोस्टों के

अन्दर 156 पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरिजनों को दी थी। मेरे नोटिस में और भी कई बातें आई। बीबीओ की पोस्टे यहां हुई और इन्होंने तीन पोस्टें दो हरिजन इ0सी0ओ0 के लिये और एक आम हरिजन कोर्ट में रिजर्व की। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि इसका क्या फायदा क्यों कि पहले शेडयूल्ड कास्टस को कोई एसीओ भरती ही नहीं करता था और न ही कोई आज तक रिलीज हुआ होगा। इस बात को जानते हुए आपने क्यों शैडयूल्ड कास्टस इसीओज के लिए रिजर्वेशन की?

सूबेदार प्रभुसिंहः अब तीनों दूसरे में हो गई है।

चौधरी चांद रामः फिर तो मैं मश्कूर हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा तो था कि हरिजनों का अगर कोई मामला होगा तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा। मुझे इस बात की बडी खुशी है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां जहां लैक्युने है कमियां है, गैप्स है, डैफिनेशैन्सीज है उनको दूर किया जाए। जब तक ये चीजें रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ सकते। टीचर्ज में भी हमें कंटैटमेंट लानी पडेगी। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, हम हरी क्रांति में से गुजर रहे है मगर आज हरियाणा में बारिश तो हुई नहीं और बिजली का यह हाल है कि शाम को पांच बजे दी जाती है। रात का फयूज उड जाएं तो क्या होगा? इस बात को आप सोच सकते है। मैंने पंडित रामधारी गौड जी से इस मामले में बात की थी और मुझे खुशी है कि वे अब दिन में बिजली दे पांएगे ताकि किसान दिन में टयूबवैल चला सके। इन

शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बाते मैंने कही हैं जैसे लैंड रिफार्म की बातें है और दूसरी बाते हैं उन पर कंस्ट्रक्टिव ढंग से, रचनात्मक ढंग से विचार किया जाएगा और आइन्दा बजट को ऐसा बनाया जाएगा जिससे रोजगार पैदा हो सके नान–प्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर कम हो सके और भ्रष्टाचार में जो काफी संख्या रूपया जाता है वह बच सके।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, बहुत टाईम हो रहा है।

चौधरी चांद रामः केवल एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। स्पीकर साहब, भ्रष्टाचार में काफी रूपया खर्च होता है। पीडब्ल्यूडी को लोग कंटरी का ऐनिमी नम्बर वन कहते हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके गांव के पास एक पुली बनी है गांगटांग। चौधरी सूरजमल जी से कहकर वह मैंने पंचायत से बनवाई थी। डिपार्टमैंट ने साढे ग्यारह हजार रूपये पंचायत को जमा करने के लिए कहा था मगर पंचायत ने उस पर एक ओवरसियर की सुपरविजन के नीचे केवल साढे पांच हजार रूपए खर्च किए थे। तो मेरी प्रार्थना यह है कि पीडब्ल्यूडी के अन्दर जो सडकों का इतना बडा काम हो रहा है। इसको ठेकेदारों के जरिए नहीं करवाना चाहिए बल्कि मुकामी लोगों को ऐसोसिएट करके डिपार्टमेंटली काम होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि उसी पैसे से एक मील सडक की बजाय डेढ मील सडक जरूर

बनेगी। इन शब्दों के साथ अन्त में आपका शुक्रिया अदा करता हुआ अध्यक्ष महोदय से यह कहूंगा कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन रिसपोन्सिव नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, कमजोर के लिए काम नहीं करेगा। तब तक डेमोक्रेटिक सोशलिजम का नारा थोथा रहेगा, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में यह इलैक्शन शायद आखिरी इलैक्शन होगा। अगर हमने गरीब और कमजोर वर्ग को नजर अन्दाज करने की वजह से उत्पन्न होने वाले खतरे को अभी से दीवीरों पर लिखा हुआ न देखा और एक पार्टी की सरकार की स्टैबिलिटी देने की बात नहीं की तो हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी और हिन्दुस्तान का भविष्य ही अंधेरे में होगा।

Mr. Speaker: Let me make an observations please. बिजली पांच बजे शाम को मिलती है या सात बजें मिलती है?

चौधरी चांद रामः पांच बजे मिलती हैं। अगर सात बजे मिलती है तब तो और भी बुरी बात है।

Mr. Speaker: Let me make another observation. What the honourable member has said now, I said about two years ago. And, it is in the interest of all, both on my right and on my left; that if you want to save your skin, you will have to give all out help to the poor and the down-trodden. The Hon. Members has said economy of the country is controlled by about 5% people. But I think, this percentage is not even 1. This is probably a few in thousands. In fact, I am told that there are about 2000 families which controlled the economy of the country.

Shrimati Chandrawati: I want to speak, Sir. I will hardly take a few minutes.

Mr. Speaker: There are so many other speraks also who wish to speak.

Shrimati Chandrawati: I want only two mintues.

Mr. Speaker: Yes, you can speak. I will give you time after Chaudhri Ran Singh.

लोक निर्माण मंत्री (श्री रण सिंह): आदरणीय स्पीकर साहब, बजट पर डिमांडज पर और अब ऐप्रोप्रिशन बिल पर बोलते समय बहुत से मैम्बर्ज ने अपने विचार रखे है और मुझे खुशी है कि ट्रेजरी बैन्जिज से भी और अपोजीशन की तरफ से भी मैम्बर्ज ने बोलते हुए सडकों के निर्माण की बडी सराहना की। यह सब ने खुल कर माना है और कहा है कि सडकों का जो निर्माण हुआ है हम उसकी सराहना करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ साथियों ने बडे छोटे सुझाव भी दिए है जिनके उपर हम हमदर्दी से विचार करेंगे। चौधरी प्रभुराम जी ने कल अपने हल्के की समस्याओं हो उसेके सामने रखी और सडकों के निर्माण की बडी सराहना की। कंवर सिह दहिया ने भी सुबह कहा था कि नही पुल नहीं बना है मगर सडकों का जो निर्माण हो रहा है उसकी उन्होंने भी सराहना की। अपोजीशन के श्री सत्य नारायण जी तथा दूसरे साथियों ने भी सडकों के निर्माण की सराहना की और कई खामियां जो काम करते वक्त रह जाती है या दूसरी मुश्किलें और मजदूरों की तनख्वाह आदि देने की बातें हाउस के सामने रखीं। कई साथियों

ने कहा कि मजदूर को जो पैसा मिलता है वह कम मिलता है। आज के समय में तीन रूपये से गुजारा नहीं होता। चौधरी चांद राम जी ने अपने ढंग से क्रिटिसिजम भी किया है और कुछ सुझाव भी दिये है। स्पीकर साहब, सम्भवतः ही चौधरी चांद राम जी के मन में गरीबों और मजदूरों के लिए हमदर्दी होगी लेकिन मैं आपको और सारे हाउस को यह विश्वास दिला सकता हूं। कि मैं स्वयं एक मजदूर परिवार से संबंध रखता हूं और मजदूर के प्रति, हरिजन के प्रति मुझे चौधरी चांद राम से कही अधिक हमदर्दी है। (सरकारी पक्ष से तालियां)। इन्होंने कहा कि इन्होंने पत्र लिखा था परन्तु इस वक्त तक मिनिस्टिर साहब ने उसको जवाब नहीं दिया मैं मानता हूं कि इन्होंने पत्र लिखा था लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस पर तुरन्त ऐक्शन भी हुआ था। इन्होंने लिखा था कि पानीपत–गोहाना–रोहतक रोड पर जो मजदूर काम करते हैं उनको वेतन कम मिलता है और टाईम पर नहीं मिलता। उसकी जांच करवाई गई। स्पीकर साहब, आप भी अंदाजा लगाएं कि सडकों के उपर सैंकडों की तादाद में नहीं बल्कि कई कई हजार आदमी पांच–चार मील के अन्दर लगे हुए है। चौ0 चांदराम को तो तारीफ करनी चाहिए थी क्योंकि पानीपत–गोहाना–रोहतक रोड को हमने रिकार्ड टाइम में डबल किया है। हमने 31 मार्च समय मुकर्रर किया था लेकिन दस जनवरी को काम समाप्त कर दिया। चार–चार हजार आदमियों ने काम किया और चार हजार आदमियों का रोज वेतन यदि तीन रूपये के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो बारह हजार रूपये बनते है। हम हमेशा कोशिश करते है कि वक्त

पर पैसा दिया जाए और दिया जाता भी है। इन्होंने पत्र भी लिखा और आपको मालूम ही है एक सवाल भी किया। हाउस में मैं इंतजार करता रहा कि वे सवाल मूव करेंगे मगर ये वक्त पर हाउस में आये ही नहीं। मेरा इसमें दोष नहीं दोष है तो चौ0 चांदराम का है ऐसा ही सवाल एक दिन पहले भी आया था लेकिन उस दिन भी सवाल मूव करने के लिए चौ0 चांदराम नहीं पहुंचे। इसके लिए तो इनका ही दोष है। (विघ्न) स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले अर्ज किया इनका पत्र आया था। उसमें इन्होंने लिखा था कि मजदूरों को वेतन कम मिलता और समय पर नहीं मिलता है। एक केस में इनकी बात दुरूस्त है कि पन्द्रह दिन डिले हुई। लेकिन यह डिले क्यों हुई? 4.00 PM उस सडक पर चार हजार के करीब मजदूर काम करते है और सचमुच हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि वक्त पर वेतन दे दिया जाये। आप जानते है कि साढे दस बजे बैंक खुलते हैं कहीं बाद दोपहर हमें पैसा मिलता है। हमारे आदमी वहां मौके पर जाते है। वहीं पेमेंट करते है। हम कोई रेस्ट हाउस या दफतर में लोगों को नहीं बुलाते है बल्कि मौके पर ही पेमेन्ट करते हैं। कई दफा रात हो जाती है और पेमेन्ट दस ग्यारह बजे तक देते रहते है।। इन्होंने यह भी कहा कि पीडब्ल्यूडी के ट्रकों में दो–सौ आदमी बैठे जाते है। हम मजदूरों को ट्रकों में नहीं ले जाते है। हा, कई दफा ऐसा होता है कि मजदूर सरकारी ट्रकों में अपनी सहूलियत के लिए चढ जाते है अगली सडकों पर पहुंचने के लिए। एक बात और उन्होंने अपने पत्र में लिखी कि जो नौजवान लडकियां सडकों पर काम करती है

उनके रिश्तेदारों को दूसरी जगहों पर लगाया जाता है स्पीकर साहब, हमारे एसडीओ और एक्सईएन मौके पर सडक देखने जाते है और कई कई बार जाते है। अगर हमारे नोटिस में कोई ऐसी बात आ जाती है तो प्रोम्प्ट एक्शन लिया जाता है। चौधरी चांदराम जी से मुझे एक बात का बहुत दुख है कि इन्होंने कहा कि मजदूरों में चरित्र हीनता है इस प्रकार का इलजाम लडकियों के प्रति लगाना उचित नहीं है। मैने इनकी चिटठी पर जांच करायी, जांच कराने पर यह बात गलत सिद्ध हुई है। इस बात में कोई जान नहीं है। अगर आनरेबल मैम्बर के नोटिस में फिर ऐसा केस कोई आये या मजदूरों की कोई बात हो तो वहां पर एक्सईएन और एसडीओ होते हैं। वे इन्सपैक्शन के लिए जाते रहते है ऐसे केसिज की मौके पर ही जांच की जा सकती है और रफा हो सकते है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब आप के दस मिनट तो हो गये।

चौधरी रण सिंहः अभी एक मिनट में ही खत्म करता हूं कई मेरे साथियों ने मजदूरों की तनख्वाह बढाने के लिए यहां कहा। मैं मानता हूं कि मजूदरों का वेतन कम है लेकिन हरियाणा में पिछले साल ऐसा समय आया था खासतौर पर गुडगांव, हिसार और रोहतक के जिले में यानि झज्जर तहसील में कि लोगों को कोई रोजगार नही मिलता था, क्योंकि वहां कहत पड गया था। वहां पर उस वक्त एक रूपये में भी काम करने के लिए मजदूर

तैयार थे। एसडीओ, एक्सईएन के दफतर में सैंकडों की तादाद में लोग आ जाते थे और कहते थे कि हमे लगाओ। वे लडने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। अब तो हम तीन रूपये भी दे रहे है। लेकिन फिर भी जो कई एक साथियों ने जैसे चौधरी कंवर सिंह दहिया ने कहा था कि आज के जमानें के अनुसार तीन रूपये कम मजदूरी है। मैं हाउस को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय में हम पहले ही हमदर्दी से गौर कर रहे है। स्पीकर साहब, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः चन्द्रावती जी, आप सिर्फ दो मिनट के लिए बोल सकती है।

श्रीमति चन्द्रावतीः केवल पांच मिनट दे दीजिए। पांच मिनट में ही दो चार बातें कहनी है कह लूंगी। स्पीकर साहब, यह एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने है इस पर में अपने विचार रखना चाहती हूं। आज जो जमाना है वह धातू की ऐज है और हो सकता है हरियाणा में डिफेक्शन की ऐज है। इस एप्रोप्रिएशन बिल के पैसे में से कुछ पैसा डिफेक्टर्ज को जायेगा। इसलिए डिफेक्शन का जिकर करना बडा जरूरी था। मैं तो शायद इसका जिकर करती भी नहीं लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक दो बार चलते चलते भी इस तरह की बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। चाहें वे कितना ही प्रोवोक करें हम किसी भी तरह से पार्टी छोडने के लिए तैयार नहीं और मुझे कई बार ताज्जुब होता है ि कवे कंस्ट्रक्टिव किटिसिजम सुनने को भी तैयार नही। अगर प्रान्त में

कुरप्शन होगी तो आज की सरकार को एग्जेक्टिव में बैठी है उसकी ही ज्यादा बुराई होगी।

श्री फिरोज गांधी के विषय में मुझे पता हे कि वे हमेशा पार्टी मीटिंग में जो कटु सत्य हो और जो भी सकैन्डलज थे उनको कहते थे और हाउस में भी। उन बातों को कहते थे और कुछ चन्द लोग और भी थे जो इस तरह की बातें कहते थे। मैं समझती हूं कि इस तरह से अगर सारे चापलूस बन जाते है तो आपको तो मुश्किल होगी और जनता को भी मुश्किल हो जायेगी। जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है। मैं समझती हूं अगर हम नहीं कहेंगे तो कुरप्शन होगी तो सरकार की ज्यादा बदनामी होगी।

चौधरी लाल सिहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब चापलूसी की बात बहिन जी ने कही। हम किसी के चापलूस नहीं, हम तो अपने असूल पर है।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब मैं कह रही थी.....

चौधरी ओम प्रकाश गर्गः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। बहिन चन्द्रावती जी ने चापलूसी की बात कही है वे मेरे ख्याल में खुद चापलूसी करती रही है इसलिए उनको चापलूस ही नजर आ रहे हैं।

श्रीमति चन्द्रावतीः अगर मुझे नजर आते हैं तो आपकी बात ठीक है। लेकिन आपको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसमें जो कुछ है

उसके विषय में मैंने पब्लिकली स्टेटमैंट भी दी है क्योंकि मैं डिफैक्शन को बुरा समझती हूं। मैं आज भी हाउस के सामने कहती हूं इस एप्रोप्रिएशन बिल में अपने हल्के के विषय में भी चन्द बातें कहना चाहती हूं। चर्चिल ने कहा था कि सब से पहले हमें हल्के के सर्व करना चाहिए अगर हम अपने हल्के को सर्व नहीं करते है तो देश को सर्व नहीं कर सकते। एक गांव है वीजलान वाला वास उससे एक तरफ एक गांव मुख्यमंत्री जी के हल्के में पडता है वहां एक तो सडक आ गयी है वहां से आगे सडक बन्द कर दी है जैसे कि हम इन्डिवाली की तरफ से जायें तो वहीं छोड दी गई है। जहां मुख्यमंत्री जी का गांव होता था। इसी तरफ लुहारू बडा बैकवर्ड एरिया है उसमें पशुओं के हस्पताल की बडी कमी है।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): आनरेबल सदस्या उस हल्के की बडी नुमाइंदगी करने की कोशिश करती है लेकिन ये तो उस इलाके का भटठा बैठा कर राजी है। बीजलानावाला वास से मुझे ज्यादा हमदर्दी है लुहारू के हलके से मेरे को ज्यादा हमदर्दी है। इनको कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो उस इलाके का भटठा बैठाना चाहती है मैं बैठने दूंगा नहीं।

श्रीमति चन्द्रावती: मैं किस तरह से भटठा बैठाउंगी। ताकत और राज तो तुम्हारे हाथ में है। अगर भटठा बैठाओगे तो भी तुम ही बैठाओगें। मैं तो जबान से कंस्ट्रेक्टिव सजैशन ही दे सकती हूं। भटठा तो तुम बैठाओगे।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, अनपार्लियामेंटरी शब्द का प्रयोग कर रही है। तुम नही कहना चाहिए।

Mr. Speaker: Let us not use such language.

श्रीमति चन्द्रावतीः आई एम सौरी। मैं विदड्रा कर लेती हूं। पुरानी आदत है गलती से निकल गया। मैं आप कह देती हूं।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, हकीकत यह है कि उस इलाके का ये तो सत्यानाश करनी चाहती है लेकिन वह इलाका मेरे मन लगता है। मैं वहीं का रहने वाला हूं हम न सत्यानाश करेंगे और न करने देंगे। (हंसी) इस तरह से ये इलाके की भलाई कर रही है या बुराई कर रही है। (विघ्न)

श्रीमति चन्द्रावतीः आपको उस इलाके की फिकर करने की जरूरत नहीं है।

श्री बंसी लालः मुझे फिक करने की जरूरत इसलिए है मैं उस इलाके का रहने वाल हूं। मेरा उस इलाके पर एतबार है और मुझ पर उस इलाके का इतबार है। मैंने तो उस इलाके को उपर उठाना है। आप तो चाहती है कि इस इलाके का सत्यानाश कर दूं और भटठा बैठा दूं। मगर मैं लुहारू के इलाके के बारे में यह कैसे बरदास्त कर सकता हूं। मैं तो अवश्य ही उस इलाके को उठाउंगा।

श्रीमति चन्द्रावतीः मुख्यमंत्री के बोलने लायक ये चीजे है नहीं। मगर ये बोलते है तो उनकी मर्जी है। मैं वहां से चुन कर आयी हूं जिन लोगों के ये हितैषी बनने का दम भरते है उन लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है बावजूद कुछ लोगों की मुखालफत के।

श्री बंसी लालः वह भी मेरी वजह से।

श्रीमति चन्द्रावतीः बावजूद कुछ लोगों की मुखालफत के, मैं वहां से चुन कर आयी हूं। कई मुख्यमंत्री आये, उन्होंने भी हमारी मुखालफत की। वहां से हारने जीतने की कोई गारन्टी नहीं लेती। पहले भी दो बार हारी हूं।

श्री बंसी लालः सारी उम्र हारती रहोगी। किसी का काम नहीं करोगी तो हारती ही रहोगी।

श्रीमति चन्द्रावतीः तीन बार जीती हूं। आप भी तो कोंसिल के इलैक्शन में हारे थे। अगर फिर हार जाउंगी तो कोई बात नहीं है मैं तो आज भी हारने जीतने की कोई गारन्टी नही करती। लोग वोट देंगे तो खुद जीतूंगी। आप जैसे कई मुख्यमंत्री आये और गये। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहती थी।

श्री ओम प्रकाश गर्गः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। बहिन चन्द्रावती जी पर्सनल बातें कर रही है ये तो बाहर कर लेती तो किसी और भाई को भी बोलने का टाईम मिल जाता।

(इस समय श्रीमति लेखवती जैन बोलने के लिए खडी हुई)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, आपने हुकम दिया था कि चार बजे गिलोटीन लागू कर देंगे लेकिन चार तो बज चुके हैं?

Shri Bansi Lal: I am afraid, we are already late by ten mintues. We will give you more time later. बहन जी फिर टाईम देंगे आपको। आप बोल सकेंगी।

श्रीमति लेखवती जैनः स्पीकर साहब, मैंरे सारे सैशन में ही नहीं बोला हैं। मैं तो उस वक्त ही बोल सकती हूं जब आप चेयर पर है।

श्री अध्यक्षः बहन जी आपको फिर टाईम दे देंगे, कई बिलज है आप उस वक्त बोल लेना। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अब इसके आगे we cannot take any time.....

Shrimati Lekhwati Jain: I must speak for five minutes. मैंने आप को चेम्बर में भी कहा था.....

श्री अध्यक्षः कोशिश की थी, मैं चाहता था कि आप बोलें.....

श्रीमति लेखवती जैनः आप ने उनको टाइम दे दिया जो कई कई बार बोल चुके है.....,

Mr. Speaker: We will give you time a little later.....

श्रीमति लेखवती जैनः लेटर का सवाल क्या है?

श्री अध्यक्षः बिजली बोर्ड की रिपोर्ट और पबिलक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्क्शन होनी है उस पर आप जो चाहें कह दीजिये।

श्रीमति लेखवती जैनः न, न तो मैं बजट पर बोली है....

श्री बंसी लालः अब रहा चेयर और डिप्टी चेयर का मुकाबला, हमारा कोई कसूर नहीं।

श्री अध्यक्षः श्रीमति ओम प्रभा जैन।

श्रीमति लेखवती जैनः स्पीकर साहब, मुझे पांच मिनट दीजिए...

Mr. Speaker: I am sorry. मैं दूंगा, दस मिनट दूंगा.. (विघ्न)

Shrimati Lekhwati Jain: No, I not speak....

Mr. Speaker: All right.

श्री बंसी लालः उनको काल करो.....

श्रीमति लेखवती जैनः नहीं स्पीकर साहब, क्वैश्चन अराइज नहीं होता। मेरा भी हक है मैं यहां पर न तो गवर्ननर के एड्रैस पर बोली... (विघ्न)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, आप उठ कर चले जायें ये.....

श्रीमति लेखवती जैनः स्पीकर साहब, जब डिप्टी स्पीकर खडे हों जाये तो स्पीकर उसे टाईम दे देता है (विघ्न) पहले आप ने मुझे कहा कि 5 मिनट मिल जायेंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Will you kindly take your seat?

Shrimati Lekhwati Jain: I will take my seat.

Mr. Speaker: Please take your seat.

(At this stage Shrimati Lekhwati Jain resumed her seat)

(Interruptions)

Mr. Speaker: Shrimati Om Parbha Jain.(Interruptions) we are already very late, 15 minutes late. After all a decision has been taken. We must important that.

वितमंत्री (श्रीमति ओमप्रभा जैन): माननीय स्पीकर साहब, एप्रोप्रिएशन बिल पर भी कुछ मेम्बर साहबान ने अच्छे सुझाव दिये है। चौधरी रणबीर सिंह जी ने लोन्ज लायबिल्टी की बात कही और अपने आप ही अपनी बात का जवाब भी दे दिया

था। उन्होंने भी इस बात को माना था और मैं सदन की जानकारी के लिए बताना भी चाहती हूं कि हर राज्य के लिए और हर सरकार के लिए अपना काम चलाने के लिए लोन या कर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है चौधरी रणबीर सिहं जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोन्ज लिए जायें, अच्छी बात है लेकिन उनको प्रोडक्टिव परपजिज के लिये इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हाउस की इतलाह के लिये बताना चाहती हूं कि–

Shri Bansi Lal: Including family planning.

Shrimati Om Prabha Jain: Family planning is the biggest investment for the society.

तो मैं यह कहना चाहती थी कि हमारी लोन लायबिलिटीज जितनी 31–3–1970 को थी वह लगभग 179 करोड 16 लाख रूपये की थी और इसमें से 92 करोड रूपये की लायबिलिटी भाखडा, ब्यास व भाखडा राइट बैंक के लिये है। आप अन्दाजा कर सकते है कि 60 परसैंट से ज्यादा कर्जा जो आज भी हमारे उपर है वह भाखडा की वजह से है। उसकी फण्ड कन्ट्रोल स्कीम के लिए 9 करोड रूपये का है। ग्रो मोर फूड स्कीम के लिये 9.55 करोड रूपये का है। प्लान असिस्टैंस में 9.72 का लोन मिला। कर्जे तो लिये जाते है मगर सरकार को यह जरूर देखना चाहिए कि उनकी रि–पेमैंट टाइम पर हो और मुझे यह कहने पर फखर महसूस होता है कि जब भी हमारी कोई इन्स्टालमैंट डयू हुई। हमने उसको टाईम पर रि–पे किया है। बहरहाल, हमने

लौन्ज लिये हैं। नेशनलाईजेशन आफ ट्रांसपोर्ट किया है। आप जानते है कि यह एक प्रोग्रैसिव स्कीम थी और उसके तहत हमको अपनो नई बसें बनाने के लिए भी लोन्ज लेने पडे। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड या आटोनोमस बोर्ड भी लोन लेता है। बहरहाल यह बात उचित ही है कि हमने अपनी पब्लिक सैक्टर की इन्डस्ट्रीज को और नेशनलायड इन्डस्ट्रीज ही है कि हमने अपनी पब्लिक सैक्टर की इन्डस्ट्रीज को और नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज को मजबूत करने के लिये लोन दिये है। स्पीकर साहब, एक दो मैम्बरों ने इस बात का भी जिक्र किया, खास तौर पर गवर्नर एड्रैस पर, जबकि श्री बलवन्त राय जी बोले थे। उन्होंने कहा था कि हरियाणा बहुत हैविली टैक्सड स्टेट है। मैं समझती हूं कि मुझे सदन में इसका उतर देना चाहिए। मैं सदन की सूचना के लिये बताना चाहती हूं कि एज कम्पेयर्ड टू अवर स्टेट इन्कम दो टैक्सिज इम्प्रूव हुए है। एक लैन्ड रैवेन्यू, और एक सेल्ज टैक्स। जहां तक लैन्ड रैवेन्यू का संबंध है हरियाणा में .27 इसका इन्सीडैन्स है एज कम्पेयर्ड टू दी स्टेट इन्कम ओर आल इंडिया लैबल पर इसकी परसैन्टेज .45 है यानि .45 के अगेस्ट हमारे यहां .27 है। सेल्ज टैक्स इन्कम की निरवस्त हमारे यहां 2.35 है जबकि आल इंडिया लैवल पर यह 2. 53 है। तो सेल्ज टैक्स के लिये में खास तौर से आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे इंसीडैन्स बावजूद इसके के हमने रिसीटस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है आल इंडिया के लैवल पर स्टेट इन्कम के मुकाबलतन बहुत कम है। स्पीकर साहब, अभी चौधरी चांदराम जी ने बहुत रचनात्मक ढंग से सुझाव दिये है और मैं उनकी ऐसी

फीलिंग्ज की बहुत इज्जत भी करती हूं जोकि उनकी बैकवर्ड क्लासिज, बैकवर्ड कम्यूनिटीज और बैकवर्ड एरियाज के लिये है। उन्होंने खुद भी माना है और मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार सोशलिस्टक पालिसिज, सोशल जस्टिस, बैकवर्ड एरियाज को उंचा उठाने के लिये पूरी तौर से कमिटिड है। हमने कई ऐसी स्कीमज बजट में इन्टरोडयूस की है चाहे वह गवर्नमैंट आफ इण्डिया की आयी चाहें हमने अपने इनीशियेटिव पर कीं, ताकि रिजनल इम्बैलेन्सिज बढाये गये है। मेरी समझ में नहीं आया कि इनका क्या मतलब था। रिजनल इम्बैलेन्सिज को सकते थे जैसे कोई एरिया इन्डस्ट्रीयली बैकवर्ड है कोई ज्यादा एंडवास है कोई एजुकेशनल ज्यादा बैकवर्ड है कोई ज्यादा एंडवास है कही पानी की कमी है कहीं पानी ज्यादा है। कहीं पर छोटे किसान है उनकी भी बात देखनी है बैकवर्ड एरियाज को भी देखना है स्माल इन्टरप्रैन्योर्ज का भी हमें ध्यान रखना है और मुझे यह बात कहते हुए खुशी होती है कि इस बजट में खासतौर से इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम ऐसी पाकिटस को जो बैकवर्ड है या जो लोग कुछ पीछे रह गये है और ऐसे तबके जिनको सरकार की इमदाद नहीं मिलती है उनको सरकार की तरह से और इन्स्टीच्यूशन्ज की तरफ से ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाएं। प्रोफैशनल टैक्स छोडने का सबसे बडा मकसद यहीं था कि देहात में रहने वाला जो छोटा दस्तकार है चाहे छोटा मोटा काम करने वाला आदमी हे उसके उपर टैक्स का बर्डन पडता है टैक्स का तो इतना बर्डन न भी हो लेकिन उसको एक ख्वामखाह की हैरासमैंट

बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सत्य नारायण जी ने आज भी इस बात को दोहराया कि मैंने जो कल कहा था कि यह नोटिफीकेशन से टैक्स माफ हो जायेगा। आज भी उन्होंने अपने डाउटस प्रकट किये थे और कहा था कि इसके लिये एक्ट में एडमैंडमेंट लानी पडेगी। मेरे ख्याल में जो पंजाब पंचायत समितिज एण्ड जिला परिषद एक्ट है उसमें सैक्शन 74 में यह लिखा हुआ है।

"The Government may by notification, and a Panchayat Samiti may subject to the confirmation by the Deputy Commissiner concerned, abolish reduce or remit any rate, tax or fee imposed under this Act....."

इससे साफ जाहिर है कि इसमें सिर्फ नोटिफिकेशन की आवश्यकता हे और गवर्नमैंट ने जो आन दी फलोर आफ दी हाउस एक वायदा किया हुआ है उसके लिये यह कमिटिड है। स्पीकर साहब, हमने एक बात का खास ख्याल रखा है कि हमारा खर्चा या हमारी प्लान अधिक से अधिक जाब ओरियेन्टिड हो। चौधरी चांदराम जी सुबह यहां आये थे जिस वकत मैं बजट डिसक्शन को वाइन्ड अप किया था और मैंने बतलाया था कि हमारे यहां स्किल्ड लेबर जैसे ओवरसीयर्ज और इन्जीनियर्ज है एज कम्पेयर्ड टू दी कन्ट्री, तकरीबन सात आठ सौ पिछले साल ज्यादा रिकूट किये गये है। इनमें इन्जीनियर्स भी काफी मात्रा में भरे गये है। और हरियाणा में जो इतनी डिवेलपमेंट हो रही है उसमें अन–स्किल्ड लेबर को जिस तरीके से जोब मिली है। वह एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम रहा है। पीडब्ल्यूडी वाले मुझे बतलाते थे

कि जो सडकों का डिपार्टमैन्टल काम हो रहा ह उसमें 50000 से भी ज्यादा लेबर लगी हुई है। इस बात से आप अन्दाजा कर लीजिये कि पीडब्ल्यू में 50000 की लेबर लगी हुई है। इरीगेशन में जो इतना बडा काम चल रहा है उसमें भी हजारों लोगों को एम्पलायमेंट मिली हुई है और इसके साथ ही साथ हमने तो जैसी प्राइम मिनिस्टर की पालिसी है कि स्माल डिवैल्पमैंट एजैन्सी और सब–मार्जिनल फार्मर्ज डिवैल्पमैंट एजैन्सी दो स्कीमें इन्ट्रोडयूस कर दी है अम्बाला जिला के अन्दर और गुडगांव और हिसार में। हम यह चाहते है कि जिसके पास दो एकड जमीन हो या उससे भी कम जमीन है उसके लिये और एग्रीकल्चरल लेबर के लिये भी स्कीम है उनके लिए हम दूसरे एलायड एग्रीकल्चर सब्जैक्टस पपर पूरी इमदाद हासिल करें। चाहे डेयरी के लिये लोन देना हो, पोल्ट्री के लिये लोन देना हो या और छोटे मोटे काम धन्धों के लिये उनको लोन देना हो और जो अढाई एकड से सात एकड जमीन वाले भी किसान है उनको भी गवर्नमेंट मैंने सुबह बताया था लगभग 18 करोड का इन्स्टीच्यूशनल लोन अगले कुछ सालों में प्रोवाइड करने वाली है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि हम ऐसे तबके को भी उंचा उठायें।

हरिजन वैल्फेयर कारपोरेशन की चर्चा तो बहुत सालों से चल रही थी लेकिन उसकी रूप रेखा अब ठीक से बन गयी है और 2 करोड रूपए की लागत से यह कारपोरेशन बन रही है। माईनर इर्रिगेशन कारपोरेशन जो यहां बन गई है का यही मतलब

है कि डीप टयूबवैल्ज लगा करके जो फार्मर्ज अपने खेतों में टयूबवैल्ज नहीं लगा सकते है या बैकवर्ड एरियाज जो हैं वहां टयूबवैल लगा करके छोटे लोगों को खेती के साधन दिये जाये। हमने प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर का भी उचित और समुचित रूप से प्रबन्ध किया है। मैंने सबुह भी बतलाया था कि हमारे यहां कई कारपोरेशन्ज काम कर रही है और वह बहुत साउन्ड फुटिंग पर आ गयी है। जैसे हमारी इन्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन से पब्लिक सेक्टर में तीन बडे बडे कारखाने लगाए है और वह काफी एडवासं स्टेज पर आ गयी है। इसके अतिरिक्त दो और कोओप्रेटिव शुगर मिल्ज भी यहां पर लगाई जाएगी। यहां पर ग्रेनुलेटिड फर्टीलाइजर का भी एक प्लांअ लगने वाला है। आप इन बातों से अन्दाजा कीजिये कि हम पब्लिक सैक्टर को पूरे तौर पर स्ट्रैंथ करके यहां की इकानौमी को डिवैल्प करना चाहते हैं। साथ ही जो कोई छोटे फार्मर्ज है समाल इन्टरप्रैनयोर्ज है या प्राइवेट एन्टरप्रेनयोर्ज है उनके लिये हमारी जो मिक्सड इकानौमी की पालिसी है उसको पूरे ध्यान में रखा जाता है। स्पीकर साहब, चौधरी चांदराम ने आपसे हरिजनों के बारे में जिक किया था। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हरिजनों को अप्वायंटमैंट में रिजर्वेशन व प्रोमोशन का ख्याल रखा जाए। मेरे विचार से उस केस पर बहुत जल्दी ही निश्चय होने वाला है। उसके काफी कागज मुकम्मल हो चुके है। सरकार का यह विचार है कि हरिजनों को और लैंडलैस लोगों को और बैकवर्ड कलाजिस को जो पहले जमीन खरीदने के लिए सरकार ही तरफ से लोन

मिल जाया करता था वह स्कीम अबनडन हो चुकी थी। हम उसको भी रिवाईव करना चाहते है ताकि ये गरीब लोग थोडी बहुत जमीन सरकार की इमदाद से लोन वगैरह लेकर खरीद सकें। स्पीकर साहब, मुझे तो आपसे बजट के बारे में इतना ही कहना है कि इसमें बहुत ध्यान रखा गया है कि हम अपनी पुरानी कमियों को दूर करें। इसके अलावा हाउस में ही नहीं, हाउस के बाहर भी यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा सजैशन देंगे जिससे कि हमारी समाजवाद की बात पूरी हो सके और उसके द्वारा कुछ पिछडे हुए लोगों को जो अभी तक निगलैक्टिड रहे है उंचा उठा सकें, मैं ऐसे सुझाव का हमेशा स्वागत करूंगी। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जयहिन्द।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

The motion is carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE-2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2, stand part of the Bill.

CLAUSE-3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3, stand part of the Bill.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule stand part of the Bill.

The motion is carried.

CLAUSE-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1, stand part of the Bill.

The motion is carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion is carried.

Shrimati Om Prabh Jain: Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion is carried.

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Labour Minister (Shri Harpal Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 1971.

Shri Harpal Singh: I beg to move-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at one.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at one.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at one.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause be clause.

CLAUSE-2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1, stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Harpal Singh: Sir, I beg to move-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB CO-OPERATIVE SOCIEITES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Development Minister (Shri Sarup Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1971.

Shri Sarup Singh: I beg to move-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at one.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at one.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो पंजाब सहकारी संस्था हरियाणा संशोधन विधेयक पेश किया है यह हरियाणा के अन्दर सहकारी संस्थाओं में सुधार के हित में ही है। संस्थाओं में कुछ खराबियों भी चलती है और वह उनमें मौजूद भी है मगर एक बात जो देखने वाली थी वह यह है कि रिजर्व बैंक ने हमारी स्टेट के लिये और स्टटों की तरह एक हदबन्दी मुकर्रर की है कि हम उससे कितना पैसा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए यह देखना जरूरी था कि स्टेट सहकारी बैंकों का, व संट्रैल बैंक की कितनी हिस्से की रकम है या कितनी वर्किंग कैपिटल है।

(इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य प्रिंसिपल ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

सभापति महोदय, जैसे मैंने पहले बिल पर भी कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार हमारे प्रदेश को बढावा देने के लिये काफी इमदाद कर रही है लेकिन कई बातों में हम अभी तक पिछड रहे है। पिछले सालों में जितना रूपया हम हासिल कर सकते थे उतना रूपया हासिल नही किया गया, इस बात के पीछे सैंट्रल बैंक, स्टेट सहकारी बैंक और सोसाइटियों की भी खराबी थी। इसके साथ साथ आप जानते है जैसे कि हमारे यहां शुगर केन फैक्ट्रीज है सहकारी संस्थाएं है ये वहीं कामयाब हो सकती है जहां की संस्था के सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों उन्हें एक दूसरे का ज्ञान हो। अब सहकारी गन्ना मिलों में हजारों हिस्सेदार होते हैं वे एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इस बात के नतीजे के तौर पर आज हम क्या देखते हैं? हम देखते है कि हमारी जो गन्ना सहकारी मिलें है उनके या तो चुनाव हुए ही नहीं है और उनके हिस्सेदारों ने मिलकर बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज का चुनाव ही नही किया है। यह माना गया है कि वे लोग इनका इन्तजाम नही कर सकते आज होता क्या है? जो मिल का मालिक बना बैठा है उसका कोई हिस्सापती नहीं है। मैं किसी बडे अफसर या छोटे अफसर का नाम नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि पीसीएस या आईसीएस जो अफसर है उनको वहां रहने का एक बार मौका जरूर मिले। रोहतक गन्ना मिल के बारे में मैं जानता हूं कि वहां एक साल में 19 लाख रूपया का घाटा हुआ था और उस साल उसके अन्दर सरकार के आईसीएस और पीसीएस अफसरों का दखल था।

सभापति महोदय, वे जो कुछ करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार द्वारा बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज एक दफा लगा दिए जाते है उसके बाद उनको हटाने का तो अधिकार है लेकिन कानूनी तौर पर एक ऐसी पोजीशन है कि वे जो कुछ करें, ठीक माना जाएं सरकारी तौर पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है चाहे अच्छा करें या बुरा करें। और न लोग ही कुछ कर सकते हैं। यह हालत सिर्फ हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि जो हमारे पडौसी प्रदेश पंजाब तथा यूपी है वहां भी यही हालत है उन बडी बडी सहकारी संस्थाओं के पीछे जो भावना होती है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है और वह रह भी कैसे सकता है क्योंकि वहां एक मेम्बर दूसरे को जानता तक नहीं है। हमारी सरकार उनमें एक हिस्सेदार है किसी में बीस लाख की, किसीमें कुछ कम की, किसी में फालतू की और उस हिस्से में से कुछ वापिस लेने देने की बात होती है और कर्जे के लिए हमारी सरकार उनकी गारंटीयर होती है। लाखों रूपए का उनका बजट होता है करोडों रूपए की बात है लेकिन कहीं पर कोई दखल नहीं है सदन के अन्दर कभी कोई बात उनके संबंध में नहीं आती। इसलिए मैं विकासमंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां वे इस बात की कोशिश करें कि हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पैसा आए वहां इस बात का भी ध्यान रखें कि जो सरकारी संस्थाएं है जो चल नहीं सकती, जो गन्ने की फैक्टियां है वे स्टेट पब्लिक सेक्टर में आनी चाहिए जिससे जो उनके कर्मचारी होगें उनकी कुछ जिम्मेदारी तो होगी उनका कुछ बिगाडा जा सकेगा, इस सदन के अनदर रिपोर्ट आएगी,

कोई बहस होगी, अब तो कोई हिसाब नहीं है कोई पूछताछ नहीं है।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। आप भी जानते है और हरियाणा का किसान भी अच्छी तरह जानता है कि किसान खाद बहुत बढिया खाद हे। बिजली की कमी की वजह से किसान को खाद की कमी रही। अभी पन्द्रह बीस दिन के भीतर अखबारों में एक बहस–मुबाहसा चला। हमारी सरकार ने कहा होगा कि हमें किसान खाद कम मिली है। फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया जो कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट का अदारा है। उसके मनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हमारी स्टेट सरकार की सोसायटियों ने जितना किसान खाद मांगा उन्हें अलाट किया लेकिन वह उठाया नहीं गया। उसके अन्दर पैसा नहीं मिला या उनकी खरीदने की शक्ति नही थी। उसमें से कोई बात हो सकती है लेकिन मैं मानता हूं कि शायद यह बात सही नहीं। सरकार भी पैसा दे सकती थी और उनको भी सैंट्रल बैंक से या दूसरे बैंक से पैसा मिल सकता था। इससे हमारे प्रदेश को कितना नुकसान हुआ। आज हालत यह है कि किसान को खाद नहीं मिलता। मुझे मालूम है कि रोहतक के अन्दर काफी पुराना खाद पडा था उसको भी उठा लिया गया क्योंकि मिलता नहीं थी। आज हर सूरत में कोशिश करने के बावजूद भी वह नहीं मिलता। सभापति महोदय इसी सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं ब्यौरा नही दूंगा क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाएगें। एक जिक

आया स्टेट मार्किटिंग फेडरेशन का। कोई चिटठी निकली कि एक खास किस्म का खाद खरीदा जाए लेकिन स्टेट मार्किटिंग फेडरेशन ने उसको खरीदना नहीं चाहा। लेकिन बम्बई से कोई एजेन्ट का सवाल था, रगडे–झगडे की कोई बात थी। अदालत में भी वह गया। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। सरकार का दवाब डाला गया कि उसे खरीदा जाए। इस विषय में मेरा कहना यह है कि जिस खाद को लोग नहीं चाहते उस खाद को क्यों खरीदा जाएं। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते है कि जिस तरह गोबर का खाद है उसी प्रकार का किसान का खाद है। उसे चाहे किसी हालत में जमीन में डाल दो लेकिन वह नुकसान नहीं पहुंचाता। इस खाद की विशेषता यह है कि चाहे इसे सूखे में डाल दो, बरसात के बाद डाल दो, बरसात से पहले डाल दो, नुकसान का कोई डर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस खाद को हमारा किसान चाहता हैं और जो फसल के लिए बहुत फसल के लिए बहुत अच्छा है उसको लेने में हम पीछे रहें और जिस खाद की बिक्री में भी शक है किसान जिसको लेना नहीं चाहता, उसको खरीदे जाने की कोशिश की जाए। इस चीज की रोकथाम होनी चाहिए। कोआप्रेटिव फैडरेशन्ज हैं या सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट है उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक और बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमें एक प्रथा डालनी चाहिए कि आज सैंट्रल

बैंक और दूसरी जितनी ऐपिक सोसायटीज है उनके अन्दर सरकार हिस्सेदार है और सरकार के पैसे के बारे में कि वह पैसा सही तौर पर इस्तेमाल होता है या नहीं, इस सदन में बहस होनी चाहिए। जो बडे बडे अदारे हैं जैसे स्टेट कोआपरेटिव बैंक, स्टेट मार्किटिंग फैडरेशन, बल्कि मैं तो और भी आगे जाना चाहता हूं कि सेन्ट्रल बैंक की भी रिपोर्ट यहां पर आनी चाहिए। ताकि हम उनकी कुछ मदद कर सकें, महकमें को कुछ अच्छे सुझाव दें सकें। गन्ने की सहकारी मिलें रहती है। जिनमें लाखों करोडों रूपए का लेन–देन इधर से उधर होता है। इस सदन में उनकी रिपोर्ट रखी जाए ताकि सदन को मौका मिले कि कुछ अच्छे सुझाव दे सकें। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक अटानोमस बाडी है उसके अन्दर हमें वोट देने का अधिकार नही है। कोआप्रेटिव सोसायटीज एक्ट या किसी खास एक्ट के तहत उनके काम काज को देखा जाए और इस सदन के द्वारा उनको नए सुझाव तथा एक अच्छी किस्म की इमदाद मिल सकेंगी। सरकार जो भी कानून लागू करें उसें एक मजबूत इरादे से करें।

चौधरी चांदराम (बाबैन, एस0सी0): चेयरमैन साहब, कोआपरेटिव मूवमेंट एक वालैन्टरी मूवमेंट है लेकिन इसको इतना ब्योरोक्रेटिक और अफसर शाही बना दिया है कि कोई भी कोआपरेटिव सोसायटी बगैर अफसरों के चल ही नहीं सकती। इस मुल्क में कोआपरेटिव तहरीक चली थी और दूसरे मुल्कों में भी यह तहरीक चली थी लेकिन वहां पर अफसरशाही का नाम तक

नहीं है। लेकिन आज हिन्दुस्तान में यह हालत है कि अगर कोई कर्जा भी लेना हो अथवा कोई और काम कराना हो उनके दस्तखत के बिना वह काम नहीं होता। हम कहते हे कि हमारा किसान तरक्की करें और इस तरक्की के लिए उसको पैसा चाहिए, खाद चाहिए और ये सारी चीजें कोआपरेटिव सोसायटी के जरिए मिले लेकिन इन्सपेक्टर नही होगा जिसके पांच–सात रूपये महीने के इन कोआपरेटिव सोसायटी से न बंधे हों। जो उनको पैसा देते हैं लैंड मार्टगेज बैंक्स हैं कहीं सैन्ट्रल बैंक्स हैं और एपिस बैंक्स है। उनको कई तरीकों से आप फाइनेंस करते है लेकिन जब तक आप उन के लिए अपने पैरों पर आप खडा होने वाली बात पैदा नहीं करेंगे उनके उपर एतबार पैदा नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं देहातों में सुधार करने की बात आप नहीं कर सकते। (विघ्न) हम ने सैक्रेटरीज वगैरह को पूछा भी है हम ने उससे कहा कि आप ने ऐसे कानून बना रखे हे कि आपने कोआपरेटिव को कोई अखित्यार ही नहीं दिया। आपको हमने नदाना गांव के बारे में एक चिटठी भी दी थी कि वहां पर हरिजनों को कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने की मन्जूरी दी जाए बावजूद इस बात के कि पहली सोसाइटी डिफैक्ट हो चुकी है दूसरी सोसाइटी दो साल हुए बनने नहीं दी। इसके बारे में मिनिस्टरों से सिफारिश भी करवा ली लेकिन वह कह देते है कि तुम तो हरिजन ही हरिजन हो इसलिए ऐसी सोसायटी नही बन सकती। हमारा जो हिन्दुस्तान का समाज है इस में पोडियों की तरह दर्जे है एक क्लास बडे जमींदारों की है और दूसरी दरम्याने दर्जे के जमींदारों की है और

तीसरे छोटे जमींदारों की है और एक क्लास वह है जो दस्तकारों की है एक क्लास हरिजनों की है वह भी कुछ दस्तकारी का काम करते थे लेकिन उनके साथ समाज का व्यवहार कुछ ऐसा ही होता है। नागपुर में कांग्रेस का सैशन हो रहा था वहां जब रेजोल्यूशन पास होने लगा था तो मैंने उस की मुखालफत की थी कि आप कैसी बात कर रहे हैं। हरेक वर्ग की अलहदा अलहदा जरूरत होती है। इस में आप ने कापलोन का जिक्र किया है। इसके लिए मैं आप को एक सुझाव देता हूं। जमींदारों के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है क्योंकि उसके पास जमानत देने के लिए जमीन है। जिस वक्त कन्सालिडेशन हुई थी तो उनकी एक किताब मिली थी जिसके उपर नम्बर वगैरह सब लिखे हुए हैं। जब उन्होंने कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लेना हो तो उस कापी को दिखा कर उनको कर्जा मिल जाना चाहिए, बीच में इन्सपैक्टर या सबइन्सपैक्टर को लेने की क्या जरूरत है। किसी हरिजन के पास तो जमीन न होगी लेकिन उसके पास तो जमानत है जमीन की। यह मैंने पहले भी सुझाव दिया था। यह चीज अगर करा दी जाए तो उनकी मुश्किल काफी हल हो जाती है। करनाल में जमींदारों को कर्जा मिला लेकिन सौ डेढ सौ रूपया रिश्वत लेने से पहले किया को उन्होंने कर्जा नहीं दिया। मैं इस बात को जानता हूं कि यह चीज किसी कानून और कायदें में लाने वाली नहीं है लेकिन हमने देखना है कि हमारी वर्किंग कैसी है कितनी स्पीड है। जो जो बातें उनके रास्ते में सहूलियत लेने में रूकावट डालती है उसमें सुधार करना हमारा फर्ज बनता हे आज हम

उनको कहते है कि अपनी पैदावार बढाओ लेकिन जरूरत के वक्त न उनको खाद मिलता है, न बीज मिलता है और नहीं पानी मिलता है। इसलिए तरक्की कैसे हो सकती है और वह पैदावार कैसे बढा सकते हैं। आज का कर्मचारी उनके लिए हर तरह से रूकावट बना हुआ है और वह कहता हैं कि जब तक मेरी खुशामद नही होगी मैं काम नहीं चलने दूंगा। मैं यह बातें नुक्ताचीनी के तौर पर नहीं कह रहा बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए कह रहा हूं। यह जो आपका कानून है कि गांव में एक सोसाइटी हो इसको आप तोडों क्योंकि हरके वर्ग की अलग अलग जरूरत है। आपने औबजैक्ट तो अच्छा लिखा है—

".....The object of this Bill, in brief, is to improve the working of the co-operative societies by preventing domination by vested interests, providing representation to members of Scheduled Castes and speedy recovery of co-operative dues, etc."

बात तो अच्छी है क्योंकि कोई भी कोआपरेटिव सोसायटी जो बनेगी उसके सुन्दर आब्जैक्टस होगे। लेकिन एक सोसायटी जिसमें 11—12 डायरैक्टर्ज होगें उसमें अगर एक हरिजन बना दिया जाए तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उसमें डौमिनेशन कैसे खत्म हो जाएगी। मेरे भाई वैल्फेयर मिनिस्टर साहिब ने कह दिया है कि वह अपने दिल में हरिजनों के लिए ज्यादा हमदर्दी रखते हैं। तो यह कोई खराब बात नहीं है अच्छी बात है। लेकिन अगर वह ज्यादा हमदर्दी रखते हैं तो उनको फिर

इस कमी को दूर करना चाहिए वर्ना 11–12 मैम्बरों में अगर एक हरिजन बैठा दिया जाए तो उससे हरिजनों का भला नहीं हो सकता। सन 1962 में कांग्रेस का सैशन हुआ था और वहां पर यह फैसला हुआ था कि जो वीकर सैक्शन्ज है सोसायटी के उनको जो रिजर्वेशन की परसैन्टेज सर्विस मे ंमिलती है उतनी रिजर्वेशन की परसैन्टेज इन्डिविजुअल फैसिलिटीज में भी मिलनी चाहिए। आप सब कोआपरेटिव सैक्टर में ही देख लीजिए कि जितने आप कर्जे देते हैं उनमें से कितने परसेंट गरीबों को मिलता है। फिर आपको पता लग जाएगा कि उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप उनका भला चाहते है तो आप उनकी सोसायटीज ही अलग बनवाएं। वैसे उनको आपने कोई सैकेटेरी वगैरह देना है तो बेशक दे दीजिए। आज पुरानी परम्परा वाली बात जो है वह ठीक नहीं है और उसको खत्म करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके अन्दर एक तो आप ऐसे करें कि हरिजनों के लिए आप पासबुक्स बनादें और उसमें मैक्सीमम क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करदी जाए ताकि जब उनको कर्जा लेने की जरूरत पडे वह जाकर आसानी से ले सके। आपको उनके उपर ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे याद है यहां पर जापान से एक बैंकिंग की टीम आई थी। यह बैंकों के नेशनलाइज होने से पहले की बात है। उन्होंने उस वक्त यह सवाल पूछा था कि आपके यहां डैड लोन्ज की क्या परसेंटज होती है तो उनको यह बताया गया कि हाफ परसेंट के करीब होते हैं। यह बात सुनकर उनका यह रिमार्क था कि जब आपके यहां इतने कसाईपने में रिकवरी होती है तो

उसका मुल्क तरक्की कैसे करेगा और जो मेहनत करने वाले लोग है वह कैसे उपर उठेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेहनत करने वाले लोग है आप उनके उपर ट्रस्ट करो, अगर कहीं पांच परसेंट आपका पैसा मर भी जाता है तो कोई बात नहीं।

मुझे यकीन है कि कोई नहीं मारेगा, लेकिन गवर्नमेंट गारंटी तो दे। जहां लाखों करोडों रूपया पब्लिक सैक्टर में जाया हो जाता है अगर कुछ हजार गरीबों के नाम पर जाया हो भी जाये अव्वल तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं कि ऐसा होगा तो कोई बात नहीं। यह तजुरबा करना चाहिये और उन लोगों पर ट्ररूट करना करने का तजुरबा करना चाहिए। गरीब को इस तरह जंजीरों से न बांधों उसकी जंजीरें ढीली करो उसे कुछ फ्रीडम दो ताकि वह भी समझे कि वह इस देश का बाइज्जत बाशिंदा है और वह काबिले एतबार है। अगर कोई दस आदमी इक्टठे होकर एक और सोसायटी बनाना चाहें तो मैं पूछता हूं कि रजिस्ट्रार किस कानून के तहत बनने से रोक सकता है और सोसायटी रजिस्टर नहीं करेगा। जब लैजिस्लेचर ने पास कर दिया कानून बना दिया कि 10 से ज्यादा आदमी सोसायटी बना सकते है तो रजिस्ट्रार कैसे आर्डर कर सकता हैं कि नहीं बन सकती। अगर वह ऐसा करता हैं तो मैं कहता हूं कि यह कंटैम्पट आफ दि लैजिस्लेचर होगी। या तो आप यह बात कानून में लाये लेकिन अगर आप इसे कानून में लाते नही और एग्जैक्टिव आर्डर करके नल्लीफाई करते हैं तो यह बात ठीक नहीं है। अगर आपने लोगों को गाइडैंस देनी है तो

उनके फ्रैंड फिलास्फर और गाइड बनो न कि कोआपरेटिव के अफसरों को मालिक बना दो। ब्योरोक्रेसी पर ही डिपैंड करने से काम चलता नहीं है। यह कहते हे कि हरी क्रांति आ गई है। ठीक है आ गई है लेकिन इसमें सरकार की ज्यादा मदद नही है जमींदारों की अपनी हिम्मत से आई है। आप मुझे कोई एग्रीकल्चर इनस्पैक्टर किसानों के खेतों में जाकर उनको गाईडैंस देता हो और डिमांसट्रेशन देता हो बतादे। हां बडे जमींदारों के पास तो जरूर जायेगा क्योंकि उसे वहां रोटी मिलेगी बिस्तर मिलेगा कुछ पीना पिलाना भी होगा और वह अपना दौरा भी दिखा देगा..... (कृषि मंत्री की आरे से विघ्न) ..... मेरे वक्त में भी होता था और यह आपकी नुक्ताचीनी नहीं है इसकी जिम्मेदारी हमारे उपर भी है सारे समाज के उपर है लेकिन इन चीजों को दूर करना ही पडेगा तब ही लोगों की लेटैंट शक्तियां रीलीज होगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये है उनकी तरफ विकासमंत्री महोदय पूरा ध्यान देंगे और अगर किसी दूसरी सोसायटी बनती है तो बनने दें उस पर रोक नं लगायें।

विकासमंत्री (श्री सरूप सिंह): चेयरमैन साहब, यह जो अमैंडिंग बिल है इसकी स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज को अगर चौधरी चांदराम पढ लेते तो यह सारी बातें न कहते और इस बिल का सारा मुददा समझ लेते। यह ठीक है कि यह बडी लम्बी चौडी मूवमेंट है और इससे वीकर सैक्शन्ज को काफी फायदा हो सकता है। इसमें जो अमैंडमेंट लाये हैं उसमें सब से

अहम बात यह लाये हे कि वीकर सैक्शन्ज आफ सोसायटी और खासतौर पर शैडयूल्ड कास्टस को मैंनेजिंग कमेटीज में हिस्सा दिया जाये और उनका मैंबर बनाया जाये। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि एक गांव में दो सोसायटियां क्यों नहीं होने देते। अगर यह देखने की तकलीफ करते तो उनको पता लगता कि वह भी अमैंडमेंट इस बिल में है।

चौधरी चांद रामः इसमें वह बात नहीं है इसमें तो आपने यह किया है कि अगर कोई बडी सोसायटी बनी है तो उसकी दो तीन बनाई जा सकती है और दो या तीन सोसायटियों को अमैलगामेट करके एक बनाई जा सकती है लेकिन मेरा कहना तो यह है कि ऐसा तो हो मगर नई बनाने पर पाबंदी क्यों हो?

श्री सरूप सिंहः पहले यह था कि अगर एक सोसायटी का मैंबर दूसरी सोसायटी में जाना चाहे तो नहीं जा सकता था लेकिन अब इस बिल के जरिये इजाजत होगी कि अगर वह दूसरी सोसायटी का मैंबर बनना चाहे तो बन सकता है। इसके इलावा यह अमैंडमेंट वैस्टड इन्ट्रैस्टस खत्म करने के लिए लाई गई है। यह एक्ट 1961 में बना था उसके बाद चीफ मिनिस्टर्ज और कोआप्रेशन मिनिस्टर्ज की कानफ्रैंसिज हुई और उसमें महसूस किया गया कि इस मूवमेंट के अन्दर वैस्टड इन्ट्रैस्टस बहुत पैदा हो गये है जिन्होंने कई कई सोसायटियों पर काबू किया है कई सालों से वह इस तरह चलते आ रहे है और वीकर सैक्शन्ज को पूरा फायदा उठाने का मौका नही मिलता है। इसलिये इस बिल के

जरिये पाबन्दी लगा दी गई है कि एक आदमी तीन सोसायटियों की मैंनेजिंग कमेटियों से ज्यादा का मैंबर नहीं बन सकेगा और दो से ज्यादा टर्म का नहीं बन सकेगा। इसके अलावा आप जानते है कि सोसायटीज अपने बाई लाज बनाती है अगर महकमा समझता है कि उनमें कोई तरमीम करना जरूरी है और वह सोसायटी के इन्ट्रैस्ट में है तो भी वह नहीं बनाती है और तरमीम नही करती है तो अब यह किया है अगर महकमा ऐसा करना जरूरी समझता है तो वह कर सके। इसी तरह बाकी दूसरी अमैंडमेंटस है। चांदराम जी ने एक बात कही कि हरेक किसान को पास बुक दी जानी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस मूवमेंट में यह जो खराबियां थी बोगस सोसायटियों की और बोगस कर्जों की इनको जड से दूर करने का इस बिल के जरिये यत्न कर रहे है। मैं बताना चाहता हूं कि उस डायरेक्शन में हमने कदम उठा लिया है और सारी स्टेट में चैक सिस्टम चालू कर दिया है जो सोसायटी बैंक की ब्रांच के पांच मील के अन्दर है वहां सारी स्टेट में यह सिस्टम लागू हो जायेगा। हरेक आदमी के पास पास बुक होगी और उस पर उसकी फोटो होगी और किसी तसदीक बगैरह करवाने और उस पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक दो बातें चौधरी रणबीर सिंह जी ने कही और उनका इस बिल से कोई ताल्ल्तुक नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। उन्होंने किसान खाद की कमी की बात कही। इस कमी की वजह से कोआप्रेटिव सैक्टर में खाद फैक्टरी लगाना चाहते है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कोआप्रेटिव मार्किटिंग फैडरेशन कोई खास

किस्म की खाद अपनी मर्जी से खरीदती है जो किसान नहीं चाहते। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है अगर उनके पास ऐसा कोई शिकायत आई हो तो वह मेरे पास भेज दें और जो खाद जमींदार चाहेंगे वहीं खरीदी जायेगी और जो एग्रीकल्चर महकमा एग्रीकल्चर का है कोआप्रेटिव वाले तो खाद बांटने वाले है। जो एग्रीकल्चर वाले कहते है कि फलां खाद अच्छी है वही तकसीम करते हैं। शुगर मिलों के बारे में चौधरी रणबीर सिंह ने कहा कि यह बहुत बडी बडी सोसायटियां हो जाती है लोगों को इन्ट्रैस्ट नहीं होता है वाकफियत नहीं होती है। वगैरह वगैरह और यह कि यह पब्लिक सैक्टर में होनी चाहिये। लेकिन इस बारे में काफी रायें हैं। किसी का ख्याल है कि पब्लिक सैक्टर में हो चांद राज जी कहेंगे इस तरह अफसरों का ब्योरोक्रेसी का होल्ड हो जायेगा और किसी का ख्याल है कि यह कोआप्रेटिव सैक्टर में होनी चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शुगर मिलों का अनपढ किसानों से और लेकर से वास्ता पडता है इसलिये इनका कोआप्रेटिव सैक्टर में होना जरूरी है और वहां ही यह मुफीद साबित हो सकती है बजाये पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर के। 5.00 PM चेयरमैन साहब, यह मोटी मोटी बातें है जिन के लिए यह अमैंडिंग बिल लाया जा रहा है। यह बडा इंनोसैंट है वीकर सैक्शनज को बडा फायदा है। जैसा चौधरी चांद राम जी ने कहा कि डेली वरकिंग स्मूथ होनी चाहिए। इस बिल से डेली वर्किंग स्मथ होगी। मैं सदन से उम्मीद करता हूं कि सदन इस बिल को एक राय से पास करेगी।

Mr. Chairman: Question is-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at one.

The motion was carried.

Mr. Chairman: The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE-2

Mr. Chairman: Question is-

That clause 2, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-3

Mr. Chairman: Question is-

That clause 3, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-4

Mr. Chairman: Question is-

That clause 4, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-5

Mr. Chairman: Question is-

That clause 5, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-6

Mr. Chairman: Question is-

That clause 6, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-7

Mr. Chairman: Question is-

That clause 7, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-8

Mr. Chairman: Question is-

That clause 8, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-9

Mr. Chairman: Question is-

That clause 9, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-10

Mr. Chairman: Question is-

That clause 10, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-11

Mr. Chairman: Question is-

That clause 11, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-12

Mr. Chairman: Question is-

That clause 12, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-13

Mr. Chairman: Question is-

That clause 13, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-13

Mr. Chairman: Question is-

That clause 13, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-14

Mr. Chairman: Question is-

That clause 14, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-15

Mr. Chairman: Question is-

That clause 15, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-16

Mr. Chairman: Question is-

That clause 16, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-17

Mr. Chairman: Question is-

That clause 17, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-18

Mr. Chairman: Question is-

That clause 18, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-1

Mr. Chairman: Question is-

That clause 1, stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Sarup Singh: I beg to move-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

चौधरी चांद रामः चेयरमैन साहब, इसके बारे मैं एक सुझाव दूंगा। इस बिल को अमैंड करने से कोई कम्पलीकेशन्ज पैदा हो जाएगी। गांव की वर्किंग में देखा गया है कि कोआप्रेटिव सोसायटी का सैक्रेटरी, सोसायटियों में रहने का बडा इच्छुक होता है। तकरीबन 8 जमात पास होता है और थोडी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। इसको रजिस्ट्रार, कोआप्रेटिव सोसायटी अप्वायन्ट करता है। ये लोग बहुत हेराफेरी करते है। ताज्जुब की बात है कि रोहतक जिले में कंसाला गांव को कोआप्रेटिव सोसायटी के सैक्रेटरी ने, रतीराम नाम के आदमी से जो कि सोसायटी का खजान्ची था, आठ दस हजार रूपया ले लिया और खजान्ची का

अंगूठा लगवा लिया। सोसायटी का खजान्ची एक अनपढ आदमी है उससे हेराफेरी करके सैक्रेटरी ने रूपया ले लिया और उस रूपये की रिकवरी उसी से हो रही है। वह खजान्ची कहता है कि मुझे रूपया दिया ही नहीं और मेरे से अंगूठा लगवा लिया। जब उस सैक्रेटरी की शिकायत हुई तो उसको वहां से बदल दिया गया। उसकी शिकायत को अढाई साल हो गये है। अढाई साल से यह किस्सा चल रहा है। आडिट हुआ, इन्स्पैक्टर की रिपोर्ट है कि इस आदमी ने पैसा नहीं लिया लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। एक आदमी जिसके अगैस्ट इतने सीरियस ऐलीगेशन्ज हो जो एक अनपढ आदमी का नाजायज फायदा उठाता हो और जिसके बारे में इन्स्पैक्शन बुक में रजिस्ट्रार की रिपोर्ट दर्ज हो कि उस आदमी ने गलत काम किया है उसके अगेस्ट एक्शन न लिया जाए तो बहुत बुरी बात है। कोई इन्कवायरी नहीं करता और वह आदमी अब तक नौकरी में चल रहा है। अब तो सब सैक्रेटरी करने लग गये है। चाहे कोआप्रेटिव सोसायटी का सैक्रेटरी हो चाहे सरकार का सचिव हो, सब इस तरह से काम करने लगे है। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, शायद इससे इकोनोमी भी हो जाएगी और काम समूथली चलेगा। ग्राम सेवक, पंचायतों के सैक्रेटरी और कोआप्रेटिव सोसायटियों के सैक्रेटरीज का एक ही सैक्रेटरी कर दे। अगर ऐसा कर देंगे तो कई फायदों होंगे। एक तो एरिया कम हो जायेगा, दूसरे एक गांव में एक हीआदमी सैक्रेटरी होगा, तीसरे तीन आदमियों की बजाये एक ही आदमी को तनख्वाह देनी पडेगी, इससे इकोनोमी

होगी। इसके अलावा अगर एक आदमी होगा तो उसे एग्रीकल्चर लेबर से डील करना पडेागा। गावं गांव में एजेंसियां होगी जिनका हिसाब किताब करना पडेगा। इस तरह वह आदमी काफी तजुर्बेकार बन जायेगा। इससे इकोनोमी भी होगी। यह मेरा सुझाव है अगर आप मेरे सुझाव पर विचार करलें तो मैं आपका मशकूर हूंगा।

विकास मंत्री (श्री सरूप सिंह): चेयरमैन साहब, अब चूंकि बिल की क्लासिज पास हो चुकी है इसलिये कोई अमैंडमेंट नहीं लाई जा सकती। जहां तक चौधरी चांदराम के सुझाव का ताल्लुक है इनहोंनें कहा कि सैक्रेटरी को महकमा लगाता है यह गलत बात है—महकमा सिर्फ ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद वे सोसायटियों के मुलाजम बन जाते है। जहां तक कंसाला गांव की सोसायटी में आठ हजार रूपये की हेराफेरी होने का ताल्लुक है इस केस को अच्छी तरह से देखेंगे और तसल्ली करवायेंगे कि कौन अपराधी है। अब इस किस्म के केस नहीं होगे क्योंकि झगडा खत्म कर दिया है। हमने सोसायटियों में चैक—सिस्टम चालू कर दिया है। कर्जा उसी को मिलेगा जिसकेक नाम होगा और जिसके पास फोटेा और कापी होगी। जहां तक ग्राम सेवक, पंचायत सैक्रेटरी का ताल्लुक है इनके बारे में हम अमेंडिंग बिल के जरिये सुधार कर रहे है लेकिन कोआप्रेटिव सोसायटी के सैक्रेटरी के बारे में विचार करेंगे क्योंकि हम समझते हे कि इसमें कुछ न कुछ खराबी है। पंचायतों में भी इसी ढंग की खराबी थी जैसे कोआप्रेटिव सोसायटियों में है। इनको सरकारी मुलाजिम बनाना

पडेगा। इसी ढंग से कोआप्रेटिव का महकमा है। अगर कोआप्रेटिव सैक्रेटरी को सरकारी मुलाजिम बना देंगे तो यह एतराज होगा कि बालेन्टरी आर्गेनाईजेशन पर बिल्कुल सरकारी कन्ट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर उनको सरकारी मुलाजिम बना देंगे तो नीचे से कंट्रोल हो जायेगा और फिर उपर तक यह बात चलेगी। इस वास्ते में दरखास्त करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Chairman: Question is-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB PROHIBITION OF COW SLAUGHTER (HARYANA AMENDMENT) BILL-1971

Finance Minsiter (Shrimati Om Parbha Jain): Sir I beg to introduce the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill, 1971.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी जयसिंह राठी (नौल्था): चेयरमैन साहब, यह जो काऊ स्लाटर बंद करने का बिल आया है इसके उपर मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए फाइनैन्स मिनिस्टर साहिबा से एक दरख्वास्त करूंगा। इन्होंने बिल में लिखा है कि काऊ स्लाटर की सजा पांच साल कैद और पांच हजार रूपये जुर्माना होगा। इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है। चूंकि काऊ हमारे लिए पवित्र है और खासतौर पर इस वक्त में शायद में क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत कछ कह सकता था जिस वक्त में ये इस बिल को लाये है और उस सूरत में जब कि इलैक्शन हे और काऊ का निशान इन्होंने खुद लिया है उसकी स्लौटर के लिए 10 साल की सजा और दस हजार रूपये जुर्माना होना चाहिए। मेरी यह विनती है अगर मान लें तो मेरे ख्याल में टाईम ज्यादा लगाने की इसमें कोई बात नहीं है। जिस सूरत में यह बिल आया है उसमें अगर हम कडी से कडी सजा और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में वह महत्व नहीं रहता जो हम गाय की रक्षा करने का समझते हैं। मेरा निवेदन है कि यह सुझाव मान लिया जाए क्योंकि दूसरे मैम्बरों का भी शायद यही विचार होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्रीमति ओमप्रभा जैनः चेयरमैन साहब, इन्होंने आफिशियल तरीके से कोई अमेंडमैंट तो मूव की नही।

चौधरी जय सिंह राठी: सत्यनारायण जी की थी, इसलिए तो मैंने सबमिशन की। वे किसी वजह से कहीं चले गए है।

Mr. Chairman: That Member is not here in the House.

Chaudhri Jai Singh Rathi: The amendment was already there.

Shrimati Om Prabha Jain: But, you cannot move it unless you have an authority from him. The Government however, have no objection, but it is a technical matter.

Mr. Chairman: As the Member concerned is not here, the amendment is ruled out.

Mr. Chairman: Question is-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Chairman: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Chairman: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Om Prabha Jain: Sir, I beg to move-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be passed. (Interruptions)

चौधरी जय सिंह राठीः चेयरमैन साहब, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूं।

श्रीमति ओमप्रभा जैनः अब क्या फायदा है?

चौधरी जय सिंह राठी: मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि शायद श्री सत्यनारायण जी कुछ लिख कर दे गए हो। चेयरमैन साहब, जरा गौर फरमा लीजिए।

श्रीमति ओमप्रभा जैन: अब तो कुछ कहने की स्टेज भी गुजर गई है क्योंकि बिल फाइनल स्टेज पर आ गया है।

Mr. Chairman: He has not given anything in writing. Now, I will put the question to the vote of the House.

Question is-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill

THE PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS (HARYANA AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1971

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed): Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1971.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Question is-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Chairman: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Chairman: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Chairman: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Khurshed Ahmed: Sir, I beg to move-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Mr. Chairman: Question is-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB SUGARCANE (REGULATION OF PURCHASE AND SUPPLY) HARYANA AMENDMENT BILL, 1971.

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1971.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रणबीर सिह (किलोई): सभापति महोदय, जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते थे मैं इसके उपर बोलना नहीं चाहता था लेकिन बात यह है कि इसके पीछे एक इतिहास है तो कहीं वह इतिहास दोहराया न जाए यह मुझे डर है। बहुत सारे दोस्त जो यहां बैठे है उस वक्त सदन के मेम्बर नहीं थे जब पहले भी सरकार ने ऐसी ही इजाजत कानूनी तौर पर ली थी और बाद में एक बडी भारी शिकायत हुई कि कारखानेदार के साथ रियायत करने के लिए सरकार ने डयूटी जो है वह छोड दी है। सभापति महोदय सरकार को कम लेने का हमेशा अख्तियार रहता है। तो दरअसल बात यह है कि शुगर की यहां तीन मिलें है दो सहकारी गन्ना मिलें और एक प्राइवेट सैक्टर में और दो तीन सहकारी मिलें आगे कायम करने का सरकार का इरादा है तो सरकार अगर

सहकारी शुगर मिलों की इमदाद के लिए यह संशोधन लाई है तब तो मुझको इसका स्वागत करना है। लेकिन ऐसी बात है नहीं यह कानून दूसरे प्राइवेट सैक्टर के मिलों पर भी लागू होगा।

मुख्यमंत्रीः चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी कानून बना है वह तीनों मिलों के लिए बन रहा है और जो दूसरे मिल लगेंगे वे कोआपरेटिव सैक्टर में होगें.....

And I can assure the Hon. Member that whatever authority is given to the Government they will not be mis-used; that will be properly used in the public interest.

चौधरी रणबीर सिहः अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर ही बोल रहा था मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात समझी ही नहीं। मैं यह कह रहा था कि यह जो डयूटी लगती है यह सहकारी शुगर मिलों पर ही माफ करने का सवाल होता है और दूसरे मिलों की नहीं माफ होनी होती, लेकिन जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सब पर यक्सां असर करेगा। जो प्राइवेट सैक्टर की मिल है और जो बहुत अच्छे मिलों में से है। उसकी क्रशिंग शक्ति भी बहुत बडी है अगर इन मिलों का सहारा लेकर प्राइवेट सैक्टर की मिल की डयूटी माफ की गई तो जिस तरह पीछे भी आवाज उठा थी कि सरकार ने नाजायज रियायत कर दी और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति भी आवाज उठाई गई थी। कहीं अब भी ऐसा न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर के मिल की माफ नही होगी बल्कि सहकारी मिलों की होगी। परन्तु चीफ मिनिस्टर

साहब भी यही कह रहे है कि सब के साथ यक्सां बर्ताव होगा। मुझे तो आपति यह है कि जो प्राइवेट सैक्टर के मिल है उनको रियायत दी जाएगी कल को हमारी पार्टी को कोई बदनाम न करेगा कि चन्दा की खातिर रियायत कर दी।

श्री बंसी लालः वहां से चन्द लेने चौधरीसाहब गये होंगे। हम वहां से चन्दा लेने के लिए कभी नहीं गये। जो भी कायदे कानून लागू होंगे वे सब के लिए यकसां लागू होंगे।

चौधरी रणबीर सिहः मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, लीडर आफ दी हाउस है उन्हें ऐसी भाषा की आदत हो गयी है जो कि उनको बोलनी नहीं चाहिए। जो भी कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर आयेगा तभी इनका भाण्डा खुल सकता है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किये हैं वे बिल्कुल निराधार है गलत है। अगर मुख्यमंत्रह जी के पास कोई भी सरकारी कागज हो या कोई अन्य शिकायत हो तो वे मैदान में लायें।

श्री बंसी लालः अगर आपके पास कोई सबूत है कि सरकार ने चन्दा लिया है तो आप बतायें। आप तो सरकार को बदनाम करने पर लगे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए आप अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे है।

चौधरी रणबीर सिहः कोई सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं लेना है।

श्री बंसी लालः पार्टी की तरफ से ले लो।

चौधरी रणबीर सिहः आपको इस बात की फिक करने की जरूरत नहीं है आप तो पांच दिन में भाग रहे हो केवल वोट आफ अकाउन्ट भी पास नहीं करवाते हो।

श्री बंसी लालः हम ने तो पूरा बजट पास करवा दिया। आपने तो सरकार को तोडने की पहले भी काफी कोशिश की थी और इस बार भी कर लो।

चौधरी रणबीर सिहः सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस रूलिंग पार्लियामेंट में आयी लेकिन उसने कभी भी इस प्रकार से भागने की कोशिश नहीं की। किसी भी कानून पर बहस करने के लिए अगर विरोधी दल के सदस्यों ने समय मांगा है तो उनको अवश्य ही दिया गया है। कभी भी मैजोरिटी के आधार पर प्रजातंत्र के जो अधिकार है उनको नहीं छीना गया है। परन्तु यहां पर तो तरह तरह की बातें करते है। हमारे पर किसी धमकी का असर नहीं होता है यहां तो सही बात असर है। अगर किसी मुख्यमंत्री जी को सही बात कही जाये और वह गलत कहें, जिससे हमारी पार्टी बदनाम हो वह हमें कबूल नहीं है। मुझे इस बात की चिन्ता नही है कि वे मुझसे नाराज रहें या राजी रहे।

मैं कह रहा था कि जो यक कानून बन रहा है इससे तो यह दिखाई देता है कि जो भी डयूटी माफ करने की बात हे वह प्राइवेट सैक्टर के लाभ की है। लेकिन मैं कहूंगा कि प्राइवेट

सैक्टर के लिए फीस माफी की किसी पार्टी को इजाजत नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई ऐसा मौका न आ गया हो या कोई सबूत न आ जाये।

श्री बंसी लालः हम जो यह बिल हाउस में लाये है यह सब के लिए यकसां होगा चाहे प्राइवेट सैक्टर हो चाहे पब्लिक सैक्टर हो। कहने का मकसद यह है कि कानून सब के लिए एक होता हे। जहां तक चौधरी रणबीर सिंह जी का संबध है उनका मनशा तो कुछ और है सिर्फ तो लगता है कि वह प्राइवेट मिल ओनर्ज से कभी चन्दा मांगने गये होंगे और इनको नहीं मिला होगा। हम तो किसी भी मिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यह कानून जो बनाया गया है यह भी पब्लिक इन्ट्रैस्ट के लिए है। चौधरी साहब तो पार्टी का नाम बार बार ऐसे ही लेते है जो यह पार्टी का रोल अदा कर रहे हें वह तो उनकी स्पीच से ही मालूम देता है कि वह कितना अच्छा पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं। So let him play.

(इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुई)

चौधरी चान्द रामः अगर यह सरकार यह रेजोल्यूशन पास करती कि तो भी प्राइवेट शुगर मिल है उनको नेशनलाइज कर दिया जाये तो और भी अच्छा होता। हमारे यहां केवल एक मिल है जो प्राइवेट है उसको भी नेशनलाइज कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो एक 10 प्वायंट प्रोग्राम भी है जिसमें कहा

गया है कि शुगर मिल्ज को नेशनलाइज किया जाये। मैं तो नेशनलाइज करने के हम में हूं। यह तो सूरजपूर फैक्टरी हे यह भी पब्लिक सैक्टर में ही रन करे तो अच्छा है। इस पर भी किसी प्राइवेट का दखल न हो। मैंने तो कभी कोई चन्दा वगैरह भी उस मिल से नहीं लिया और मैंने तो इलकेशन भी लडा उसके पडौस में ही, मैनें कभी कोई प्रार्थना नही की किसी भी तरह की और मैं पर्सनली उसके कोई खिलाफ नही लेकिन मैं समझता हूं कि किसानों का गन्ना और स्टेट के बैंकों का पैसा और गवर्नमेंट द्वारा दी गयी रियायत से एक इन्डिवीजुअल आदमी क्यों पले। वह तो किसानों को फायदा जाना चाहिए जो स्टेट की ओर से उनको हमारे रियायतें दी गई है वह अकेले की जेब में क्यों जाये। दो कोआप्रेटिव मिल्ज है वे हमारे किसानों के फायदों के लिए ही नेशनेलाइज है। मैं समझता हूं जो एक मिल बाकी रखा हुआ है उसको भी कर दिया जाये।

जैसा कि सरकार ने कहा है कि तीन मिल और लगा रहे हे अच्छी बात है वे भी कोआप्रेटिव होने चाहिएं। शाहबाद, पिपली, वगैरह में लगायें या किसी अन्य जगह लगायें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को एक बात बताना चाहता हूं और उस पाप का मैं भी भागी रहा हूं सन 1963–64 में कानून बनाया था शूगर केन सैस। वह गरीब लोगों पर लगा था। हमारे यहां सरस्वती मिल है यमुना नगर में यह शूगर मिल जमना से इधर के इलाके में पडता है और कुछ मिल हैं तो जमना से दूसरी तरफ के इलाके में पडते

है। यूपी में। यूपी के अन्दर जो सैस लगा था वह तीन आने था लेकिन इस मिल के उपर जो हमारे यहां हरियाणा में एक ही मिल था और पंजाब में फगवाडा में था इन मिलों पर डेढ आना था।

श्री बंसी लालः चौधरी रणबीर सिह ने पार्टी मीटिंग में तीन महीने तक मुखालिफत करी थी। डाक्टर रामेश्वर दास कहते रहे कि केन सैस लगाओं परन्तु ये अकेले मुखालिफत करते रहे।

चौधरी चान्द रामः मैं कह रहा था कि इस मिल पर डेढ आना था। आप अन्दाजा लगाये कि डेढ आना मन के हिसाब से डेढ करोड मन गन्ना पिलता है तो एक आदमी की जेब में कितना पैसा चला गया। चीनी की प्राइस अलग है जो काफी मुनाफा देती है। तो डेढ आने मन के हिसाब से उनकी जेब में क्यों जायें?

श्री बंसी लालः चौधरी रणबीर सिह जी तो मुखालिफत करते है परन्तु चौधरी चांदराम जी ने जो सुझाव दिया है कि नेशनेलाइज किया जाये बहुत अच्छा सुझाव है और हमारी पार्टी का प्रस्ताव भी है।

चौधरी चान्द रामः मिल के बारे में बात नहीं करते है। दायें बायें की बातें पेश करते है। चीफ मिनिस्टर की तो आदम हो गई है। मुझे कोई एतराज नहीं। किसी और का भी वक्त आयेगा। उस वक्त वह भी कोई कसर नही छोडेगा। कभी कभी बे–वक्त भी चलता है। वक्त आयेगा तब बता दियसा जायेगा।

श्री बंसी लालः आप के लिए सही वक्त नहीं आयेगा।

चौधरी चान्द रामः मैं इस बहस में तो नही पडना चाहता हूं। यह इनका अपना मामला है। हमारे मूल्क की जो आज हवा है उसके अनुसार ही हमें करना चाहिए। क्योंकि पांच तो कोआप्रेटिव मिल हो जायें और एक मिल प्राइवेट रहे। मैं समझता हूं उसको भी नेशनेलाइज किया जाये। यह सारा झगडा ही खत्म हो जायेगा। यह किसानों के हित में होगा। जो भी नया मिल हो वह भी कोआपरेटिव हो और इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Bhajan Lal: Madam, I beg to move-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 1971

Development Minister (Shri Sarup Singh): Madam, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1971.

Madam, I also beg to move-

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री रणधीर सिह (घरौंडा): डिप्टी स्पीकर साहिबा, विकास मंत्री महोदय ने हामरे सामने आज पंजाब विलेज कामन लैंडज (रैगुलेशन) हरियाणा ऐमेन्डमेंट बिल पेश किया है। मैं समझता हूं कि जब प्रजातंत्र राज्य स्थापित हुआ है और हरियाणा में भी पंचायती राज कायम किया गया है तो पंचायत की बडी जिम्मेदारी हो जाती है। मंत्री महोदय को यह क्या जरूरत पडी कि यह जमीन जो गांव के अन्दर शामलात लैंड थी और गांव की पंचायत जिस पर अच्छी तरह से नियत्रंण रखती थी उनको पटटे पर देती रहती थी का मैंनेजमैंट अपने हाथ में लेना पडा। और गवर्नमेंट को क्या यह भी बर्दास्त नहीं हुआ? एक तरफ तो कहते है कि डैमोक्रेसी गांव गांव में जानी चाहिए, प्रजातंत्र गांव गांव में जाना चाहिए और दूसरी तरफ अपने ही तरीके से उसके अधिकारों पर भी एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की जा रही है। मेरी विकास मंत्री महोदय से गुजारिश है कि यह जो बात इसमें पटटे की दर्ज है मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि गांव की जो पंचायतें है वही उसका अच्छी प्रकार से लोगों की कोओप्रेशन और सहयोग से उस जमीन की जो आमदनी है उसे गांव के लिए इस्तेमाल कर सकती है न कि गवर्नमेंट। इस बिल से गवर्नमेंट नाजायज फायदा

उठायेगी और वह इस आड में जिसमें कि गवर्नमेंट को जमीन लेने का अख्तियार होगा उस जमीन को गांव वालों से लेकर या गांव की पंचायत से छीन कर गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी, बीडीओ होगा या सैक्रेटरी होगा उस जमीन को नाजायज तरीके से अपने कुछ आदमियों को किसी भी तरीके से लीज आउट कर सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो ऐमैंडमेंट है बिल्कुल नकारा होगी और गलत तरीके से गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करेगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं

वितमंत्री (श्रीमति ओमप्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो मुझे कोई बात कहनी नहीं थी लेकिन अभी हुई स्पीच को सुनने के बाद मैं सदन को बताना चाहती हूं कि इस बिल का पास होना निहायत जरूरी है और यह पब्लिक इन्ट्रैस्ट में है। चौधरी रणधीर सिह जी ने कहा कि इससे कोई डैमोक्रटिक राइटस पंचायत के जो है एनक्रोच होंगे। लेकिन मैं समझती हूं कि यह डैमोक्रटिक राइटस एनक्रोच होने की बात नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा एक हलका पूरे हरियाणा में ऐसे हल्कों में से है जहां पर बहुत पंचायत की जमीनें पडी है आरै मैं चौधरी रणधीर सिंह जी को भी दावत दूंगी कि वे आकर देंखे एक गांव में ढाई ढाई हजार एकड जमीन पंचायत की पडी हुई है। हमारे यहां अनरौली गांव है उसमें 1182 एकड जमीन पडी है मुन्ना में 2506 एकड जमीन पडी है बाऊपुर में 1141 एकड जमीन पडी है, खरोदी में 1317 एकड जमीन पडी है और ऐसे बहुत से गांव है

जहां एक एक हजार एकड से उपर जमीन बेकार पडी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप आकर देखें कि वहां प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी। पंचायत की तरफ से नलका भी नहीं लगा हुआ है। मैं यह नहीं कहती कि डैमोक्रेसी में पंचायत या सरपंच अपनी पावर को यूज नहीं करते। सभी तरीके के लोग होते है लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां भी हो सकती है और गल्त इन्टैन्शनज भी हो सकती है। इस बिल के आने बडा भारी फायदा होगा। पंचायतों की इन्कम भी बढेगी और जैसा बिल में लिखा गया है यह पैसा उन्हीं पंचायतों को वापस किया जायेगा और ग्राम पंचायतों के फंड में जमा होगा और इसके अलावा मैं एक और बडा फायदा जो फोरसी करती हूं वह यह है कि यह जो इतनी इतनी हजार हजार एकड जमीनें पडी हुई है और जिनमें से बहुत सी जमीनें अभी काबिले काश्त भी नहीं है और न ही उनको लोगों ने कभी काश्त किया क्योंकि पंचायतों के पास इतने फण्डज नहीं होते कि वह वहां पर टयूबवैल लगा सकें या उन पर कोई और रिक्लेमेशन का काम कर सकें। अगर गवर्नमेंट फार सम इयर्ज इनका मैनेजमेंट टेकओवर करेगी तो मैं समझती हूं कि गवर्नमेंट इसमें पैसा इन्वैस्ट करके इनमें टयूबवैल लगा करके या और आधुनिक तरीके से उन जमीनों को काश्त के लायक बनायेगी। उसकी काफी गरीब लोगों का मला होगा जो कि उस गांव के रहने वाले हैं। तो मैं समझती हूं कि यह पंचायत के इन्ट्रैस्ट में है। परन्तु जहां तक डैमोक्रटिक राइटस का ताल्लुक है पंचायत को बाकी सारी पावर्ज है इसके अलावा भी पंचायत के बहुत से

फंकशन्ज है और यह जो पैसा इक्टठा होगा उसी पंचायत के लिए खर्च होगा ओर बाकी पंचायत फण्ड में जमा होगा। यह अच्छा कदम है इसके अलावा उनको जमीनों से एक्स्ट्रा इनकम होगी। वह इनकम हम रोडज पर खर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बडी बात यह कि जमीनों का प्रापर यूटिलाइजेशन होगा। गवर्नमेंट उसके अन्दर टयूबवैल्ज लगा सकती है और हरेक जमीन को बहुत अच्छार बना सकती है तो मैं समझती हूं कि हाउस इस बिल में जरूर पास करें।

उपाध्यक्षाः दो आनरेबल मेम्बर (चौधरी रणबीर सिंह और चौधरी जयसिंह राठी इस समय बोलने के लिए खडे हुए) जो बोलने के लिए खडे है इनसे मैं कहना चाहती हूं कि मिनिस्टर साहिबा का जवाब आ चुका हैं इसलिए अब इसे पास होने दिया जाएं वरना आप सब को ही देर तक बैठना पडेगा।

चौधरी जय सिंह राठीः मैडम मैंने एक ही बात कहनी है।

उपाध्यक्षाः मिनिस्टर साहिबा ने रिप्लाई दे दी है। रिप्लाई आने के बाद यह रवायात नहीं है कि उसके बाद कोई मेम्बर बोलें।

चौधरी रणबीर सिहः उपाध्यक्ष महोदया, फाइनेंस मिनिस्टर ने तो एक मेम्बर होने के नाते अपने हल्के की बात बताई है। स्टेट की उन्होंने कोई बात नहीं बताई है।

उपाध्यक्षाः नहीं, नहीं उन्होंने अपनी स्पीच के अन्त में यह कहा कि इस बिल को पास किया जाये। (विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठीः मैडम, अगर हम लिख कर दें दे कि इस बिल को रिजैक्ट कर दिया जाए तो क्या यह रिजैक्ट हो जाता है?

चौधरी रणबीर सिहः मैडम, बिल पर तो हमेशा कोई पास करने की बात कहता है कोई समर्थन की बात कहता हैं और कोई पास न करने की करता है लेकिन जवाब तो नहीं आया अभी मिनिस्टर साहिबा का।

उपाध्यक्षाः जवाब तो आ चुका है, मेरा ख्याल है कि अब इसे पास होने दिया जाए।

चौधरी जय सिंह राठीः मैडम, मैंने तो सिर्फ एक मिनट लेना है और चौधरी साहब से पूछ लो कि यह कितने मिनट लेंगे?

उपाध्यक्षाः अगर चौधरी रणबीर सिंह जी बोलने लगे तो कम से कम 15–20 मिनट तो लग ही जायेंगे।

चौधरी रणबीर सिहः नहीं मैडम, पांच–सात मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

उपाध्यक्षाः नहीं, राठी साहब आप अपना एक मिनट लीजिये।

चौधरी जय सिंह राठीः मैंने तो एक मिनट की बात इसलिये कही थी कि मुझे पहले टाइम मिल जाये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल इन्ट्रोडयूस हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर अभी बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि यह पैसा जो गांव की शामलात देह ही जमीन जो पडीहै से आयेगा वह ग्राम पंचायत फंड में जमा हो जायेगा। मैं इस में कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। अच्छा है कि अगर कोई जमीन जो नकारा और बेकार पडी है उसका इस्तेमाल किया जाये लेकिन उसमें ऐसी बात न हो जायें किः

'गुनाह इजाद करो सिर्फ इन्साफ की खातिर,

मेरी आदिल मेरे नौशेरवां सब बेकार बैठे है।'

ऐसी बात न हो सिर्फ, एक इन्साफ की खातिर कोई ऐसा गुनाह कर बैठे यह दिखाने के लिए कि मेरे नौशेरवां आदिल जो बैठे है। वह बेकार हो गये हो। ऐसी बात कहीं न करना। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इसलिए खदशा है कि इन्होंने जो इसमें डाल दिया है मैं आप को पढकर सुनाता हूं इसमें लिखा हुआ हैः—

"The income from the shamilat deh, the managment of which is taken over under subsection (5) after meeting all charges relating or incidental to the management and utilisation, shall be credited to Gram Fund....."

इस बात की कोई लिमिट नहीं होगी कि कितना खर्च होगा, कितना इन्सीडैंटल आ गया और कितना और कुछ खर्च आ

गया। ऐसा लगता है कि जैसे यह नया डिपार्टमैंट खडा करने लगे है और उस सारे डिपार्टमैंट का खर्च यह पंचायतों की शामलातें ही बरदास्त करेंगी। उसके बाद जो कुछ बच पायेगा वह ये फण्ड में दे देंगे। मैं चाहता हूं कि डिवैल्पमेंट मिनिस्टर साहब ने यहां पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस बारे में बिल आ रहा है। जब वह आयेगा तो आप हमें बोल कर बतला देना। इसलिए मैं बिल पर बोलने के लिए खडा हुआ हूं। आपकी (मुख्यमंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) वो वैसे छुरी चल ही गयी थी लेकिन हम बच गये। लेकिन मैं यह कहूंगा.....

उपाध्यक्षाः आपको हर बिल पर बोलने के लिए टाइम दिया जाता है और फिर भी आप छुरी का नाम लेते है। छुरी तो हमारे उपर चल गई। मैं यहां एक बार भी नहीं बोली। आखिर मैं भी किसी हलके को रिप्रजैन्ट करती हूं मुझे यहां एक बार भी बोलने नहीं दिया गया। आपके उपर छुरी नहीं चलती.....

श्री बंसी लालः मैडम, आप वाली और इन वाली छुरी में बहुत फर्क है that is very significant..... और बहुत बडी बात है.....

चौधरी जय सिंह राठीः वही तो मैं कह रहा हूं। छुरी तो चल गयी है लेकिन छुरी की धार कैसी है? आपके हाथ तो चल गयी थी और मेरे उपर चलने वाली थी। आपके साथ तो चीफ मिनिस्टर साहब भी हाउस से प्रोटैस्ट करके बाहर चले गये थे।

आप पर चलने वाली छुरी तो हमने देखी थी लेकिन हमारे पर चलने वाली देखने की चीज ही नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर यह पैसा इन्होंने इसी तरह से खर्च करते जाना है कि उससे शामलात देह की जमीनों का पंचायतों को कोई फायदा न हो तो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि अगर आप वाकई भला करना चाहते है तो आप वायदा करें कि उनकी आमदनी ठीक तरह से यूटेलाईज की जायेगी। मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसी बाडी या अपने किसी महकमें को यह काम दें ताकि कुद एकस्ट्रा पे करने की जरूरत हमें न पडे और वे पंचायतों की जमीनों को सभ्ंाल सके और सुप्रवाईज कर सकें। इतना ही किया जाये और यहां पर यह एश्योरैन्स दिलाया जाये कि जो लफज इसमें इस बारे में लिखे हुए है वह निकाल दिये जायेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी मजबूरी है यह बिल बडी हेस्ट में आये है। आज ही इन्ट्रोडयूस हुए है। आज ही बहस हो रही है और आज ही पास हो रहे हैं..... (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा चौधरी रणबीर सिंह जी तो अपोजिशन वालों को बोलने ही नहीं देतें.....

उपाध्यक्षाः आपका एक मिनट तो हो गया है.....

चौधरी जय सिंह राठीः बहुत अच्छी जी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि हम इसमें कोई एमैन्डमेंट भी नहीं दे सके। मिनिस्टर साहब हमें यह एश्योर करदें कि इसमें यह जो लफज लिखे है:–

"after meeting all charges relating or incidental to the management and utilization."

यह इस तरह से एमैंड करेंगे कि उस आमदनी में से कोई खर्च की कटौती नहीं करेंगे और जो उनसे कमाई होगी वह उनको ही दे देंगे। तब तो यह सेवा है। अगर आपने कटौती करनी ही है तो पंचायतों की सेवा न करें दूसरे लोगों की ही करते रहें... .....

चौधरी रणबीर सिंहः प्वायन्ट आफ आर्डर, मैडम, जैसे अभी मानयोग जयसिंह जी ने कहा कि वह कोई एमैन्डमेंट नहीं दे सके। मैं इस सिलसिले में आपका आदेश जानना चाहता हूं कि जो बिल उसी दिन इन्ट्रोडयूस हुआ हो और उसी वक्त उस पर कैसिडरेशन चले क्या किसी सदस्य को उस बिल में संशोधन देने का उसी वक्त अख्तियार है या नहीं।

उपाध्यक्षाः मैं अभी देख कर बताती हूं।

चौधरी जय सिंह राठीः है।

चौधरी रणबीर सिंहः एक सरकुलर के मायनों में तो यह है कि एमैंडमेंट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई बिल हाउस के पोजेक्शन में न आ जाये। यह बिल हाउस के पोजेशन में तो अब आया है। उसमें यह भी है कि एमैंडमेंट दो रोज पहले दी जानी चाहिए....

उपाध्यक्षा: वैसे तो एमैंडमेंट दो रोज पहले दी जा सकती है परन्तु अगर कोई ऐसी चीज हो कि बिल ही अभी मिला हो तो चेयर को अख्त्यिार है कि किसी वक्त वह एमैन्डमेंट स्वीकर करलें... । मेरे पास अब तक कोई इस बारे में एमैंडमेंट नहीं पहुंची है और रिप्लाई देने के लिये मिनिस्टर साहब खडे हो रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह: मैडम अभी तो यह क्लाज आयी भी नहीं और अभी तो फर्स्ट रीडिंग चल रही है। सैंकड रीडिंग भी अभी होनी है। लोकसभा में मैनें तो यह देखा है कि .....

Deputy Speakar: I have already told this thing. अभी यह बिल क्लाज बाई क्लाज आयेगा। जिस वक्त वह क्लाज आयेगी उस वक्त कोई मैम्बर चाहे तो अमैंडमेंट दे सकता है।

विकासमंत्री (श्री सरूप सिंह): विलेज कौमन लैंड एक्ट के सेक्शन 5 की अमैंडमेंट की बात हुई है। सरकार ने यह तरमीम पब्लिक इन्ट्रैस्ट और पंचायतों की भलाई के लिये की है। जैसे श्रीमति ओमप्रभा जी ने बताया है कि पंचायतों के पास शामलात देह का रकबा कई जगह तो कई कई हजार एकड का है और वह बेकार पडा हुआ है उसमें न तो सिंचाई के साधन है और न ही वहां कोई पैदावार होती है। सरकार का ऐसी जमीनों को अन्डर कल्टीवेशन लाने का इरादा है ताकि पैदावार बढाई जा सके। जो जमीनें पंचायतों के पास अन्डर कल्टीवेशन है उसमें कई भी दफा देखा जाता है कि सरपंचों और पचों के इस्लीट्रेट होने की वजह

से या लिहाज करने की वजह से कई काम ढंग से नहीं होते। जिसके फलस्वरूप मैंनेजमैंट ठीक नहीं हो रहा है। बहुत से गांव ऐसे हे जिनमें कि शामलात देह हजारों एकड की तादाद में बेकार पडी हुई है। इसी वास्ते सरकार ने इस बिल में यह एमैंडमेंट लाने का इरादा किया है। सरकार पंचायतों की आमदनी को बढायेगी। हरियाणा में जैसे सडकों के, बिजली के, स्कूलों के तथा दूसरे विकास के कार्य हो रहे है। उसी तरह से हम यह चाहते है कि हमारे नये तरीके के नये नमूने के गांव बसाए जायें। यह भी कहा गया कि इनहोंने यह प्रोवीजन किया है कि गांवों की शामलातदेह की आमदनी बढायी जायेगी और उसमें से खर्च की कटौती करके बाकी पैसा उसकी पंचायत के ग्राम फंड में जमा कर दिया जाएगा। राठी साहब ने यह भी खदशा जाहिर किया कि शायद यह पंचायतों की शामलात देह की आमदनी कहीं और ले जायें।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब ऐसा नहीं है। यह बात नहीं कही गयी कि उस शामलात देह की आमदनी आप कहीं और ले जायेंगे। मगर उनका कहना है कि इस बिल के तहत आपने जो यह कहा है कि खर्च की कटौती करने के बाद जितनी रकम बचेगी, वह पंचायत फंड में दे दी जाएगी वह कहते हैं कि इसमें से कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। उनका खदशा है कि जितनी आमदनी होगी उसमें से 80 या 90 परसेंट खर्च हो जायेगी और इस तरह पंचायतों को कोई खास आमदनी नहीं हो पायेगी। अगर

कोई ऐसा आलरेंडी महकमा है जो कि उसे सुपरवाइज या कन्ट्रोल कर सके तो उसके थ्रू काम को करवा लिया जाये और कोई खर्चा उस आमदनी में से न काटा जाय। उसी के लिए शायद वह कोई एमैंडमेंट भी लायें। अगर आप कोई ऐसी एश्योरैंस दे दे कि 10–15 या 20 परसैंट से ज्यादा खर्चा नहीं होगा तो शायद वह एमैंडमेंट न लायें।

श्रीमति ओमप्रभा जैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, यदि टयूबवैल लगाने पर 15 हजार रूपया खर्च हो जाता है तो वह तो ग्राम पंचायत पर एक वैलिड चार्ज होगा।

चौधरी सरूप सिंहः मैडम, मैं इसी बात का जवाब देने लगा हूं। जैसे मैंने पहले कहा था कि उन्होंने खर्च के मुताल्लिक एतराज किया था कि यह खर्च की क्लाज क्यों लगा ली गयी है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता है कि जैसे है बंजर है वहां सिचांई के साधन नहीं है। हम ऐसी सारी जमीन को काबिले काश्त बनायेंगे पैदावार बढायेगें, वहां टयूबवैल लगायेंगे। ऐसा करने पर जो खर्चा होगा इसके लिए यह तो हो नही सकता कि इसे किसी दूसरी पंचायत की आमदनी में से निकाल कर लगा दें। गांव में जब आमदनी बढेगी तो पंचायत का काम अच्छी तरह चल सकेगा। मैं राठी साहब को यह एश्योरेंस देना चाहता हूं कि वह खर्चा वहीं किया जायेगा जहां मुनासिब होगा और कम से कम किया जाएगा। यह पब्लिक प्रौपर्टी है उसके अन्दर कोई बेजा खर्च नहीं किया जाएगा। हम देखते हैं कि वहां

की गलियां कच्ची है, उनको पक्का करना है। वहां के लोगों के लिए शापिंग सेन्टर खोलने हैं उनके बैठने के लिए पार्क बनाने है मुझे उम्मीद हे कि राठी साहब तथा दूसरे मेम्बरों को जो शक था वह दूर हो गया होगा।

Deputy Speaker: Question is-

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion is carried.

Deputy Speaker: Now, the House will now take up the Bill the consideration of the Bill clause by clause. Now clause 2 is before the House (Chaudhri Ranbir Singh rose to speak).

CLAUSE-2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2, stand part of the Bill.

The motion is carried.

Chaudhri Jai Singh Rathi: I am writing the Amendment.

उपाध्यक्षा: मेरी टेबल पर कोई एमेन्डमेंट नहीं आया। मैं एमेन्डमेंट के लिए इंतजार नहीं कर सकती।

Chaudhri Jai Singh Rathi: On a Point of Order, Madam, Deputy Speaker. You allowed me to write out the

amendment. But, at the same time, you started putting the question. You did not allow me even to read my amendment. Let me, therefore, have your rulling on this point.

Deputy Speaker: I am sorry, I cannot help you now. The question has been put. I could not wait for the amendment to be moved. I hope you will excuse me.

Chaudhri Jai Singh Rathi: Madam, I was first asked to give an amendment, but I was not permitted to moved. I hope, you will excuse me.

चौधरी जय सिंह राठी: क्या चेयर एक रूलिंग देकर उसी वक्त उसके खिलाफ दूसरी रूलिंग दे सकती है।

Deputy Speaker: I stand on my ruling. I did ask for your amendment and I was really waiting for the same, but that did not reach me. I could not, therefore, withhold the business of the House.

चौधरी रणबीर सिंह: जिस समय आपने क्लाज 2 कहा तभी मैं खडा था। उस वक्त मैंने कहा कि उपाध्यक्ष महोदया मैं उस पर बोलना चाहता हूं.....

उपाध्यक्षा: इसलिए कि तक तक इनकी एमेंडमेंट आ जाए।

(Interruptions)

CLAUSE-1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1, stand part of the Bill.

The motion is carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion is carried.

Shri Sarup Singh: Sir, I beg to move-

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्षा महोदया आपने कोशिश की कि मानयोग मंत्री महोदय सदन को आश्वासन दें। इसमें कई बातें कही गई लेकिन जो असल बात है उसका जिक्र नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से दो आश्वासन चाहता हूं एक तो यह कि पंचायत की जमीन से पटटे पर बोली देकर फी एकड जो आमदनी होगी वह रूपया पंचायत को जरूर दिलाएंगे। दूसरे उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लगाया जाएगा। वह इस हद तक होना चाहिए जिसमें सिर्फ बिजली का खर्चा लगाया जाएगा वह इस हद तक होना चाहिए जिसमें सिर्फ बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा या कोई एग्रीकल्चर लेबर जो है वहीं खर्चा शामिल किया

जाएगा। यह नहीं कि एक अफसर लगाया उसके नीचे कोई असिस्टेंट लगाया और इस तरह एक लम्बा चौडा महकमा बना दिया और उनका खर्चा पंचायत से लिया जाए और फिर यह एक घाटे का सौदा बन जाए।

चौधरी चांद राम (बाबैन एस0सी0): यह बिल तो बहुत अच्छा है यह देखने में आया है कि पंचायतों की शामलात जमीन का इंतजाम अच्छा नहीं है बहुत सी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया हुआ है कुछ जमीनें ऐसी पडी हुई है जिनसे कोई आदमनी नहीं है। आज तक अगर पंचायतों को इन्तजाम अच्छा होता तो मैं समझता हूं कि गांवों की काफी तरक्की हो गई होती। आज जो माडल गांव बनाने की स्कीम पर विचार हो रहा है कि हर साल पांच गावों को माडल गांव बनाया जाएगा यह बात न करनी पडेगी। वे पहले ही माडल विलेज बन गए होते। हर गांव की सडक मेन सडक से मिल गई होती। लेकिन पंचायतों का इन्तजाम ठीक नहीं रहा और इसलिए वहां कोई तरक्की नहीं हुई। देखने में यह आया है जिम्मे उन पंचायतों का इन्तजाम देखना भी लगाया। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया कि इस बिल को आप अधूरे तरीके से क्यों लाए हैं। आप को इस तरह का बिल लाना चाहिए था कि टोटल मैंनेजमैंट अपने हाथ में ले लेते और इन जमीनों से जो आमदन होती वह पंचायतों के गांवों में खर्च करते। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि लोग मिल मिलाकर साजिश से पंचायतों की जमीन आपस में तकसीम कर

लेते है। जो बडा जमींदार होता है वह ज्यादा ले लेता है और जो छोटा होता है वह कम जमीन ले लेता हे ओर अदालत में कोई दूसरा फरीक तो होता नहीं सिवाएं सरपंच के या उन जमींदारों के इसलिए सरपंच उनके साथ मिल जाता है और इस तरीके से जमीन को खुर्द बुर्द कर लेते है। इस तरीके से जो पंचायतों की जमीनें है वह Collusive suits करके हेराफेरी के तरीके से हजम कर जाते है। इसलिएर अगर उनकी मैंनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है तो फिर रिक्वरी भी हो सकती है। अब हालात यह है कि अगर कोई पंचायत दावा भी करती है तो बीच में पंचों और सरपंचों को भी दफा 107–51 में रख लिया जाता है और वह इस परेशानी से बचने के लिए कहते है कि जमींन बंटती है तो बंट जाए हमने क्या लेना हे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिब इस बिल में यह नहीं बताया गया कि इंसीडैंटल चार्जिज कितने होंगे वह इनको रूल्ज में प्रेसक्राइव करने चाहिए थे। तो मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वह रूल्ज में यह चीज जरूर कर दें कि यह इसीडैंटल चार्जिज होंगे तब सारी चीज ठीक हो सकती है।

चौधरी जय सिंह राठीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बडे भरोसे से कह रहा हूं कि अगर मेरी एमैंडमैंट पहले आ जाती जिसका कि मुझे मौका नहीं दिया गया आप तक पहुंचाने का, तो वह जरूर मान ली जाती क्योंकि सबकी राय इस के हक में थी। लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हुए पता नहीं कैसे हुआ अचानक उनके पास कोई इन्सट्रक्शन आ गई वर्ना चीफ मिनिस्टर साहब ने

बाहर मान लिया था कि हम उस लाईन निकाल दी जाए। तब यह ठीक हो जाएगा वर्ना कोई बात बनने वाली नहीं है। इसमें तो हमने बहुत कुछ आफिसियल्ज पर ही छोड दिया है। यह नुक्स दूर कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा।

विकासमंत्री (श्री सरूप सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल को लाने में हमारी नियम बिल्कुल साफ है। यह एक बहुत मासूम और नेक बिल पब्लिक के इंट्रैस्ट में लाया जा रहा है। हमारे सामने सिर्फ एक ही बात है कि गांवों का सुधार कैसे हो। जब गांवों की तरफ देखते है तो जमीन की तरफ निगाह पहले पडती है और इसके अलावा उस तबके पर निगाह पडती है जो डाऊन ट्रौडन है। तो इस बिल को लाने का मुददा यह है कि जो देहातों में कामन लैंडज है उनकी आमदनी बढाई जाए जो मौजूदा इन्कम होती है उससे कम से कम डबल जरूर हो जाए। जिन गांवों में प्रौपर इंतजाम नहीं हो रहा है उन जमीनों का प्रबन्ध गवर्नमेंट खुद करेंगी और उस पैसे को लोगों की बेहतरी के लिए देहातों में खर्च किया जाएगा। चौधरी चांद राम जी ने भी माना है कि बिल अच्छा है। जहां पर इंतजाम ठीक है हम उस जमीन को लेता नहीं चाहते हम सिर्फ उन जमीनों को लेना चाहेंगे जो खराब है जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है या जिनका मिसयूज हो रहा हे और उनकी हम आमदनी बढाएंगे। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is-

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion is carried.

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (HARYANA AMENDMENT) BILL-1971

Development Minister (Shri Sarup Singh): Madam, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1971.

Shri Sarup Singh: Madam, I beg to move-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी चांदराम (बाबैन, एस0सी0): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल ऐसा है कि पिछली करी कराई को भी साफ करता है। सन 1956 से पहले सरपंचों का इलैक्शन इन्डायरेक्ट होता था। उस वक्त मैं पंचायतों का डिप्टी मिनिस्टर था। उस की वर्किंग में हमने यह नुकस देखा कि गांव गांव में जात पात का जोर उभरता था क्योंकि जब पंचों से सरपंच बनना हे तो आप जानते है कि अगर नानजाट ज्यादा पंच होगें, तो वह अपनी बिरादरी का सरपंच चुनेंगे ओर अगर जाट ज्यादा पंच होंगे तो वह किसी और को नहीं बनने देंगे। तो यह एक बीमारी थी जिसको

दूर करने के लिए कैंरो साहब के वक्त में यह फैसला किया गया था कि जात पात की अगर बीमारी को खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है और वह यह है कि सरपंच का इलैक्शन डायरेक्ट हो। अब मुझे समझ नही आती कि कांग्रेस पार्टी ने उस अच्छी चीज को कैसे उलटा करना मुनासिब समझा है। अगर इस चीज को खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है कि कम से कम सरपंच डायरेक्ट चुनाव से आयें और सीधे वोट लेकर आयें क्योंकि इस तरह वह गांव की हर एक बिरादरी के वोट लेकर आयेगा। इस बिल के लाने की इन्होंने एक ही दलील दी कि एक पंचायत रिफामर्ज कमेटी बैठी थी उसने यह सिफारिश की है। बडी हैरानी की बात है कि यह कमेटी पता नहीं कितने साल बैठी लेकिन काफी देर तक बैठी और उसके बाद नतीजा यह निकला इस बिल की शक्ल में। पहले पंचायतों की तीन साल मयाद थी लेकिन मेरे ख्याल में 9/10 साल हो गये है। पुरानी पंचायतों को ही चलते और पुराने पंच सरपंच ही उन पर कब्जा जमाये बैठे हैं। अब कानून यह आया है कि इतने अर्सा के बाद। आज देश में नेशनल इन्टैगरेशन की बात चलती है और कहा जाता हे कि क्लासलैंस सोयायटी बनायेंगे और हमारे संविधान में भी लिखा है कि ऐसा समाज बने जिसमें जातपात न हो लेकिन यह जो बिल आया है इससे तो ऐसा मालूम नहीं होता कि ऐसी कोई पहले जो एक्ट बना था बडे सोच विचार के बाद बना था लेकिन यह सारा आधार खत्म किया जा रहा है। दलील दी जाती है कि सरपंच को हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि ग्राम सभा को प्रस्ताव

पास करना पडता है और यह सारी ग्राम सभा से कैसे पास कराये। अगर कोई सरपंच कुरप्ट है उसके खिलाफ कुरप्शन के चार्जिज है तो वह कैसे नही डट सकता है। इसका मतलब है अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम कुरप्ट है और ऐसा साबित हो जाये तो उसे हटा नही सकते है? हाईकोर्ट का डिसीजन है कि सरपंच बगैर वजह बतायें और नोटिस दिये कि क्यों ऐक्शन न लिया जाये हट सकता है लेकिन यह कहते है कि हट नहीं सकता है। इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि आपकी सारी मशीनरी, पंचायत अफसर, बीडीओज वगैरह वगैरह सारे नकारा थे जो कि सरपंचों को ठीक नहीं कर सके। यह तो आपकी फैल्योर की एडमिशन है आप जो सरपंच गलती करने वाले हैं बेइमान है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते है। अब कहते है कि आसानी से हट जायेंगे और इस तरह हटेंगे कि रोजान मीटिंग्ज होगी और हटाने के प्रस्ताव आयेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह सारी पावर्ज अपने हाथ में लेगें ओर राइडर लगायेंगे कि अगर मेजारेटी आफ पंचिज कहेगी कि हटाओ तो पहले हटाने के लिए डाइरैक्टर आफ पंचायत की मंजूरी लो और ऐसा इन को करना पडेगा क्योकि रोजाना पंच दरखास्तें देंगे। इस एक्ट के बनने से पहले ऐसा होता था और रोजाना प्रस्ताव पास होते थे और दरखास्तें आती थी। इसके बाद ही सोचा गया था कि सरपंच को कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए और सीधे चुनाव से उसे सिक्योरिटी दी गई थी और यह किया गया था कि ग्राम सभा की दो तिहाई मेजारेटी उसे हटा सकती है। हटाने का उसमें प्रोविजन है लेकिन

अब यह एमेंडमेंट उसे हटा सकती है। हटाने का उसमें प्रोविजन है लेकिन अब यह एमेंडमेंट लाकर कहते है कि इस तरह हटायेंगे और यह इनकलाबी कदम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह इनकलाबी कदम नहीं रीट्रोग्रेड स्टैप है जो पिछले सब किये कराये पर पानी फेर रहा है। मैं समझता हूं कि जो स्वस्थ वातावरण हम गांव में पैदा कर रहे थे उस एक्ट के जरिये कि सरपंच जो हो वह सारी गांव की बिरादरियों का हो उनके वोट लेकर आये चाहे वह किसी बिरादरी के 10 वोट ही लेकर आये उस वातावरण को इस बिल को लाकर खत्मक किया जा रहा है। यह भी कोई बिल है जो आप पास करवाना चाहते हैं और आपने क्या सोचा है कि इसके कितने खतरनाक नतीजे होंगे। आप देख लेना कि इससे जातपात का उभार कम होने की बजाये बढेगा। जिस देश में यह देखा जाता हो कि चुनाव में किस बिरादरी और गोत का कैंडीडेट खडा है और बिरादरी और गोत के नाम पर वोट दिये जाते हों चाहे वह कैंडीडेट कितनी ही नालायक हो वहां उसी चीज को ओर बढावा देना और उस चीज को खत्म करने वाले स्टैप को पीछे ले जाना कहां की अक्लमंदी है। जिस देश में गोतों और जातों के नाम पर लडाई होती हो वहां पर इस किस्म की बात लाना ठीक नहीं है। आप तो उस बात को जो 1956 में इस एक्ट ने भूली विसरी कर दी थी उसे फिर से ताजा कर रहे है। हां मैं इसकी कुछ प्रोग्रेसिव बातों को जरूर सपोर्ट करता हूं लेकिन यह जो किया जा रहा है कि सरपंच चूंकि इन से हट नहीं सकता। इसलिये उस का चुनाव इनडायरैक्ट कर दो मैं इसकी पुरजोर

अलफाज में मुखालफित करता हूं और वह मैं इसलिये करता हूं क्योंकि आज हम जिस समाज का क्लासलैंस सोसायटी का निर्माण करने जा रहे हैं यह उसके खिलाफ जाता है और उसकी बुनियादों को खोखला करने वाला है। मैंने एक एमैंडमेंट दी है उसे मानलो और अगर नहीं मान सकते तो कल को आर्डीनेंस कर लेना लेकिन मेहरबानी करके इस हरियाणा में जिसमें जात पात बडा उभार खाता रहाह ` उसको कम करने की बजाये बढाने का प्रोविजन न लायें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पंचायतों के चुनाव में अगर आप कोई वीकर सैक्शन्ज का सरपंच बना कर दिखा देंगे तो मैं आपको शाबाश दूंगा। अब तो आप देख लें कि कितने ही गावं में वीकर सैक्शन्ज के सरपंच सारे गांव की सारी बिरादरियों को वोट लेकर चाहे किसी बिरादरी से दस वोट ही लिए हों लेकिन लिये हैं ओर बने हैं और इस तरह गांव का वातावरण स्वस्थ बना हुआ है। लेकिन यह प्रोविजन लाकर आप उस वातावरण को खत्म करने जा रहे हैं। इसलिये अच्छा हो अगर आप यह प्रोविजन इस बिल में डीलीट कर दें।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्षा महोदया, जहां तक इस बिल का संबंध है इसमें कई एक बहुत अच्छी बातें है जैसे ग्राम सभा के सैक्रेटरी को सरकारी मुलाजिम बनाया जा रहा है। सबुह भी यहां इस बात का जिक्र आया था कि कोई बात ऐसी नहीं जिसे ग्राम सभा सैक्रेटरी की सलाह के बगैर पास कर देती हो और मैं समझता हूं कि सैक्रेटरी तो उसका ब्रेन (दिमाग) होता है

लेकिन जिम्मेदारी उसके उपर कोई नहीं थी चाहे वह गलत रास्ते पर जाये या सही पर। यह अच्छी बात की है और इसकी जितनी तारीफ की जाये उतनी थोडी है। इसके अलावा इस बात को सोचते हैं कि उनकी तनखाह सारे गांव में इक्टठी करेंगे। अब भी तनखाह सरकार देती है और सरकार ही देती जाये इससें बुरी बात नहीं हे। यहां कहा गया है कि पहले कानून के अन्दर पंचायतें विलेज कामन लैंड का इन्तजाम अच्छा नहीं करती इसलिये ज्यादा अख्तियार चाहिये। अब सैक्शन 5 के अन्दर उनको मुकम्मल अखित्यार दे रहे हैं और यह देकर पंचायत कारपोरेट बाडी बन जायगी और जो उसकी जायदाद है वह कारपोरेट बाडी की जायदाद बन जायेगी और समझी जायेगी। तो वह उसको खुर्द बुर्द कर सकती है और यह साबित करना आसान नहीं होगा, कानून में इस बात की गुजांइश है।

उपाध्यक्षाः मैं हाउस की पहले सैन्स लेना चाहती हूं कि वह हाउस का टाईम कितना बढाना चाहता हैं क्यों कि हाउस साढे छह बजे खत्म होना चाहिए लेकिन बोलने वाले अभी बहुत है।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्षा महोदया, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि सैशन नान स्टाप चलना है और इस बारे में प्रसताव पहले पास हो चुका है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायतों को मुकम्मल अधिकार दे रहे हैं और डिप्टी स्पीकर साहिबा अगर कोई सरपंच कोई खराबी करता हैं और उसको हटाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी तो वह पंच सरकार के खिलाफ

हाईकोर्ट में रिट लेकर पहुंच जाएगा और हाईकोर्ट फैसला करेगा कि किसका इरादा कैसा है सरकार का इरादा क्या है और पंच का इरादा क्या है यह उस वाक्या पर डिपेंट करता हैं जैसा केस हों। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गांव का एक सरपंच है जिसका झगडा चल रहा है और वह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक चेयरमैन का जिक्र आया जो चुनाव में जीत गया लेकिन उसक गजट नोटिफिकेशन नहीं छापा गया। ऐसे हालात में हमें सोचना चाहिए कि हम जो प्रोविजन रख रहे है क्या यह हमारे भले का है क्या इनको अख्तियार देते हैं या छीनते है? पंचायत को जो कारपोरेट बाडी बना दिया है यह ठीक नहीं है। आप सोच लें मिनिस्टर साहब वकील है मैं तो वकील भी नहीं हूं। सदनों में आकर थोडा सा इस मामले में कढ गया हूं लेकिन ये तो वकील हैं प्रैक्टिस भी की है सदन का तजुर्बा भी है। आप इस बात पर गौर करें और सोचें कि जो कारपोरेट बाडी हम एक दफा बना देंगे तो फिर हटाना बडा मुश्किल हो जायेगा।

Shri Bansi Lal: On a point of order madam. Is the Honourable Member speaking relevant? He is talking of some Corporation while we are discussing the Gram Panchayat Amemdment Bill. There is no question of any Corporation. The Hon. Member should not be allowed to talk irrelevant.

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्षा महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बिल में सैक्शन 5 है जिसको हम

अमैंड कर रहे हैं। (विघ्न) अगर मुख्यमंत्री चाहें तो मैं यह सैक्शन पढ दूं। जिस बिल पर मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्षा: आप बिल पर बोलें।

चौधरी रणबीर सिंह: मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। अब तो मुझे यह सैक्शन पढना ही पढेगा। इसमें लिखा है–

Shri Bansi Lal: We are not making any carporation.

Chaudhri Ranbir Singh: Clause 5 of the Bill reads-

"After Section 7 of the principal Act, the following section shall be inserted namely—

"8. Incorporation of Gram Panchayat—Evey Gram Panchayat shall by the name notfified under sub section (1) of the section 5, be a body corporate having perpetual succession and a common seal, and subject to any restriction by or under this Act or any other law, shall have power to acquire, hold, administrater and transfer properly, movable or immovable, and to enter into contracts, and shall by the said name sue or be ued and do all such things as are necessary for which it is constitution."

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रभु सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैम्बर साहिब जो टाइम खराब कर रहे हैं इसको रोकें। (व्यवधान)

श्री बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा टाईम लिमिट होनी चाहिए। He is not the only member in the house.

उपाध्यक्षाः आप अपनी स्पीच को जल्दी खत्म करें।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बिल को एमेंड किया जाए, यह सोच समझ कर करें। हर चीज को, हर पहलू को सोच कर देख लें कि इसको एमेंड करना चाहिए या नहीं ये एमेंडमेंटस शामिल करनी चाहिए या नहीं, इन चीजों की छानबीन कर लेनी चाहिए। क्या ये एमेंडमेंटस सरकार के हित में हे या नहीं, इस पर सरकार गौर करें। अब मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

इसके बाद मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। एक मंत्री महोदय, सूबेदार प्रभुसिंह जी ने फरमाया है कि मैं हाउस का समय खराब कर रहा हूं। अगर इनके कहने के मायने यह है कि किसी बिल पर कोई सदस्य बोल रहा हो अपने विचार प्रकट कर रहा हो तो हाउस का टाइम खराब होता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो शब्द टाईम खराब करने के कहे हैं इन को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। जिस बिल पर बहस चल रही है उस पर बोलने से टाइम खराब नहीं होता। यह पार्लियामेंटरी प्रथा के खिलाफ है ये तो यह कह सकते थे। कि समय कम लिया जाए लेकिन यह नहीं कह सकते कि समय खराब कर रहे हैं जब कि मैं एमेंडिंग बिल पर ही बोल रहा था (विघ्न) मैं आप से दरखास्त करता हूं कि ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

श्री बंसी लालः डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी रणबीर सिंह जी ने मेरे गांव के एक सरपंच के केस का जिक्र किया है। उनका मतलब मुझे बदनाम और ब्लैक–मेल करने का ही था और कुछ नहीं था। हकीकत यह हे कि चौधरी रणबीर सिंह जी का धन्धा यह हो गया है कि उनको कोई भी आदमी मेरे गांव का मिल जाए उसे सरकार के खिलाफ भडकाते हैं वकील के पास ले जाते हैं ताकि कोई न कोई केस बन जाए। उससे गवाही वगैरह भी दिलवाते हैं मुकदमा करवाते हैं और मुकदमें के लिए चन्दा भी इकटठा करवाते हैं। इस तरह से झूठे मुकदमें करवाना इनका रोज का धन्धा हो गया है। इसी तरह से इनहौंने मेरे गांव के उस सरपंच को भी भडका दिया। जब हाई कोर्ट ने उस मुकदमें का फैसला दे दिया तो उसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। फिर कह दिया कि चेयरमैन का नोटिफीकेशन नहीं छपा। यह इनका रोज का कारोबार हो गया है चौबीस घंटे सरकार के खिलाफ ब्लैक–मेलिंग करते रहते हैं। आपको याद होगा पिछली फरवरी के सैशन में किस तरह सरकार तोडने के लिए सारी रात फिरते रहें। चौधरी भजन लाल से कहने लगे कि मैं हरियाणा का चरण सिंह बन गया हूं और अब मै मुझे मिनिस्टर बना दूंगा। (व्यवधान)

चौधरी रणधीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री महोदय को ऐसी बात कहने की आदत सी हो गई है ऐसी बातें कहने का कोई फायदा नहीं होता। यह जो इन्होंने कहा.....

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, पिछले सैशन में भी सैल्फ ऐक्सप्लेनेशन दिए गए थे और मैंने कहा था कि अपने सैल्फ ऐक्सप्लेनेशन ऐसे दिए जाएं जिन में कोई ऐसी बात न करें जिससे दूसरे मेम्बर को दोबारा सैल्फ ऐकसप्लेनेशन देना पडें।

चौधरी रणधीर सिंहः मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं इनके सरपंच को जानता भी नहीं और ये कहते हैं कि चन्दा इक्टठा करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। जहां तक चेयरमैन का जिक्र है उसका जिक्र सप्लीमेंटरी बजट में आया है। मुझे मालूम नहीं है कि वह कौन सरपंच और चेयरमैन है। ब्लैक मेलिंग करने का धन्धा मेरा नहीं शायद इनका है। (व्यवधान)

विकासमंत्री (श्री सरूप सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, ग्राम पंचायत का जो बिल सदन में तरसीम करने के लिए पेश है इसमें जो भी एमेंडमेंटस है वे नई जोडी गई है। तेरह चौदह साल के तजुर्बे के बाद ये तबदीलियां लाई गई है। जैसा कि चौधरी चांद राम ने सरपंच के इलैक्शन के मुताल्लिक जिक्र किया कि पहले इलैक्शन डायरेक्ट होते थे। ठीक है डायरेक्ट होते थे। और अब हमने इनडाइरेक्ट इलैक्शन करने का प्रोविजन प्रोवाईड कर दिया है। पिछले अब हमने इन्डाइरेक्ट इलैक्शन करने का प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया है। पिछले तेरह चौदह साल में हमने देखा कि जितने भी डायरेक्ट इलैक्शन हुए हरियाणा के अन्दर बहुत ज्यादा पार्टीबाजी ो गई। हर एक गांव दो धडों में बंट गया। तो डायरैक्ट इलैक्शन में यह सब से बडी खराबी है। गांव वाले हर एक काम

को पार्टीबाजी के नजरिये से देखते है। पंचायतें न तो गांव की शामलात जमीन की तरफ तवज्जो देती हैं और न पंचायत के दूसरे कामों की तरफ ध्यान देती है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि सरपंच का इलैक्शन पंचों के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से करवाया जाए। चौधरी चांद राम ने कहा है कि इससे जातपात को उभारा जाएगा। अगर जातपात को उभारा जाएगा तो इससे पहले जातपात को उभार कैसे हुआ? जब डायरेक्ट इलैक्शन होते थे तो जातपात को बढावा नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिला है यह कैसे हो गया? इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि सरपंच के इलैक्शन से जात पात का कोई वास्ता नहीं है। पचांयतों में भी शैडयूल्ड कास्टस होते हैं। शैडयूल्ड कास्टस के लिए भी रिजर्वेशन है। अगर एक सरपंच इलैक्शन में जीतता है उसको शैडयूल्ड कास्टस पंच भी वोट डालते हैं क्योंकि हर सरपंच को हरिजनों की वोअ की जरूरत होती है और वह हरिजनों को अपने साथ रखता है उनको साथ रखने की भी जरूरत है। इसलिए मैं इनकी बात जायज नहीं समझता। जहां तक दूसरी तरमीम का सवाल हे वह यह है कि ग्रामसेवक और पंचायत के सैक्रेटरी के औहदें को एक कर रहे हैं और उसको इस तरमीम के जरिये सरकारी मुलाजिम करार दे रहे हैं यह देखा गया है कि पंचायत के काफी झगडे रहते है। एक सरपंच हटता है दूसरा बनता है और रिकार्ड लिए फिरता है मगर ठीक रिकार्ड मिलता नहीं। इसलिए रिकार्ड को ठीक ढंग से रखने की जिम्मेदारी डालने के लिए इस सैक्रेटरी के औहदें को ग्रामसेवक के औहदें में मर्ज करके सरकारी

मुलाजिम बनाया जा रहा हे ताकि पंचायत का काम ठीक ढंग से चल सके।

एक तरमीम कारपोरेट बाडी की है। चौधरी रणबीर सिंह जी ने कहा कि यह जो कारपोरेट बाडी बनाई गई है यह नहीं बननी चाहिए मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत उसकी ऐग्जैक्टिव बाडी थी। इसमें एक दिक्कत थी। जब मुकदमें दायर करते थे पंचायत की तरफ से या कोई व्यक्ति पंचायत के खिलाफ तो उस वक्त यह दिक्कत पेश आई कि मुकदमें कारपोरेट बाडी ही दायर कर सकती है और उसके खिलाफ ही हो सकते हे। पंचायत के खिलाफ नहीं। इस एतराज को खत्म करने के लिए ग्राम सभा की जगह कारपोरेट बाडी रखी जा रही है।

एक तरमीम सैक्शन 99–ए की है। जो बिल अभी पास कर चुके हैं और जो विलेज कौपन लैंड अमेंडिंग ऐक्ट बन गया है वहीं तरमीम पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट के अन्दर है कि जो शामलात जमीन प्रौपर्ली मैनेज्ड नहीं है उसे कुछ अर्से के लिए सरकारी तौर पर मेनटेन किया गया।

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion is carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE-2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2, stand part of the Bill.

The motion is carried.

CLAUSE-3

Deputy Speaker: Question is-

That clause 3, stand part of the Bill.

The motion is carried.

CLAUSE-4

Deputy Speaker: Question is-

That clause 4.....

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने एक अमैंडमेंट दी थी उसका क्या हुआ?

उपाध्यक्षाः वह स्पीकर साहब, की तरफ से रूल आउट हो गई है।

चौधरी चांद रामः वजह क्या है?

उपाध्यक्षाः आप चैम्बर में आकर डिसकस कर लें even or you can read the relevant rule, i.e. 87(3).

चौधरी सरूप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ये सारी क्लाजिज इक्टठी पुट कर दें तो अच्छा है क्योंकि कोई अमैंडमेंट तो है नहीं।

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, रूल्ज की किताब तो मेरे पास है नहीं, अगर आप ही बता दें कि उसमें क्या है तो बडी कृपा होगी। वैसे मेरी अमैंडमेंट में कोई ऐसी बात थी नहीं जो वह नैगटिव हो जाती।

उपाध्यक्षाः आपने एक तो एक क्लाज ओमिट किया है तो हो नहीं सकता। दूसरे दूसरी क्लाज में आपने कहा है कि चुनाव बजाए इन–डायरेक्ट के डायरैक्ट होने चाहिएं। अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो सारे बिल का मकसद ही फेल हो जाता है। इसलिए यह रूल है कि इस तरह की अमैंडमेंट को हम एक्सैप्ट नहीं कर सकते और स्पीकर साहब की तरफ से यह रूल आउट हो गई है।

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो मैं मानता हूं लेकिन इसमें थोडी सी इन्टरप्रटेशन की बात है। इसका यही मकसद तो नहीं है। इस बिल के जरिए तो सचिव की अप्वायंटमेंट होने जा रही है और भी कई अमैंडमेंटस आ रही है इसलिए इसे स्वीकर कर लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्षाः मगर इस क्लाज का जो मकसद है उसके खिलाफ यह चीज है। इसलिए आपकी अमैंडमेंट एक्सपैक्ट नहीं हो सकती। But, if you want, you can speak.

चौधरी सरूप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, फायदा तो कोई नहीं क्योंकि रैपिटिशन ही होगा।

चौधरी चांद रामः एसी तो कोई बात नहीं अपना अपना व्यू है मेरा अपना विचार है आपका अपना विचार है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मैं बड गौर से विकास मंत्री महोदय के ख्यालात सुन रहा था। मैं फिर इस बात को असर्ट करता हूं चाहे वे करें वही जो उनके मन में आए कि इसमें जो सैन्स आफ पार्टिसिपेशन होती है वह नहीं रहेगी। ये कहते तो है कि पांच पंचों में से एक पंच हरिजन होगा और अगर कहीं आठ या नौ पंच होंगे तो उनमें से दो पंच हरिजन होंगे क्योंकि चार आदमियों में एक और आठ आदमियों में दो हरिजन पंच कया मैटर करेंगे? रोज हम यहां देखते है कि बेचारे एक एमएलए की सुनवाई नहीं होती। एक तरफ तो मैजोरिटी होती है और दूसरी तरफ अगर एक दो एमएलए या कुछेक मिनिस्टर किसी बात को चाहें भी तो मैजोरिटी के आगे वे कुछ नहीं कर सकते। तो वह बात इससे पूरी नहीं होती है ये चाहे जितनी बार इस बात को कहें। अब उन्होंने दलील दी 14 साल के ऐक्सपीरियन्स की। मगर उसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि 14 साल में इलैक्शन की एक हुआ है और कोई नई चीज या नई तबदीली इस दौरान आई नहीं। मैं मान जाता

अगर 14 साल में कोई दो तीन इलैक्शन हुए होते और उसकी कोई रिपरकशन्ज सामने आई होती। इसलिए मैं समझता हूं कि मैनें जो अमैंडमेंट दी थी वह ठीक थी और इसमें नेगेटिव करने वाली कोई बात नहीं थी। यह तो बहुत सी अमैंडमेंटस में से एक थी। मैंने तो अर्ज किया था कि जहां पंच पांच हो सरपंच भी उनमें शामिल हो जहां पंच 9 हों सरपंच भी उसमें शामिल हो और अगर पंचों को इलैक्शन डायरैक्ट होगा तो सरपंच का भी डायरैक्ट होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें नैगेटिव करने वाली कौन सी बात थी? नैगटिव करने वाली बात तो तब होती अगार मैं इस सारे का मकसद की फौत कर देता लेकिन स्पीकर साहब ने इसे नाजायज करार दे दिया कोई बात नहीं। मैंने एक बात कहनी थी, वह मैंने बडे जोर से कही कि इस बिल के जरिए इलैक्शन इनडायरेक्ट करने से वीकर सैक्शनज को उत्साह नहीं मिलेगा उनका हौंसला टूटेगा उनमें कमजोरी आयेगी और हर तरह से उनके अन्दर इनफीरियोरिटी कंप्लैक्स की भावना बढेगी।

Deputy Speaker: Will the Hon. Minister like to say any, thing?

CLAUSE 4

Deputy Speaker: Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5 to 20

Deputy Speaker: Question is-

That clause 5 to 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Sarup Singh: Madam, I beg to move-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE HARYANA AIDED SCHOOLS (SECURITY OF SERVICE) BILL, 1971

Education Minister (Shri Maru Singh): Madam I beg to introduce the Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill, 1971.

Shri Maru Singh: Madam, I beg to move-

That the Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill be taken into consideration at once.

श्री दया कृष्ण (जीन्द): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल जो आज सदन के सामने पेश है। आज वैसे तो बे–वक्त हो गया है इसलिए इसके विषय में ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह बडा इम्पोटैण्ट बिल है और इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता था।

इस बिल के अन्दर एक तरफ मैंनेजिंग कमेटी की बात है दूसरी तरफ टीचर की बातें है। एक तो इसमें यह है कि मैंनेजिंग कमेटी पेमेन्ट करे ओर उसका सुपरविजन गवर्नमेंट करेगी। जो सस्था अपने टीचर को या अपने मुलाजमों को

तनख्वाह देती है वैसे तो उसी का ही कन्ट्रोल टीचर्ज के रीप्रेजेन्टेटिव भी मुझसे मिले थे उनकी तकलीफों को भी मैंने सुना है और उनकी तकलीफें बहुत हद तक जायज भी है कई दफा तो उनको नोटिस दिये बिना ही निकाल दिया जाता है कई केसिज के अन्दर उनको तनख्वाह ही कम देते है। दूसरी तरफ मैंनेजमेंट की भी अपनी तकलीफे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के लाने से टीचर्ज को जो आज शान्ति में नहीं तकलीफ में है और खासतौर पर प्राइवेट एडिड स्कूलों के जिनको गवर्नमेंट से एड भी मिलती है उन टीचर्ज की सिक्योरिटी आफ सर्विस होगी। इसलिए इस बिल को मैं ताइद करता हूं।

चौधरी रणबीर सिंहः जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। जो बात बाबू दया कृष्ण जी ने कही है वह भी एक विचित्र बात है। इस बिल के लाने का मकसद यह है कि कई संस्थायें जो टीचर्ज को काफी खराब करती है। जो पूरा काम करते हे फिर भी उनको पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। उनकी जो सर्विस की सिक्योरिटी होनी चाहिए इस बिल के लाने से हो जाती है जो अन्य लोगों को आजादी है वह उन को भी मिल जाती है। सरकार जो बिल लायी है इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन आप जानते है यहां तो हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षकों को काफी दिक्कतें है जैसे उनकी तबादले की है उनके और खर्चे के विषय में है उनको भत्ता पूरा नहीं मिलता है। इसलिए

सरकार को उनकी और भी ध्यान देना चाहिए। बिल अच्छा है और यह आना भी चाहिए था।

चौधरी जोगिन्द्र सिह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार जो यह बिल शिक्षकों के बारे में लायी है इस पर में अपने विचार रखना चाहता हूं। इस बिल को प्राइवेट स्कूलों के टीचर्ज की सिक्योरिटी आफ सर्विस के लिए सरकार लायी है। जिनती सरकारी स्कूलों के टीचर्ज की सिक्योरिटी आफ सर्विस है उतनी ही तकरीबन प्राइवेट की भी है। क्योंकि किसी भी स्कूल का सारा इंतजाम वहां की मैनेजमैंट कमेटी करती है। बहुत से कालेज ऐसे हैं जिनको केवल किसान ही चलाते हैं। अगर इस प्रकार से गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी तो कोई भी संस्था अपने कालेज को नहीं चला सकती है। अगर गवर्नमेंट उस कालेज या स्कूल की सारी जिम्मेदारी ले कि जो भी किसी कालेज या स्कूल की आमदनी होती है उसके अलावा जो पैसा वहां पर खर्च होता है उसको सरकार दे उसी के पश्चात की गवर्नमेंट उन टीचर्ज की जिम्मेदारी ले सकती है, तभी गवर्नमेंट हकदार है वरना मैं समझता हूं यह बडी गलत बात है।

आप देखते है कि गवर्नमेंट टीचर्ज में प्राइवेट स्कूलों के टीचरों का डिस्पिलन भी ठीक है और उनके रिजल्ट भी अच्छे है। अगर आप ऐसा करते है तो आपकी मर्जी। वैसे पार्टी के हिसाब से तो हम वोट दे देंगे लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री रणधीर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई संदेह नही कि यह बिल जिस उदेदश्य को लेकर सदन में आया है वह तो बिलकुल ठीक है। परन्तु हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने यह सोचने का कष्ट नही किया कि इस बिल से मैंनेजमेंट और टीचर्ज के अन्दर अधिक खिंचाव पैदा होगा। हमारे साथी यह मानते है कि टीचर्ज के साथ अन्याय किया जाता है और मैं भी यह मानाता हूं कि उनके साथ अन्याय होता है। परन्तु कुछ मैनेंजमैंट की दिक्कतों का भी सवाल है। जिन सस्ंथाओं का मैनेजमैंट अच्छे तरीके से चल रहा है और उनका टीचर्ज का भी कसूर हो सकता है अगर मैंनेजमैंट उसको हटाएगा तो यह बिल में रूकावट भी पैदा करेगा। इसमें भी कोई संदेह नही कि जो भी प्राइवेट स्कूल्ज है जो वहां पैसा लगता है वह सब पब्लिक का होता है और पब्लिक के इन्ट्रैस्ट के लिए ही लगाया जाता है।

यह बात भी सत्य है जितने भी आज तक आजादी के लिए युद्व संग्राम हुए वे सभी इन प्राइवेट स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों ने ही किये है। इस एक्ट के लागू करने से अगर गवर्नमेंट कोई मूवमेंट चलाना चाहेगी तो वह नही चलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी कि यह हमारे सुपरविजन में है और प्राइवेट वाले कहेंगे कि हमारे सुपरविजन में है। सरकार को चाहिए इस बिल के द्वारा यह स्पष्ट कर दें कि जितने भी प्राइवेट एडिड स्कूल है उनको खत्म कर दिया जाए और उनका मैंनेजमैंट सरकार अपने हाथ में ले लें ताकि प्राइवेट स्कूल में मैंनेजमेंट में और टीचर्ज के

अन्दर कोई किसी प्रकार कनफिलिक्ट पैदा न हो। मैं तो मंत्री महोदय से यही रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल में सरकार यह अमैंडमेंट लाये कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको सरकार अपने हाथ में ले लें या उनका मैनेंजमैंट उसी प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं के पास ही रहे। ऐसा करने से टीचर्ज और मैंनेजमैंट में कोई झगडा वगैरा नहीं होगा। जितनी भी ये संस्थायें है जैसे डीएवी सनातन धर्म या कोई अन्य है या किसी ओर प्राइवेट कमेटीज के द्वारा चलाये हुए स्कूल हैं उनकी अपनी पालिसी होती है वे अपने तरीके सै ही उस स्कूल को चलाते हैं मगर वे गवर्नमेंट के सुपरविजन में आ जायेगी तो उससे पब्लिक इंट्रैस्ट में क्लेम होगा। गवर्नमेंट तो यह चाहेगी कि जो उनकी अपनी पालिसी है उसी के कार्य हो परन्तु प्राइवेट स्कूल के प्रबन्धक उस चीज को चाहते नहीं है। तो उससे आपस में रूकावट पैदा होगी इसलिए मेरा सरकार से यही सुझाव है कि इस अमैंडमेंट को ऐड करें उसके बाद इस बिल को पास करें।

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे लायक दोस्त को कुछ गलतफहमी हो गई है। इसमें तो केवल इतना ही है कि जो एडिड स्कूलों के मुलाजिम है उनको सर्विस में सिक्योरिटी दो। आप जानते है कि बहुत से ऐसे स्कूल है या कई एक ऐसी संस्थायें है जो किसी टीचर को दो–तीन महीने रखती हैं और फिर निकाल देती है ऐसी जो इंस्टीच्यूशन्ज या प्रबन्धक कमेटियां है जो खामख्वाह ही अपने मुलाजिमों को तंग

करती है उनके लिए यह बिल है। जो संस्थायें ठीक तरीके से काम कर रही है उनके अन्दर सरकार कोई दखल देने का इरादा नहीं रखती है और न ही उनकी पालिसीज के अन्दर कोई दखल देगी। इस बिल में तो केवल टीचर्ज की सर्विस सिक्योरिटी का सवाल है।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Shri Daya Krishan (Jind): Madam, I beg to move.

That in proviso to sub-clause (1) the words "involving turpitude" shall be added at the end.

इसका मतलब यह है कि अब जैसा कि यह बिल था इसमें अगर किसी टीचर का कोई भी सजा हो जाये तब उसको

डिसमिस किया जा सकता है चाहे वह सिनेमा में सिग्रेट पीता हो, उसके उपर कोई जुर्माना हो जाये या दफा 34 की उललंघना करें या कोई और जैसे चेचक का टीका उसके लडकें ने नहीं लगवाया तब उसकी डिसमिसल हो सकती है। मैंने इसमें सिर्फ यह कहा है कि–

"In the proviso to sub-clause (1) the words "involving turpitude" shall be added at the end."

तो इन लफजों के होने से उन्हीं केसिज में टीचर्ज को सजा दी सकेगी जिन केसिज में कि सजा इस किस्म की है जिसमें मारेल टर्पीच्यूड इनवालव होता है तो यह एक बहुत अच्छी क्लाज है और अगर यह न हो तो इससे टीचर्ज को बहुत नुकसान पहुंचता है मैं समझता हूं कि सरकार इसको मंजूर करें। इस क्लाज के मुतालिक एक और चीज कहना चाहता हूं वह यह कि जहां कहीं किसी टीचर को सजा होनी हो उसकी कनफर्मेशन पहले डीइओ करता है इस क्लाज 3 के तहत जो यह सब क्लाज है यह बात नहीं है। इसके मुत्तलिक सरकार गौर करले अमैंडमेंट तो लाने नहीं दी लेकिन यह बात भी ठीक मालूम नहीं देती।

Deputy Speaker: Motion moved-

That in proviso to sub-clause (1) the words "involving turpitude" shall be added at the end.

Shri Maru Singh Malik: I accept the amendment.

Deputy Speaker: Question is-

That in proviso to sub-clause (1) the words “involving turpitude” shall be added at the end.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Deputy Speaker: Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Deputy Speaker: Question is-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Deputy Speaker: Question is-

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

श्री दया कृष्ण (जींद): यह तो क्लाज 3 है यह एक नई किस्म की कलाज है जोकि इस बिल में लाई गई है। आमतौर पर आम एक्टस में इस किस्म की क्लाज नही बनी और इस क्लाज का मतलब क्लाज 8 से पूरा होता है तो यह एक डुपलीकेशन भी है। इस क्लाज से मेरी खदशा यह है कि अगर यह एक्ट में रह जाती है तो जो ऐग्जैक्टिव गवर्नमेंट है वह इसका जो मतलब है उस को खेंच कर दूसरी और न ले जायें। तो मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इसकी इन्ट्रप्रैटेशन ठीक ढंग से करें ताकि यह जो लैजिस्लेशन का मुददा है वही आये और फायदा इस किस्म का क्लाज दूसरे बिल्ज में न आये।

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह): यह जो क्लाज 7 है इसमें सरकार का कोई दूसरा मुददा नहीं है सीधी बात यह है कि डिफीक्ल्टी होती है। इन्टरप्रैटेशन के अन्दर इसमें कोई दिक्कत न हो सकें इसलियें यह कहा गया है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट कलीयर कर देगी।

Deputy Speaker: Question is-

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Deputy Speaker: Question is-

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Shri Daya Krishan (Jind): Madam, I beg to move-

That clause I shall be substitued as under:-

"1. (1) This Act may be called the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act, 1971.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may be notification specify."

Deputy Speaker: Motion moved-

That clause I shall be substitued as under:-

"1. (1) This Act may be called the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act, 1971.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may be notification specify."

Shri Maru Singh Malik: I accept the amendment.

Deputy Speaker: Question is-

That clause I shall be substitued as under:-

"1. (1) This Act may be called the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act, 1971.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may be notification specify."

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1, as substituted, stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Maru Singh Malik: Madam, I beg to move-

That the Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill be passed.

The motion was carried.

OFFICIAL RESOLUTION

ADOPTION OF ESTATE DUTY (AMENDMENT) ACT, 1968 AND AMENDMENTS MADE THEREIN BY CERTAIN OTHER ACTS RETROSPECTIVELY SO FAR AS THEY RELATE TO ESTATE DUTY IN RESPECT OF AGRICULTURAL LANDS IN HARYANA STATE

Deputy Speaker (Shri Neki Ram): Madam, I beg to mvoe-

"WHEREAS during the period of operation of the proclamation of emergency the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) was amended by Parliament by the following Acts, Namely:-

1. The Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963).

2. The Finance Act, 1964 (5 of 1964).

3. The Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Act, 1984 (11 of 1964).

4. The Direct Taxes (Amendment) Act, 1964 (31 of 1964).

5. The Finance Act, 1965 (10 of 1965).

6. The Finance (No. 2) Act, 1965 (15 of 1985).

7. The Taxation Laws (Amendment and Miscellaneours Provisions) Act, 1965 (41 of 1965), and

8. The Finance Act, 1966 (No. 13 of 1966).

AND WHEREAS under clause (2) of article 250 of the Constitution, the aforesaid Acts in so far as tehy related to Estate Duty in respect of agricultural lands ceased to have effect on the expiration of a period of six monts after the proclamation ceased to operate;

AND WHEREAS after the proclamation ceased to operate, Parliament had no power to make laws for the States except as provided in article 249 of the Constitution with respect to matters specified in the aforesaid Acts in so far as they related to estate duty in respect of agricultural lands;

AND WHEREAS Parliament enacted the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968), which interalia provided that the aforesaid Acts shall be deemed to have applied n and from the dates on which amendments made by each of the aforesaid Acts took effect to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories comprised in such other States as the Central Government may, by notification, specify in this behalf after resolution have been passed by the Legislatures of those States adopting the said amendments retrospectively under clause (1) of article 252 of the Constitution;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the amendment made in the Estate Duty Act, 1953 by the aforesaid Parliament Act No. 22 of 1968 so as to adop the amendment made by the aforesaid Acts in so far as the agricultural lands situate in the territories of the State of Haryana are concerned should be adopted on and from the dates on which amendments made by the aforesaid Acts took effect;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution to adopt retrospectively in the territories of Haryana the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968) from the date on which it was enacted by Parliament and also to

adopt respectiviely in such territories the amendments made by each of the aforesaid Acts from the dates on which such amendments were made by each of the aforesaid Acts in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories of Haryana.

Deputy Speaker: Motion moved:-

That Whereas during the period of operation of the proclamation of emergency the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) was amended by Parliament by the following Acts, Namely:-

1. The Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963).

2. The Finance Act, 1964 (5 of 1964).

3. The Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Act, 1984 (11 of 1964).

4. The Direct Taxes (Amendment) Act, 1964 (31 of 1964).

5. The Finance Act, 1965 (10 of 1965).

6. The Finance (No. 2) Act, 1965 (15 of 1985).

7. The Taxation Laws (Amendment and Miscellaneours Provisions) Act, 1965 (41 of 1965), and

8. The Finance Act, 1966 (No. 13 of 1966).

AND WHEREAS under clause (2) of article 250 of the Constitution, the aforesaid Acts in so far as tehy related to

Estate Duty in respect of agricultural lands ceased to have effect on the expiration of a period of six monts after the proclamation ceased to operate;

AND WHEREAS after the proclamation ceased to operate, Parliament had no power to make laws for the States except as provided in article 249 of the Constitution with respect to matters specified in the aforesaid Acts in so far as they related to estate duty in respect of agricultural lands;

AND WHEREAS Parliament enacted the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968), which interalia provided that the aforesaid Acts shall be deemed to have applied n and from the dates on which amendments made by each of the aforesaid Acts took effect to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories comprised in such other States as the Central Government may, by notification, specify in this behalf after resolution have been passed by the Legislatures of those States adopting the said amendments retrospectively under clause (1) of article 252 of the Constitution;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the amendment made in the Estate Duty Act, 1953 by the aforesaid Parliament Act No. 22 of 1968 so as to adop the amendment made by the aforesaid Acts in so far as the agricultural lands situate in the territories of the State of Haryana are concerned should be adopted on and from the dates on which amendments made by the aforesaid Acts took effect;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution to adopt retrospectively in the territories of Haryana the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968) from the date on which it was enacted by Parliament and also to adopt respectiviely in such territories the amendments made by each of the aforesaid Acts from the dates on which such amendments were made by each of the aforesaid Acts in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories of Haryana.

7.00 P.M.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्षा महोदया, यह ऐस्टेट ड्यूटी एक्ट के बारे में जो सरकार प्रस्ताव ला रही है, वैसे तो मैं उस पर बोलने के लिए न खड़ा होता, लेकिन क्या ही अच्छा यदि हम इसको एक अच्छे ढंग से पेश करते यानी इस एक्ट को जिस तरह यह था, उसी ढंग से पेश करते। यह किसी अदालत में गया और इसकी इन्टरप्रैटेशन का सवाल पैदा हुआ कि क्या लोक सभा जीमनों के बारे में कोई कानून पास कर सकती है या नहीं ? यह कान्करैन्ट लिस्ट में हैं। इसके ऊपर काफी बहस मुबाहिसा हुआजहां तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, उसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है। जहां तक तरीके का ताल्लुक है, मै ंउस तरीके से सहमत नहीं हूं। क्या ही अच्छा होता अगर हम इसको बाकायदा एक बिल लाकर के पास करवाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह इसे बिल के तौर पर लाते तो एक अच्छी बात होती।

Deputy Speaker: Question is:-

That Whereas during the period of operation of the proclamation of emergency the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) was amended by Parliament by the following Acts, Namely:-

1. The Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963).

2. The Finance Act, 1964 (5 of 1964).

3. The Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Act, 1984 (11 of 1964).

4. The Direct Taxes (Amendment) Act, 1964 (31 of 1964).

5. The Finance Act, 1965 (10 of 1965).

6. The Finance (No. 2) Act, 1965 (15 of 1985).

7. The Taxation Laws (Amendment and Miscellaneours Provisions) Act, 1965 (41 of 1965), and

8. The Finance Act, 1966 (No. 13 of 1966).

AND WHEREAS under clause (2) of article 250 of the Constitution, the aforesaid Acts in so far as tehy related to Estate Duty in respect of agricultural lands ceased to have effect on the expiration of a period of six monts after the proclamation ceased to operate;

AND WHEREAS after the proclamation ceased to operate, Parliament had no power to make laws for the States

except as provided in article 249 of the Constitution with respect to matters specified in the aforesaid Acts in so far as they related to estate duty in respect of agricultural lands;

AND WHEREAS Parliament enacted the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968), which interalia provided that the aforesaid Acts shall be deemed to have applied n and from the dates on which amendments made by each of the aforesaid Acts took effect to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories comprised in such other States as the Central Government may, by notification, specify in this behalf after resolution have been passed by the Legislatures of those States adopting the said amendments retrospectively under clause (1) of article 252 of the Constitution;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the amendment made in the Estate Duty Act, 1953 by the aforesaid Parliament Act No. 22 of 1968 so as to adop the amendment made by the aforesaid Acts in so far as the agricultural lands situate in the territories of the State of Haryana are concerned should be adopted on and from the dates on which amendments made by the aforesaid Acts took effect;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution to adopt retrospectively in the territories of Haryana the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968) from the date on which it was enacted by Parliament and also to adopt respectiviely in such territories the amendments made by each of the aforesaid Acts from the dates on which such

amendments were made by each of the aforesaid Acts in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories of Haryana.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon. Member, as you know, we are now going to discuss two important matters, one about the Haryana Public Service Commission and the other about the Haryana State Electricity Board. I think, we are getting very late and would, therefore, suggest that we should restrict the lenght of our speeches, so that we can finish with the business before us as early as possible. I requet the mover to move his motion.

DISCUSSION ON THE ANNUAL REPORT OF THE HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION FOR THE YEAR 1967-70

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है उस पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय इसमें दो–तीन बातें हैं और मैं 5–4 मिनट में इनके बारे में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पहले आप मूव तो कर दीजिए।

चौधरी रणबीर सिंह: मैंने मूव किया है कि उस पर विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission, for the period from 1st April, 1969 to 31st March, 1970, which was laid on the Table of the House on the 8th February, 1971, be taken into consideration.

I would suggest that the speeches may not last more then five minutes.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने आदेश किया है उसके मुताबिक मैं चलने की कोशिश करूंगा। यह जो रिपोर्ट है वह हमारे प्रदेश के लिए शान की बात नहीं है। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का ताल्लुक है आप जानते हैं कि उसकी अपाएंटमैंट कांस्टीट्यूशन के तहत है और संविधान के तहत उसको सेफगार्ड मिलता है। इसके अन्दर जिकर है कि सेक्रेटरी की भर्ती के मामले में सलाह ली जाती थी लेकिन अब की बार हमारी सरकार न`उनकी सलाह लेने की परवाह नहीं की है। यह कोई शान की बात नहीं है। आप जानते हैं कि संविधान के अन्दर उनको अधिकार दिया गया है कि वे आसामियां निकालें। इस रिपोर्ट के अन्दर जो बातें लिखी हैं वह हमारे प्रदेश की शोभा नहीं बढ़ाती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि संविधान के पीछे जो धारणा है उस धारणा को सामने रखकर हम चलें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ आसामियां उनके अधिकार से निकाल ली गई। मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं कि अगर आम हालात में ऐसा किया जाता, ताल्लुकात अच्छे रहते, उनकी सलाह से ऐसा किया जाता, उनके पास काम ज्यादा होता तब यह आसामियां

निकाली जातीं तो इसमें उनकी भी सहमति होती और उन्हे ंकोई एतराज नहीं होता। लेकिन यह सारी रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो भी सिफारिश्ज्ञ की हमारी सरकार ने उसको कबूल किया लेकिन कुछ आसामियों के बारे में जो उनकी राये थी उसको कबूल नहीं किया। अच्छा हो कि मुख्य मंत्री महोदय हमारे देश की जो रवायता हैं उन रवायात को सामने रखकर इस ढंग से काम चलाएं जिससे उनकी इज्जत दुगनी हो और साथ ही हमारे प्रदेश की इज्जत भी बढ़े।

चौधरी चांद राम (बबैन, एस0सी0): स्पीकर साहब, मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह तो अच्छी बात है कि कमीशन और सरकार के ताल्लुक अच्छे रहें और अगर अच्छे न हों तो अच्छे होने चाहिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और यह बात पिछली बार भी इस रिपोर्ट में डिस्कस हुई थी, वह यह थी कि 1968–69 में 8579 पोस्टों की भर्ती हुई और इनमें रिजर्व होनी थी 1716 लेकिन सिर्फ 867 पोस्टें शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व की गई और इन 867 पोस्टां के अगेन्सट जैसा कि पिछली रिपोर्ट से पता चलता है 156 शैड्यूल्ड कास्टस के केन्डीडेट और 132 बेकवर्ड क्लास के केन्डीडेट लिए गए। उनके लिए 170 पोस्अस रिजर्व होनी चाहिए थी। यह तो हुई पिछले साल की रिपोर्ट। इस साल की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है और वह है कि 84 पोस्टस सिर्फ रिजर्व की गई। अब आप इससे अन्दाजा लगाएं कि 80 पदों के लिए 15 उम्मीदवार उन्होंने छांटे। 88 पोस्टस रिजर्व

थी उनके अगेन्स्सट 18 छांटे। यह कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। यह सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में कन्डक्टर, ड्राईवर आदि भर्ती करती है। वहां 1430 जगह थीं। इन 1430 के अगेन्सट 286 आदमी भर्ती होने चाहिए थे लेकिन इन्होंने 112 भर्ती किए। इन 286 जगहों में से 26 जगहें बैकवर्ड क्लासिज के लिए होने चाहिएं लेकिन 26 के अगेन्सट 20 भर्ती किए। इसी सम्बन्ध में एक बात बताना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट निकाली। एक हरिजन लड़का उस पोस्ट पर स्लेक्ट हो गया। यह कहते हैं कि उसने उस फार्म का एक कालम नहीं भरा जिसमें यह इन्फार्मेशन देनी होती है कि वह पहले सर्विस में हे या नहीं। उसने वह कालम देखा ही नहीं और दरअसल उस फार्म में वह कालम था ही नहीं। स्लैक्शन के बाद किसी ने यह शिकायत कर दी कि वह लड़का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में था। इसी बात पर उस लड़के को कह दिया कि उसने फेक्ट्स कन्सील किए हैं इसलिए स्लैक्शन केन्सिल किया जाता है। लेकिन असल बात तो यह है कि उस फार्म में यह कालम ही नहीं था जिसमें वह लड़का यह सूचना देता।

कोई लड़का सूटेबल होता है पब्लिक सर्विस कमीशसन की नजर में तो उस का इस तरह से पत्ता काट दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि यह गवर्नमैंट का कसूर है लेकिन यह जरूर कहता हूं कि हमारे एटिच्यूड में फर्क आना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के एटिच्यूड में भी फर्क पड़ना चाहिए। जब वह लड़का

अदरवाईज डिसऔनेस्टी में डिसमिस नहीं हुअया या उसके खिलाफ कोई और खास बात नहीं तो फिर उसको क्यों न लिया जाए। पहले तो गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स ही पूरी रिजर्वेशन करके नहीं भेजते और अगर भेजते हैं तो वह कुआलिफिकेशनज और एक्सपीरएिंस इतना हाई कर देते हैं कि वह उसको फुलफिल ही न कर सके। कल परसों मेरी चीफ मिनिस्टर साहिब से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हम शैड्यूल कास्टस की जो वेकेंसीज होंगी उनमें 22 परसेंट रिजर्वेशन कर रहे हैं। सरकार का इरादा नेक हे मगर आप 22 फीसदी उनको तब दे सकते हैं अगर कुआलिफिकेशन्ज रिलैक्स करेंगे वर्ना उस रिजर्वेशन का उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज हालत यह है कि जिस पोस्ट के लिए कोई खास तजरबे की जरूरत नहीं थी उसके लिए कुआलिफिकेशन्ज और एक्सपिरिएंस बहुत रख दिया है। एक प्रिंसीपल या हैडमास्टर की पोस्ट रिजर्व हैं उसके लिए आठ दस साल के तजरूबे की शर्त रख देते हैं, पहले सिर्फ पांच साल की कन्डीशन थी मगर अब जान बूझ कर उस को बढ़ा दिया है ताकि हरिजन या बैकवर्ड क्लास का आदमी उसके लिए पूरा न उतर सके। इसलिए यह गवर्नमैंट के लिए देखने वाली बात है। स्पीकर साहब, गुजरात मे ंजब श्री यू0एन0 धेबर चीफ मिनिस्अर थे तो उन्होंने कई तदाबरी बनाई थी ताकि पोस्टों के मुताबिक उनको काबिल भी बनाया जा सके। मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा सरकार ने भी एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ है लेकिन वह छोटे लेवल का है हायर लैवल का भी होना चाहिए। पहले

पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ में ऐसा सैन्टर था जो कि पंजाब वालों ने पटियाला में भेज दिया था। उसी तरह से हरियाणा सरकार को भी चाएि कि आल इन्डिया सर्विसिज के कम्पीटिशन के लिए ट्रेनिंग सैंटर खोले। पिछली बार जब जुडिशियल सर्विस के लिए रिक्रूमैंअ हुई थी तो उसके लिए 33 परसैंट मार्कस थे लकिन अब 45 फीसदी कर दिये गए हैं और अब कोई शैउ्यूल्ड कास्ट वाला आगे आ ही नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए वर्ना कोई भी हरजन लड़का सबजज नहीं बन सकेगा। स्पीकर साहब, जिस तरफ भी ध्यान मारो उसी तरफ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब फरवरी का महीना चल रहा है। लेकिन शैड्यूल्ड कास्टस के लड़कों को अभी तक स्टाईपैंड नहीं दिए गए हालांकि पिछली बार यह बातया गया था कि उनको मन्थली दे दिया करेंगे। मै सूबेदार साहिब को और मुख्य मंत्री साहिब को गुजारिश करूंगा कि यह वजीफे तो भारत सरकार देती है और आप तो बीच में केवल पोस्अ आफस का ही काम करते हैं। आप कोइ इतना कात करने में तो देरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने हैडमास्टर्ज और प्रिंसीपल्ज को कहं कि वह उन गरीब लड़कों को वक्त पर वजीफे दिलाया करें। अगर वह अपनी तनखाहें हर महीने ले सकते हैं तो उनको भी वजीफे दिला सकते हैं। यह जो हरिजन क्लास है यह अपने प्रोफैशन से डिसप्लेस्ड होती जा रही है, इसलिए आप उनको वजीफों की रकम ज्यादा दीजिए ताकि वह सर्विसिज में कम्पीट करने के काबिल बन सकें। हरिजन के हितों को सेफगार्ड करने के लिए पब्लिक सर्विस

कमीशन में जब कोई वेकेंसी हो वहां पर हरिजन मैम्बर को लगाया जाए और अगर वह वेकेंसी फिल न हो सके तो उसको रिजर्व में खाली रखा जाए। इसी तरह सैनिक स्कूलों में भी आप को हरिजनों को सहूलियतें देनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः सैनिक स्कूलों में चौधरी साहिब किसी को जाने में पाबन्दी नहीं है।

चौधरी चांद रामः मैंने अपना लड़का देहरादून में दाखिल करवाना चाहा था लेकिन वह सिलैक्ट नहीं हो सका। अगर मेरे साथ इस तरह से हो सकता है तो फिर और लोगों के साथ क्या हाल होता होगा।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहिब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर डिसकशन के दौरान चौधरी चांद राम जी ने कुछ बातें कहीं। मैं उनमें से बहुत सी बातों में मुताफिक हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि जो सर्विसिज में हमने शैड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के लिए रिजर्वेशन की वह पूरी नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। सरकार को भी उसे पूरी करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और पब्लिक सर्विस कमिशन को भी कोशिश करनी चाहिए। मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे पब्लिक सर्विस कमिशन के जो चेयरमैन हैं उनकी कोई एजुकेशनल कुआलीफिकेशन्ज नहीं हैं, वह अनपढ़ के बराबर हैं, चौथी जमात का भी उनके पास सर्टीफिकेट नहीं है। जिस समय

यह किसी कैटेगरी के मुलाजमों के लिए कोई भी कुआलीफिकेशन रखने जाते हैं, मेरे नोटिस में जहां तक बातें आई हैं, गजटिड पोस्टों के लिए चेयरमैन साहिब पहले से ही डिटर्मिण्ड होते हैं कि किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए ऐसी कुआलीफिकेशन्ज मुकरर्र की जाए जो और कोई उस कसौटी पर पूरा न उतरे। तो यह हमारी बदकिस्मती है। चौधरी चांद राम जी ने जो फिग्गर्ज दिए मैं उनको चैलिंज नहीं करता, मै हाउस को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि शैड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लिए जितनी रिजर्वेशन की जाए उसे हम भरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यह बात भी ठीक है कि हमारी खाली कोशिश ही कोशिश से काम नहीं चलेगा हमें मैटली भी उस चीज के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हरिजनों का और बैकवर्ड क्लासिज का कोटा हर लिहाज से पूरा हो। मैं इस बात से इंकार नहीं करता, मैंने कई जगह यह कमी देखी हे कि लोगों के सोचने में भी फर्क रह जाता है। स्पीकर साहिब मैंने खासी कोशिश की इस बात की कि इस कमी को हम दूर करें, पहले के मुकाबले में आंकड़े अच्छे हैं और हमने ज्यादा करने की कोशिश की है और आगे और भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य चौधरी रणबीर सिंह ने कहा कि यहां परम्परा ऐसी थी कि सैक्रेटरी जो लगाया जाये वह पब्लि सर्विस कमीशन से पूछ कर लगाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि रूल्ज में वर्डज हैं इन कन्सलटेशन विद दि पब्लिक सर्विस कमीशन और इसमे कनक्रैंस का वर्ड नहीं है फाइनल अथारेटी गवर्नमैंट इस बारे में है। The

word 'concurrence' is not there. The final authority is the Government. लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को गवर्नमैंट ने जब भी नाम भेजा उन्होंने ना कर दी। आखिर कोई न कोई आदमी तो हमने लगाना था। अब चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जिनकी अपनी कोई एजुकेशनल कुआलीफिकेशन्ज हैं नहीं अपनी कमी को सैक्रेटरी से पूरा करना चाहें तो बड़ी मुश्किल बात है हो नहीं सकती। इस रिपोर्ट में एक जगह जिकर आया कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन .....

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। वैसे तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं समझती हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं सरकार ने ही उनको लगाया हे और उनको यहां कोई डिफैंड नहीं कर सकता और न वह खुद अपने आप को यहां डिफैंड कर सकते हैं। जिस भाषा को मुख्य मंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं मैं समझती हूं कि यह सरकार की अपनी ही तौहीन होगी। अगर वह ठीक नहीं है तो उसे हटा देना चाहिए लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सरकार की अपनी तौहीन होगी।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहिब, वह मने नहीं लगायसा हम से पहले लगाया जा चुका था और उसे हटाने का हमको अख्तियार नहीं ।

चौधरी रणबीर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर विद्या सागर का शायद बहुत सारे दोस्तों

को पता नहीं हो कि वह कौन हें। वह रोहतक मैडीकल कालेज में मैन्टल डाक्टर हैं। यह किस का इलाज कराना चाहते हैं डाक्टर विद्या सागर से ?

श्री बंसी लालः अपने पड़ोसियों का करा लो और क्या करोगे (हंसी)।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यही मैं कहलवाना चाहता था। तो यह कागजात में से निकाल दिया जाए क्योंकि किसी मैंबर के बारे में कोई मैम्बर यह नहीं कह सकता कि दिमागी तौर पर वह पूरा नहीं है और अगर वह पूरा न हो तो उसके बाद मैम्बर वह रह नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता। इससे ज्यादा और कोई तौहीन नहीं हो सकती। जो शब्द मुख्य मंत्री जी ने कहे हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कार्यवाही में से निकाल दिए जायें।

Mr. Speaker: I will examine it.

चौधरी रणबीर सिंहः दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो कोशिश मेरी बहन आनरेबल मैम्बर चन्द्रावती जी ने की कि चूंकि चेयरमैन साहब यहां इस बात का जवाब देने आ नहीं सकते इसलिए यह ठीक नहीं। मैं भी कई बाते ऐसी कह सकता था, हाई कोर्ट में रिट हुई है मैंने नहीं कहीं और इसलिए नहीं कहीं कि हमारी भाषा अच्छी हो जाये हारे ताल्लुकात सुधर जायें यह अच्छी बात है। तो मैं आप से आदेश चाहूंगा कि आया जिसको कान्सटीच्यूशन ने सरंक्षण दिया हे उसके बारे में उसकी जात के

बारे में सदन में बात आ सकती है या नहीं और अगर नहीं आ सकती है तो यह शब्द हटा दिए जायें जो उन्होंने कहा कि चौथी जमात पास नहीं हैं यह नहीं हैं वह नहीं है। यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, चेयरमैन का जिकर इस किताब में भी है और चेयरमैन चेयरमैन कह कर दो तीन बार चौधरी रणबीर सिंह ने भी अपनी स्पीच में जिकर किया। जिस चेयरमेन के साथ उन्होंने कहा कि सरकार का झगड़ा है वह ऐक्सप्लेन करना सरकार का काम है कि वह झगड़ा क्यों है। I have got that right to explain. There is nothing wrong in it. तो स्पीकर साहब, एक बार वही चेयरमेन पब्लिक सर्विस कमीशन रिसोर्सिज कमेटी के चेयरमैन ..... विघ्न .....

चौधरी रणबीर सिंहः मैंने आपसे आदेश मांगा था .... विघ्न

श्री अध्यक्षः उस वक्त तो आपने कुछ कहा नहीं ..... जब शुरू में कुछ बातें हुई .....

चौधरी रणबीर सिंहः मैंने तो चन्द्रावती जी के मैन्टल के बारे में .....

Mr. Speaker: About Chandravati Ji. I said that I will examine it and take necessary action.

चौधरी जय सिंह राठीः वह रिपोर्ट पर बोल रहे हैं और यहं रिपोर्ट की बात की जा रही है ..... (विघ्न) ..... मेरे को तकलीफ हो गले की और बात कहने लग जाये दिमाग की तो यह अच्छी बात नहीं हैं .....

चौधरी रणबीर सिंहः चन्द्रावती जी ने प्वायंट आफ आर्डर उठाया और आपके आदेश के लिए एक सवाल पेश किया और उस सवालके समर्थन में मैंने कहा और आपने इस सिलसिले में कुछ आदेश नहीं दिया था मैंने भी निवेदन करना चाहा और निवेदन आपके सामने है कि आया वह भाषा कि चौथी जमात पास नहीं वह नही यह कार्यवाही से निकाले जायें यह नहीं ?

श्री बंसी लालः मुझे भी तो यह बताना पड़ेगा कि उनकी क्या लियाकत है और क्यों झगड़ा है .....

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपको याददिहानी कराना चाहता हूं कि पिछली दफा भी नहीं कोशिश की गई थी और उस वक्त भी आपने .....

Mr. Speaker: I gave you the answer. About Chandravati Ji, I said "I will examine it and take necessary action."

Ch. Ranbir Singh: What about the Chairman?

श्रीमती चन्द्रावतीः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है और मैं परवाह नहीं करती कि मुख्य मंत्री जी किस भाषा का प्रयोग करते

हैं। जो आदमी चेयरमैन बनाया है चाहे इनसे पहले की सरकार ने बनाया है लेकिन बनाया सरकार ने है और यहां पर उनको डिफैंड करने के लिए कोई भी नहीं है और हमारा भी फर्ज नहीं है क्योंकि सरकार का ही तो वह मुलाजिम है और सरकार ही अगर उसको गालियां देती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो स्पीकर साहब आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि इस तरह की भाषा उचित है क्या ?

श्री अध्यक्षः देखिये शुरू में जो हुआ उस वक्त तो कुछ किया नहीं ..... मुझे अब तक याद है जब यह कहा कि वह सैक्रेटरी से अपनी कमी पूरी कराना चाहते हैं उस पर आप खड़ी हुई हैं। तो उसमें कोई खास ऐसी बात मालूम नहीं हुई कि कोई खराब लफ्ज इस्तेमाल किया हैं लेकिन पहले वाले पर तो आपने कोई उस वक्त एतराज नहीं किया ..... (विघ्न)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, जिस कमीशन के बारे में कहा जाये कि उसकी सरकार के साथ लड़ाई है और सरकार पर रीफलैक्शन डाला जाये तो सरकार तो अपनी बात का प्रौपर जवाब देगी और सरकार को प्रौपर जवाब देने का अख्तियार है। अगर एक आदमी यहां जवाब नहीं दे सकता किताब में लिख कर भेज सकता है तो Government has to clarify its position as to why these things are going on. That is the answer.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पहले जब इस सदन में बहस हुई थी उस वक्त ऐसा ही सवाल उठाया गया था

और उस बारे में जो आपका आदेश था वह कागजात में है। अगर मुझे सही तौर पर याद है तो उस वक्त ऐसे शब्द निकाले गये थे। जहां तक इस बात का सम्बन्ध हे कि सैक्रेटरी से काम लेना चाहते हैं मदद लेना चाहतै है तो सैक्रेटरी तो होता ही इसलिए है खैरा मैं इस झगड़े में नही पड़ना चाहता। हमारा तो जो प्वायंट आफ आर्डर है वह बिल्कुल लिमिटड है कि यह शब्द जो कि वह सदन में आ कर बता नहीं सकता कि कितनी जमात पास है कितनी नहीं है और उसकी लियाकत क्या है इस तरह के जो शब्द मुख्य मंत्री महोदय नेइस्तेमाल किये हैं यह न उनको शोभा देते हैं और न इस सदन की कार्यवाही को शोभा देते हैं इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री अध्यक्षः पिछली दफा जो मुझे याद है और मैं चैकअप करवा लूंगा वह नाम के बारे में बात थी कि हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए और चेयरमैन का नाम नहीं डैजिगनेशन ले सकते हैं। फिर दूसरी बात यह कि जब लीडर आफ दि हाउस ने अपनी तकरीर शुरू की उस वक्त कोई ऐसी चीज आपने रेज नहीं की जब उन्होंने कहा एक सैक्रेटरी के बारे में उन्होंने तीन चार नाम दिये और उन्होंने हरेक को इन्कार किया और ऐसा मालूम होता कि वह अपनी कमी को सैक्रेटरी से पूरा करना चाहते हैं तो उस वक्त चंद्रावती जी खड़ी हुई हैं। उसमें तो कोई खास बात दिखाई नहीं देती और पहले जो था वह नाम के बारे में था .... प्लीज कटीन्यू।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, इसके बाद चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार नियुक्त हो गए रिसोर्सिज कमेटी पर और उन्होंने मुझसे इन्ट्रव्यू मांगा।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब एक मिनट और। मैं अब भी यहां पर चैकअप करवा सकता हूं रिकार्ड से। मैंने इधर से सुना है कई आफीसर्ज का नाम बाई डैजिगनेशन, नाम नहीं और अच्छी अच्छी सख्त बातें कही गई किसी ने कोइ एतराज नहीं किया और अगर आप चाहेंगे तो उनको निकलवा कर कल आप को दिलवा दूंगा मुझे खुद याद है और शायद वह मानेंगे भी यहां पर शायद राठी साहब ने कहा और किसी ने कहा डैजिगनेशन से ..... विघ्न .....

Sh. Bansi Lal: I am mentioning by designation.

चौधरी जय सिंह राठीः अब इसमें थोड़ा सा फर्क है ..... मेरी सबमिशन है स्पीकर साहब थोड़ी सी कि वह उनका सरकार का अपायटिड है। हम कोई बात कहें तो जायज है क्योंकि वह हमारा अपायंटिड नहीं है। सरकार ने ही खुद उसे अपायंट किया है और खुद ही ऐसी बात कह रही है। सिर्फ फर्क इतना है। ..... विघ्न .....

श्री अध्यक्षः ..... विघ्न .....वह सरकार किसी की है ..... वह अपनी खुद सम्भालें और खुद गौर करें।

श्री बंसी लालः इसके बाद चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमिशन ने मुझसे एक इन्टरव्यू मांगा। मैंने उनसे टैलीफोन पर पूछा कि आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं चेयरमैन रिसोसिज कमेटी हूं और रिसोर्सिज कमेटी अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपकी राय जानना चाहती है। टैक्सिज वगैरा के बारे में पूछना चाहता हूं। मैंने उनको जवाब दिया कि इस मामले में डिसीजन लेने वाले आप नहीं हैं, डिसीजन तो सरकार लेगी जिसका हैड मैं हूं। मेरी राय लेकर आप क्या करेंगे। आप रिकमेंडेटरी बौडी हैं, अपनी रिकमेंडेशन भेज दें, फाइनल डिसीजन तो गवर्नमैंट ने लेना हैं। मैं इस इशू पर आपको इन्टरव्यू देने के लिए तैयार नही। इस इशू को इन्होंने यह शेप दी कि मैं (चेयरमैन) चीफ मिनिस्टर साहब से स्टाफ के मामले में मिलना चाहता था लेकिन उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। स्टाफ के मुताल्लिक इन्टरव्यू देने के लिए मैंने बिल्कुल इन्कार नहीं किया। फायनैंस मिनिस्टर साहिबा को मैंने डिप्यूट किया कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ के मुताल्लिक कोई बात करना चाहे तो चेयरमैन साहब उनसे मिल सकते हैं।

स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमसे कुछ पोस्टें मांगी। पंजाब और हरियाणा अलग अलग बनने के बाद एक शंकर कमेटी बनी थी जिसने सिफारिश की थी कि दोनों कमीशन्ज को इतना इतना स्टाफ दे दिया जाए। जितने स्टाफ की

आवश्यकता थी और जितना शंकर कमेटी ने रिकमेंड किया था उतना हमने कमीशन को दे दिया। इसके बाद जो ज्यादा स्टाफ की मांग कमीशन करता था वह हमने नहीं दिया।

स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पोस्टें भेजी जाती हैं कि फलां फलां क्वालिफिकेशन्ज के कैंडीडेट्स सिलैक्ट करके भेजे जाएं। कमीशन ऐसी क्वालिफिकेशन्ज लिख कर वापिस भेज देता था जिसके बेसिज पर हरिजन तो क्या, बैकवर्ड एरिया का कोई कैंडीडेट सिलैक्ट नहीं हो सकता था। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के कैंडीडेट सर्विस में नहीं आते थे जो कि पब्लिक इन्ट्रैस्ट के अगेन्स्ट की बात है। जो चीज पब्लिक इन्ट्रैस्ट के खिलाफ हो वह काम गवर्नमैंट कभी भी करने के लिए तैयार नहीं है।

इसके इलावा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि जो छोटी छोटी पोस्टें हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं भर सकता, इनको भरने की पावर्ज हैड्ज आफ दी डिपार्टमैंट्स को दे दी जाए और हैड्ज आफ दी डिपार्टमैंट्स को दे दी जाए और हैड्ज आफ दी डिपार्टमैंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन की देखरेख में इन पोस्टों को भरे। कितनी ताज्जुब की बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यह कहे कि ये पोस्टें हमसे ले लो और हैड्ज आफ दी डिपार्टमैंट्स को दे दो और वह भर्ती हमारी सपुरविजन में हो। यह कैसे हो सकता है। कि कैंडीडेट्स की देखभाल भी हम करें और हैड्स आफ दी डिपार्टमैंट्स की देखभाल भी हम करें ? ये तो

सरकार के मालिक बनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हैड्ज आफ दी डिपार्टमैंट्स जो भर्ती करेंगे उसके बारे में हर आदमी यही सोचेगा कि मिनिस्टरों ने इन पोस्टों पर अपने आदमी लगा दिये हैं। सब यही कहेंगे कि गवर्नमैंट ने अपने आदमी लगा दिए हैं क्योंकि हैड्ज आफ दी डिपार्टमैंट का मतलब गवर्नमैंट से हैं। इस चीज को मानना पब्लिक इन्ट्रैस्ट में ठीक नहीं था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने सबौर्डिनेट सर्विस सिलैक्शन बोर्ड बना दिया ताकि हर डिपार्टमैंट के लिए इस बोर्ड की मारफत भर्ती कर दिया करें। इस पर सर्विस कमीशन कहता है कि बोर्ड बनाकर ये पोस्टें हमारी ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकाल ली हैं।

स्पीकर साहब, पिछली बार हमें इंजीनियर्ज की जरूरत पड़ी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा कि हमें इंजीनियर्ज सिलैक्ट करके भेजो। इन्होंने कई महीने लगा दिये और कहने लग कि हम बाहर से ऐक्सपर्ट्स लायेंगे उसके बाद भेजगें। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या हमारे चीफ इंजीनियरज या सुपरिटैडिंग इंजीनियजरज एज ए ऐक्सपर्ट नहीं बैठ सकते। यहां का चीफ इंजीनियर और सुपरिटैडिंग इंजीनियर एज0ए0 ऐक्सपर्ट बैठ सकता है और सारे हिन्दुस्तान की स्टेटों में यही सिस्टम है। जो हाईली टैक्निकल पोस्टें हैं उन्हीं के लिए ऐक्सपर्ट्स बाहर से आते हैं। जो छोटी छोटी पोस्टें हैं एस0डी0ओ0 वगैरा की उनके लिए ऐक्सपर्ट्स बाहर से नहीं आते। स्पीकर साहब, हम चाहते थे कि इंजीनियर्ज जल्दी से जल्दी आएं क्यों कि डिस्ट्रिक्ट्स में

डिवेल्पमैंट का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। हम यह इन्तजार नहीं कर सकते थे और न ही अफोर्ड कर सकते थे कि कमीशन से कैंडीडेट्स की इन्तजार में सारे प्रान्त का डिवैल्पमैंअ का काम रोक दें और साल साल छः छः महीने तक पोस्टें न भरी जाएं। हमने दो हजार किलो मीटर सड़कें बनानी थी और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का डेढ़ साल तक इन्तजार करते रहते तो हम सड़कें नहीं बना सकते थे। हमने कमीशन को लिखा कि हमें इंजीनियर्ज अभी चाहिएं क्यों कि इनके बिना डिवैल्पमैंट्स के काम नहीं हो सकते। पब्लिक सर्विस कमीशन अगर बाहर से ऐक्सपर्ट्स मंगवाये और डेढ़ डेढ़ साल के बाद रिकमेंडेशन्ज करे तो स्पीकर साहब, हम डिवैल्पमैंअ के मा नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा कि या तो शीघ्र भेज दो वरना हम खुद भर्ती कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये पोस्टें हमारी ज्यूरिडिक्शन से बाहर न निकाले। हमने फिर भी टाईम दिया। चूंकि हमें सख्त जरूरत थी, प्रान्त की डिवैल्पमैंट का सवाल था इसलिए यह जरूरी था कि ऐड–हौक–बेसिज पर अप्वायट्मैंटस करते। अगर ऐसा न करते तो हमारा डिवैल्पमैंट का काम नहीं चल सकता था।

स्पीकर साहब, हमने रोडवेज के लिए कंडक्टर्ज की मांग की लेकिन एक साल तक स्टाफ नहीं आयां आप देखें कि अगर एक साल के बाद स्टाफ आये तो क्या एक साल के लिए बसें खड़ी कर दें ? इस बिना पर गवर्नमैंट के काम नहीं रूकने चाहिए। स्पीकर साहब, सरकार की कई मजबूरियां हैं। हर महकमे में

एफिशिएसी रखने के लिए जितनी जलदी पोस्टों को भरा जाए उतना अच्छा है।

स्पीकर साहब, मैडीकल कालेज रोहतक के लिए हमें स्टाफ चाहिए था कमीशन को लिखा कि हमें स्टाफ भेज दो, लेकिन कमीशन ने कई महीने तक, शायद साल से भी ज्यादा गुजर गया होगा, कोई सिफारिश नहीं आई। पिछले दिनों हमने उनको चार महीने का टाईम दिया कि या तो स्टाफ भर्ती कर दो वरना हम स्पैशल कमेटी बनाकर खुद भर्ती कर लेंगे। कब तक मैडिकल कालेज का काम सफर करेगा ? इस तरह सरकार की कई मजबूरियां हैं लेकिन कमीशन इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था।

स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी हद में रहे तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन रहता नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन पालिटिक्स भी लडत्राए, अपोजीशसन को ब्रीफ भी करें, अपोजीशन पार्टी के मैम्बरों को क्वैश्चन भी लिख कर दे तो अच्छा नहीं, ऐसी बातें कमीशन के चेयरमैन की तरफ से हुआ नहीं करती, हम ऐक्सपैक्ट नहीं करते। हम नहीं चाहते कि पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारी लड़ाई हो। क्यों लड़ाई हो पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना काम है और हमारा अपना काम है। हमारा क्लैश में आने का कोई इरादा नहीं है। हम चाहते है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार में कम्पलीट कोआर्डिनेशन रहे लेकिन कोआर्डिनेशन करते हुए पब्लिक इन्ट्रैस्ट को कभी नहीं

भुला सकते। पब्लिक इन्ट्रैस्ट पहले और दूसरी बातें बाद में होगी। स्पीकर साहब, हमने विधान का उल्लंघन नहीं किया। जो बातें कानून और कायदे और जाबते के मुताबिक थीं वही हमने की है। माना कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने अख्तियारात हैं लेकिन जिस विधान में उनको अख्तियारात दिए हैं उसमें सरकार को भी अख्तियारात दिए हैं। सरकार अगर पब्लिक इन्ट्रैस्ट में अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करती है तो कोई गलत बात नहीं। मैं यही कहूंगा कि जितनी भी बदमगजी की बातें हुई हैं या और दूसरी किस्म की बातें हुई हैं उनका सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कोआर्डिनेशन करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई झगड़ा न हो। तेजी से होते हुए डिवैल्पमैंट्स के कामों को ध्यान में रख कर पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए था कि इंजीनियर्ज या डिवैल्पमैंट का काम करने वाले आदमी, डिमांड के मुताबिक शीघ्र भेजे लेकिन इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कीशन के साथ झगड़ा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से कमीशन के साथ कोआर्डिनेशन रहे।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): स्पीकर साहब, जैसा मुख्य मंत्री जी की बात से जाहिर हुआ कि चेयरमैन ने मुलाकात मांगी कि उन्होंने रिसोर्सिज एंड रिट्रैंचमैंट कमेटी के सिलसिले में कोई बात करनी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के सफा 2

पैरा 5 में इस बात का क्रि है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने चीफ सैक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब चीु सैक्रेटरी की मारफत चाहा। वह चिट्ठी चीफ सैक्रेटरी की मारफत गई। जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी टैलीफोन पर बातें हुई लेकिन इन बातों का जिकर इस रिपोर्ट में नहीं हैं, यह बातें ठीक हो सकती हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब की यह धारणा है कि सफा 2 पैरा 5 जो कुछ लिखा हुआ है वह गलत है। क्या उन्होंने (कमीशन ने) चीफ सैक्रेटरी साहब को चिट्ठी नहीं लिखी ? अगर आह चाहें तो मैं रिपोर्ट का यह पैरा पढ़ देता हूं।

श्री बंसी लालः यह चिट्टी बाद में लिखी थी और यह बात पहले हो चुकी थी।

स्पीकर साहब, इसमें एक पैरा और जोड़ दूं। हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने एक सुझाव भेजा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मैम्बर हैं उनकी अप्वायंटमैंट में स्टेट गवर्नमैंट का हाथ नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें गवर्नमैंट आफ इंडिया चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर अप्वायंट करे। अगर ऐसा हो गया होता तो मौजूदा चेयरमैन का नम्बर कभी नहीं आया होता।

DISCUSSION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF THE HARYANA STATE ELECTRICITY BOARD FOR THE YEAR 1970-71

Mr. Speaker: Now, the motion for discussion on the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board, may be moved.

Ch. Ranbir Singh: Sir, I beg to move:-

That the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71 which was laid on the Table of the House on 8th February, 1971, be taken into consideration.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71 which was laid on the Table of the House on 8th February, 1971, be taken into consideration.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो मैं मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा कर दूं जो उन्होंने बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में सहमति दी कि इसके ऊपर डिसकशन हुआ करेगी। इसके बाद मैं स्टेट इलैक्ट्रिसिअी बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के अन्य मैम्बरों और दूसरे कार्य कर्ताओं को भी बधाई पेश करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। (सरकारी पक्ष से तालियां) आज इन लोगों ने ग्यारह के0वी0 की लाईन हरियाणा के हरेक गांव के गोरे तक पहुंचा दी है। यह एक बहुत बड़ा काम होता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अन्दर जो बात पहले ना–मुमकिन समझी जाती थी उतने ट्यूबवैल इन्होंने लगा दिए और उससे भी ज्यादा आगे लगायेंगे ऐसी हम उनसे

आशा करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस बोर्ड की कितनी मदद करती रही है पैसे के बारे में वह सिर्फ इतनी मदद है कि जो ब्याज इनको लेना होता है उस ब्याज को बगैर पैसा लिए ही कह दिया जाता है कि हमने ले लिया और साथ ही कह दिया जाता है कि हमने तुमको इतना पैसा दे दिया।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): मूल भी दिया है।

चौधरी रणबीर सिंहः कौन सा ? वह तो बताओ ? अध्यक्ष महोदय जो पैसे दिये गए हैं वे तो इनके हैं नहीं। सबेरे मैंने सारे आंकड़े पेश किये थे। अगर, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया चाहती हैं तो मैं फिर उन आंकड़ों को, रख सकता हूं।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः स्पीकर साहब, ब्याज तो तभी मिलेगा अगर मूल दिया हो।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया कहती हैं कि असल इन्होंने दिया था मगर यह बात ठीक नहीं क्योंकि असल तो हिन्दुस्तान की सरकार ने दिया था। उन्होंने शुरू में खुद बताया था कि हमारे ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे के अन्दर मल्टीपरपज प्रोजैक्टस का बहुत बड़ा हिस्सा है।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः अगर गवर्नमैंट आफ इंडिया ने दिया है तो स्टेट गवर्नमैंट ने ही उसे वापिस करना है। फिर अध्यक्ष महोदय बात यह है कि अगर प्रिंसिपल ही न दें तो ब्याज कौन देता है।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल अभी इन्होंने दिया नहीं। असल जो पैसा है वह हिन्दुस्तान की सरकार ने दिया और जैसा मैंने सबेरे कहा था वह साठ करोड़ कुछ लाख हे जिसके ऊपर मेरी बहिन हरियाणा स्टेट की तरफ से अंगूठा लगा कर आई है जबकि लिययाा केवल अठारह करोड़ है। बाकीा का पैसा लेने देने में ही चला गया। तो ऐसा ही बोर्ड के साथ हिसाब है। यह तो मैं भी जानता हूं और यह भज जानते हैं क्योंकि कोई चीज हम से छुपी हुई नहीं है। तो वह जो पैसा आया वह बैंक नैशनेलाइजेशन से हिन्दुस्तान की सरकार ने जो नये अदारे खोले हैं उनसे आया है और उस रूपये को लेने में मैं नहीं कहता कि वित्त मंत्री महोदया और मुख्य मंत्री जी का हाथ नहीं होगा लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनके गुण भी मैं जानता हूं और उनकी एक दो बातों के बारे में जो लोग शिकायत करते हैं उनको भी मैं जानता हूं। उनके गुण बहुत अच्छे हैं। पैसा लेने में वे बहुत माहिर हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कहां से मिल सकता है और कैसे लिया जा सकता है। मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी स्टेट को बनाने के लिए हर अदारे से चाहे वह नैशनेलाइज बैंक थे, चाहे वर्ल्ड बैंक था, चाहे एगीकल्चरल फाइनैन्सिज कारपोरेशन था या री–फाइनैन्सिज कारपोरशन था या फिर लाईफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन था, सबसे उन्होंने पैसा लिए और इस्तेमाल किए। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा भी बड़े हौसले का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो आमदनी होती हैं उसमें

से कुछ पैसा मशीनों की घिसाई के लिए रख लिया जाता है ताकि घिसी हुई मशीनरी आगे जाकर बदली जा सकें। वह तकरीबन सारे का सारा पैसा इन्होंने लगा दिया है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि मैं मानता हूं कि फजूल ही उसको बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं होता। वह इन्होंने हमारे प्रदेश को बनाने के लिए किया। यह हौसला आज के चेयरमैन ही कर सकते हैं क्योंकि अच्छा काम जो है बगैर हौसले के होता नहीं। इनके इस हौसले की मैं दाद देता हूं, कोई मुखलिफत नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट मैंने पढ़ी। इसके पहले ही सफे के अन्दर उन्होंने लिखा है कि भाखड़ा की बिजली में हमारा हिस्सा 57.08 परसैंट होना चाहिए था लेकिन बंटवारे के बाद गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हमार हिसाब में सिर्फ 39.5 परसैंट लिखा दिया है। इसमे मैं और भी जानकारी देना चाहता हूं। पहले जो चिट्ठी आई थी हिन्दुस्तान की सरकार से उसमें कुछ हिस्सा ज्यादा था। उस हिस्से में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, केवल प्वायंट के तौर पर कम हुआ था। इसके बारे में हिन्दुस्तान की सरकार को शायद पहले भी लिखा गया हो लेकिन बाद में भी 31—10—69 तक की जो अवधि थी उसमें भी एक दरख्वास्त हिन्दुस्तान की सरकार को भेजी गई जिसमें हमारा भी हाथ था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी गई। (विघ्न) पैसा कहां से आए, बचत कहां से हो ? खैर उस बात को जाने दीजिए। जो असल बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि

कई साल पहले एक समझौता हुआ था। साल के बारे में मुझे पक्की याद नहीं है, शायद 1924 में हुआ था और उसके बाद फिर 1964 के अन्दर उसको दोहराया गया। उसमें ऐसा है कि जमुना से जो बिजली पैदा होगी उसके अन्दर उन प्रदेशों का जिनका जमुना से सम्बन्ध है, उतना हिस्सा होगा जितना कि पानी में हिस्सा है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) उपाध्यक्ष महोदया, जमुना के पानी में हमारा दो तिहाई हिस्सा है और एक तिहाइ हिस्सा उततर प्रदेश का है, जो आज का उत्तर प्रदेश है, कल तो शायद उसका कुछ भाग हरियाणा का हिस्सा बन जाए। तो उस हिसाब से इसके बाद थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी हुई। उस जमाने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां तक अपना ख्याल रखा कि उसका पचास फीसदी हिस्सा पावर का हमारे पास रहे।

8.00 बजे।

लेकिन कमाल की बात है वहां उनकी, उसके अन्दर बिजली जो पैदा करने की योजना है, उसक अन्दर इतनी बिजली पैदा होगी जितनी कि भाखड़ा में पैदा होती है। बाकायदा छपी हुई योजना है कि जमुना से उतनी ही बिजली पैदा होगी जितनी कि भाखड़ा करता है और कुछ उन्होंने पैदा करनी शुरू कर दी है लेकिन आज तक हमारी सरकार ने उनसे अपना हिस्सा नहीं मांगा कि हमारा जो हिस्सा बनता है वह में दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया किशाउ डैम जो जमुना के ऊपर बनना है और यह डैम भाखड़ा से भी ऊंचा होगा। वहां पर बहुत भारी पावर हाउस बनेगा। सन् 1964 में इन्टर स्टेट कान्फैन्स में हुई थी उसमें फैसला हुआ था। अब उसके अन्दर जो देरी हो रही है उसके पीछे यही कारण है कि कहीं जो पहले पंजाब वाले थे और अब हरियाणा हकदार हो गया है, इस जमुना में जो बिजली पैदा हो उसके हिस्सेदार बन जायें। उसके लिए भी सरकार ने कोई मांग की है।

इसके अलावा आपने तो जोगिन्दर नगर देखा हैं जोगिन्दर नगर मंडी रियासत में हैं। आज वह हिमाचल में है आर हिमाचल का इलाका हो चुका है। पहले तो हिमाचल यूनियन टैरेटरी था और अब पूरी स्टेट बन गई है। वहां पर जो पावर हाउस है, अगर वह हिमाचल को दे दिया जाता तो हमें कोई एतराज नहीं होता लेकिन उस पावर हाउस को पंजाब के हवाल कर दिया वह मेरे वक्त में बनना शुरू हुआ था। उसके बारे में फैसला हुआ कि वह हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदया आपको पता होगा उस वक्त आप पंजाब में कौंसिल की सदस्या थी, सबसे पहले बिजली ज्वायंट पंजाब में उस पावार हाउस ने देनी शुरू की थी लेकिन आज उस पावर हाउस के अन्दर भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। उपाध्यक्षा महोदय, वहां पर 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है जितनी कि भाखड़ा में कमी पड़ती है। लेकिन हमारी सरकार ने कोई मांग नहीं की।

उपाध्यक्षा महोदया इससे भी गम्भरता का प्रश्न यह है कि हमारा हिस्सा 39.05 परसैन्ट बैठता है लेकिन इन्होंने जो खुद अपने आंकड़े निकाले हैं उसके मुताबि 76 मेगावाट बैठता है लेकिन जो हरियाणा को हिस्सा मिला है वह 65.5 मेगावाट यानी जितना हमारा है उतना भी नहीं मिला है।

दूसरे आप जानते हैं कि भाखड़ा प्रोजैक्ट जिन्होंने बनाया था उसमें लिखा है कि एक वैट साइकिल होगा और एक ड्राई साइकिल होगा। वैट साइकिल के माने यह हैं जिन सालों में ज्यादा पानी होगा वह वैट साइलिक होगा जिन सालों में कम प्रतिशत पानी होगा उसको ड्राई साइकिल कहते हैं। वैट साइकिल के अन्दर पूरा डैम भरेगा और ड्राई में पूरा नहीं भरेगा। इस साल ड्राई साइकिल है डैम नहीं भरा। भगवान न करे यह साइकिल रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल वैट हो जाए। अगर वैट नहीं होता है तो हमको इन्तजाम करना होगा। उपाध्यक्ष महोदया मैं वही कहना चाहता हूं कि जहां जहां भी पावर हाउस बने हैं उनसे अपना हिस्सा मांगना चाहिए और जो जमुना पर बनेगा उसका भी हिस्सा मांगना चाहिए।

वैस्ट्रर्न जमुना कैनाल हाइडिल स्कीम की मंजूरी के कागजात जो कि गवर्नमैंट आफ इंडिया के मुख्तलिफ दफतरों से सफर करते थे वे मेरे टाईम पर तय कर चुके थे। आज उन बातों को छः वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। इधर पंजाब के अन्दर एक नहर यू0बी0डी0सी0 है उसके

ऊपर भी काम चालू हो गया है, वह बनने वाली है। इसी प्रकार से थरमल प्लांट भठिंडा में बनने जा रहा है इस पर काफी रूपया खर्च होगा। मुख्य मंत्री जी ने मेरे बारे में एक बात कही थी कि चौधरी साहब समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन की मंजूीर मिलते ही पैसा मिल जाता है। वे मुझे अनभिज्ञ मानते होंगे लेकिन एक बात मैं पूछता हूं कि पावर हाउस के लिए तो इनको पेसा नहीं मिला और स्टेट के रिसोर्सिज नहीं मिल सके लेकिन क्या लाईन खींचने का ही इनका मनशा है। उससे क्या फायदा होगा जब बिजली ही नहीं पहुंच सकी। हमको बिजली देनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर एक सवाल का जवाब दिया गया उपाध्यक्ष महोदया आप जानती हैं कि भाखड़ा की जब योजना बनी उस वक्त पंजाब के अन्दर श्री छोटू राम मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रोजैक्ट पर दस्तखत किये थे। जब यह बननी शुरू हुई तो उस वक्त चौधरी लहरी सिंह मंत्री होते थे वे भी रोहतक जिले के थे जब पूरा समय हुआ उस समय मैं मंत्री था लेकिन जब यहां गुड़गांव के मंत्री आये तो यहां सवाल के जवाब में बतायसा गया कि रोहतक जिले के गांवों को बिजली नहीं दी जा सकती। खैर हमें अब तो खुशी है कि हरियाणा के सभी गांवों में बिजली के तार पहुंचा दिये और मुझ को खुशी इस बात की और भी अधिक हुई कि यह काम उस वक्त हुआ जबकि रोहतक जिले के पंडित रामधारी गौड़ मिनिस्टर हैं। यह तो और भी अच्छी बात है कि रोहतक जिले के मिनिस्टर के टाईम पर यह काम हुआ। लेकिन यहां पर जब गुड़गांव के मिनिस्टर होते थे तो

उन्होंने यहां यह जवाब दिया था और यह रिकार्ड पर मौजूद है। तो इस तरह का जवाब देना कोई अच्छी प्रथा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया इस सरकार ने एक हुक्म निकाला और एक्ट के अन्दर यह बात थी कि अगर ट्यूबवैल का कनैक्शन सौ फुट से ज्यादा हो तो कनैक्शन देते वक्त टोटा मुनाफा की बात सोचते थे और कनैक्शन देने में सुस्ती करते थे लेकिन इस सरकार ने अब अच्छा किया कि यह जो कागजी तौर पर टोटे मुनाफे का हिसाब किताब लगाते थे इसको खत्म कर दिया है। अब सरकार ने यह तरीका निकाला है कि जो भी तीन मील तक ट्यूबवैल का कनैक्शन ले वह दे दिया जाये। अगर सरकार इसको तीन मील का बजाए अधाध मील तक कर देती तो इतना घाटा नहीं होता। लेकिन फिर भी अच्छी बात है जो कुछ सरकार ने किया। अभी पिछले दिनों पंडित रामधारी गौड़ ने एक सवाल के जवाब में यहां सदन में बताया था कि इतने हजार अरजियां पैडिंग हैं और कई हजार ने तो टैस्ट रिपोर्ट भी दे दी हैं लेकिन पैंडिंग हैं। खैर तो उपाध्यक्ष महोदया यह कहते हैं कि लम्बे तार बिछाये गए लेकिन अगर हिसाब देखा जाये तो कम ही तार बिछाने की बात हुई हैं लेकिन फिर भी काम बहुत बड़ा था और मैं मानता हूं कि वह बहुत कुछ किया गयाहै। अब एक बहुत बड़ा काम है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं अगर हमने तारों का लोगों को फायदा पहुचाना है दूसरे घरेलू कनैक्शन्ज के

लिए, जो इन्होंने लिखा है कि सौ फुट से आगे अगर तार कनैक्शन्ज के लिए जाओगे तो वह खर्चा लोगों को देना होगा।

एक माननीय सदस्यः डिप्टी स्पीकर साहिबा कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घन्टी बजायी गई)

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, इसमैं कोरम की आवश्यकता नहीं हुआ करती, बेशक रूल में आप देख लें। यह जान बुझ कर कोरम खत्म किया गया है। मुझे कोई एतरजा नहीं सरकार को जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने तो बहुत सारी बातें अपनी कह दीं। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं .....

उपाध्यक्षाः कोरम नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंहः रूल में लिखा है कि इसके ऊपर कोरम नहीं चाहिए।

Sh. Bansi Lal: Madam, Deputy Speaker, how is the speech going on without a quorum?

उपाध्यक्षाः आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया .....

श्री बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। There is no such Rule that the House can proceed on without the quorum.

Deputy Speaker: Let me see if there is any Rule.

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदया, जब कौरम नहीं हो तो स्पीच कैसे दे सकते हैं। He can continue his speech only when there is quorum.

उपाध्यक्षाः अब कोरम हो गया है। (विघ्न)

चौधरी रणबीर सिंहः मैं अर्ज कर रहा था कि अगर सौ फुट की दूरी का हिसाब होगा तो किसी को भी कनैक्शन नहीं मिल सकेगा और इसलिए मकानों के अन्दर कनैक्शन नहीं लगे हुए हैं। बिजली चालू है लेकिन इस कारण से उसको कनैक्शन नहीं दिया जा सकता है कि सौ फुट से ज्यादा दूरी है। बोर्ड ने जब इतना हौसला किया है तो इसको खत्म करना चाहिए ताकि बोर्ड को कुछ और फायदा हो सके और जो पैसा लगाया है उसकी रिटर्न भी आनी शुरू हो जाये। लोगों को भी कुछ फायदा हो।

चौधरी चांद राम (बबैन, एस0सी0): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। इन्होंने काफी कह दिया हैं। मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो यह कि जो बिजली बोर्ड है यह बहुत बड़ा एम्पलायर है और इसमें भी जो कन्स्टीच्यूशन में रिजर्वेशन है .....

उपाध्यक्षाः कोरम नहीं रहा ..... There is no quorum बैल करते हैं Ch. Sahib, pleae take your seat.

(At this stage Ch. Chand Ram resumed his seat)

Ch. Ranbir Singh: It mean the House stands adjourned ..... (Interruptions)

श्रीमती चन्द्रावतीः हाउस को कल बुलाना पड़ेगा फिर ..... (विघ्न)

चौधरी रणबीर सिंहः रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाउस को कल के लिए एडजर्न करना पड़ेगा .....

श्रीमती चन्द्रावतीः जब कोरम नहीं है तो टूमारो के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा।

महन्त गंगा सागरः कल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि कोरम नहीं है ..... (विघ्न)

उपाध्यक्षाः हाउस पहले ही सैनेडाई की मोशन पास कर चुका है .....

महन्त गंगा सागरः जब कोरम नहीं है तो रूल्ज के अन्दर यह चीज है कि कल के लिए एडजर्न किया जाये ..... (विघ्न)

चौधरी चांद रामः हाउस कल के लिए एडजर्न होगा डिप्टी स्पीकर साहिबा।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

चौधरी रणबीर सिंहः एडजर्नमैंट के लिए जरूरी है कि कोरम रहे, अध्यक्ष महोदय। सैनेडाई एडजर्न नहीं हो सकता जब तक कोरम न रहे, ... (विघ्न)

श्री बंसी लालः कोरम न होने के दौरान में जो प्रोसिडिंग होंगी वह एक्सपंज कर दी जायें ..... (विघ्न)

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी स्पीच खत्म कर चुका था। चौधरी चांद राम दो मिनट के लिए कुछ कहना चाहते थे। मंत्री महोदय ने कहना था कुछ। मैं तो इनको बताता हूं कि जो कोरम खत्म कराने की बात है वह इनके हित में नहीं है ..... (विघ्न)

श्री बंसी लालः यह जंगल मैं खड़े होकर बोलने लगें तो घना अच्छा रहे .....

Mr. Speaker: It is all sorted out. Ch. Sahib, your want to speak.

Ch. Chand Ram: Hardly for two minutes.

चौधरी रणबीर सिंहः मैं जंगल में खड़ा होकर बोलने लग जाऊं तो यह बात अच्छी है सदन की कार्यवाही के बारे में यह कमेन्टरी इनकी अच्छी है क्या ? ..... (शोर)

श्री बंसी लालः जब हाउस में कोरम न हो तो ये बोल रहे हैं तो बाहर बोलें।

श्री अध्यक्षः यह चलता ही रहता है .....

चौधरी रणबीर सिंहः आपको तो इस बात को रोकना है, ... गलत बात को .....

Mr. Speaker: I will request.....

Sh. Bansi Lal: There is no quorum. The House is duly constituted when there is quorum and it is presided over by the Speaker or the Chairman...

Mr. Speaker: What are the Rules beyond that? (Interruptions) Could you kindly show me a Rule. As far as we know, I have asked my staff, if there is no quorum we adjourn sinc-die. But, if you have Rule, kindly let me know.

महन्त गंगा सागरः रूल इसी किताब में है।

श्री अध्यक्षः किताब दे दो इन्हें।

चौधरी रणबीर सिंहः उस वक्त अगर यह आदेश देते तो यह हाउस की कार्यवाही का पार्ट होता। अब तो हाउस है ही नहीं।

श्री बंसी लालः आपने हुक्म दिया है .....

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई आपति नहीं है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्षः अब तो दस हो जायेंगे।

एक आवाजः अब भी दस नहीं बनते।

Mr. Speaker: Kindly atleast count properly. इस वक्त नौ हैं उस वक्त दस थे।

चौधरी रणबीर सिंहः बुला लो बेकार का क्यों खेल करते हो ..... (विघ्न) जी आपने आदेश दिया ..... (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैं देख लेता हूं अगर कोई रूल हो तो।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कार्यवाही का पार्ट नहीं हो सकता। जब सदन होगा तो सैनेडाई का प्रश्न उठेगा ..... शोर

श्री अध्यक्षः उस वक्त दस ही थे।

चौधरी रणबीर सिंहः उस वक्त he was in possession of the House. He was speaking. (Interruptions)

श्री बंसी लालः कोरम इनके पास नहीं है हमारे पास तो है ही।

(इस वक्त कुछ मैम्बर हाउस में दाखिल हुए)

चौधरी जय सिंह राठीः आप हांक के खूब ले गये।

चौधरी रणबीर सिंहः यह कार्यवाही भी हमारे इतिहास का हिस्सा रहेगी।

Sh. Bansi Lal: There should be some limit on speech.....

Mr. Speaker: Ch. Chand Ram, how much more time do you want?

चौधरी चांद रामः सिर्फ दो मिनटस स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि यह जो बिजली बोर्ड है यह लारजैस्ट एम्पलायर है और बहुत से आदमी तरह तरह के, कई प्रकार के इसमें भर्ती होते हैं। इसमें भी मैने देखा है कि जो कांस्टीच्यूशनल रिजर्वेशन है, मैम्बर्ज आफ शैड्यूल्ड कास्टस के लिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं इंजीनियर्ज के बारे में आपको बताऊं। हमारी जातियों के कई इन्जीनियर पिछले सालों के पास हुए हैं और अब तक भी यहां पर बेकार फिर रहे हैं। हमने मिनिस्टर साहब को लिखा कि आप बोर्ड पर कोई ऐसी पाबन्दी लगाये ताकि पहले पिछले साल के पास हुए लोग लग सकें और इस साल के पास हुए उनसे पहले अभी नहीं लगने चाहिए। उस डेट पर कितने ही शैड्यूल्ड कास्टस अवेलेबल थे। इतनी छोटी सी बात थी लेकिन वे लड़कें, जो गरीब घरों के भूमिहीनों के, फिर रहे हैं इन्होंने उन लोगों को दख्वास्तें भी नहीं देने दी, सलैक्शन तो दूर रही। इसके बलावा दूसरी जो लोअर कैटेगरीज के पदों में

उनकी रिजर्वेशन की बात है, जैसे लाइनमैन या अस्सिटैंट लाइनमैन, उनकी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि जो हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़के हैं, वे पूरी तरह से लिये नही जाते। दूसरी बात जो मैं थर्मल प्लांट्स के बारे में कहना चाहता हूंवह यह है कि सारे वैस्टर्न कन्ट्रीज में आप देखेंगे कि थर्मल प्लांट्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जब तक इस स्टेट के अन्दर थर्मल प्लांट नहीं लगेगा त?ब तक कोई ठीक से बाम बनने वाली नहीं है। इसमें इन्वैस्टमैंट बहुत ज्यादा होती है। सौ दौ सौ करोड़ रूपये के लगभग होती है लेकिन हमारी स्टेट में थर्मल प्लान्टस में बहुत ज्यादा इन्वैस्टमैंट नहीं हो रही हैं हम उसको टेक अप कर सकते हैं। ऐसा करने से फिर बिजली की इतनी बड़ी प्राब्लम नहीं होगी जितनी कि अब रहती है। तीसरी बात जैस पंडित रामधारी जी ने कहा था, मुझे मालूम नहीं, उन्होंने उस बात को बगैर सोचे समझे किया या सोच समझ कर किया है कि अब जब कि हरी क्रान्ति है तो यदि किसानों को 7 बजे शाम बिजली मिले तो रात को कौन किसान खेत में पानी देगा ? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो खुद किसान हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करात हूं। (विघ्न)

श्री बंसी लालः न तो चौधरी साहब खेत में पानी लगाते हैं, न मैं लगाता हूं दोनों बेकार .....

चौधरी चांद रामः मेरा खेत तो है, मैं तो एक छोटे से खेत का मालिक हूं। मैं तो आप की जानकारी के लिए कह रहा था। चाहे मेरे पास पांच एकड़ ही हो और वह मेरे नाम हो या मेरे घर वालों के नाम हों मैं तो सिर्फ नाममात्र का मालिक हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरे हल्के के कान्स्टीट्यूएंट्स हैं वे गन्ने, गेहूं और धान के बैस्ट प्रोड्यूसर हैं। मेरे हल्के में ये तीन चार चीजें बहुत होती है। आज बारिश नहीं हुई इसलिए वहां बेहद शिकायत है। आजकल फसलों के पकने का टाइम है आर आप उन किसानों को ट्यूबवैल का पानी भी नहीं दे सकते हो तो आप किसानों की क्या इमदाद कर सकते हो। यह सरकार ट्यबवैलों को बिजली दिन में देने के बजाए रात को देती है जिसस कि दिन में किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। मेरा कहना यह है कि यह सरकार दिन में बिजली देने का प्रबन्ध करे जिससे कि किसानों को समय पर पानी मिल सके। अब मैं बिजली के महकमें में फैले भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह आम शिकायत है कि बगैर रिक्वत दिए हुए किसानों को बिजली के कनैक्शन नहीं मिलते। अज सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि हर गांव में बिजली पहुंच गई है, तार पहुंच गई है। तो इस हालत में किसान को फौन ही बिजली का कनैक्शन मिला जाना चाहिए। मुझे यह पता है कि इस समय बिजली की काफी कमी है लेकिन मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे ही बिजली की पूरी सप्लाई होने लेग किसानों को फौरन ही कनैक्शन दिए जाएं।

RULING GIVEN BY THE SPEAKER REGARDING THE ADJOURNMENT OF THE HOUSE SINE-DIE WHEN THERE IS NO QUORUM

Mr. Speaker: Just now a peculiar situtation arose and there were various types of views on this matter. I think if should clarify the position so that we are clear about it if such situtation occur in culture.

Rule 76 of the Rules of Procedure says:-

"If, whn the Assembly is sitting, notice is taken by a member that the numbers of members prescribed as quorum by Article 189(3) of the Constitution are not present the person presiding, unless he is satisfied that such numbe of members is present shall direct the division bells to be sounded and at the expiration of tow munutes shall count the members present. If less than the required number be present he shall either adjourn the Assembly till the next day or suspend the meeting till such numbe is present."

Now in this case the house has taken a decision that when we adjourn we will adjourn sine-die. The Speaker cannot change that order, if there is lack of quorum. Although the sitting is non-stop but things can happen, we can say, proceedings suspended and then you can wait wherever you are. So whenever it is adjourned or the proceedings finished it will have to be adjourned sine-die.

Let us now hear the Hon. Minister.

Resumption of discussion on the Annual financial statement of the haryana state electricity board for the year 1970-71

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री रामधारी गौड़): आदरणीय स्पीकर साहब, हमारे बिजली बोर्ड की तारीफ, तमाम प्रान्तों से आने वाले ही नहीं बल्कि तमाम देशों से जो यहां आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि जो गांव गांव में बिजली पहुंचाने का हमारे बिजली बोर्ड ने काम किया है और जिस तेजी से किया है, वह बहुत अच्छा है। उस बात की सब जगह सराहना होती है। ..... या क्या बात है कि इन्होंने कोई अच्छी बात नहीं कही और बिजली बोर्ड की कोई तारीफ नहीं की।

चौधरी जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, अगर कोई आनरेबल मैम्बर अपनी बात बताये और शायद वह मिनिस्टर महोदय की मर्जी के मुताबिक न हो तो क्या यह लैंगुएज इस्तेमाल की जा सकती है कि .....

Mr. Speaker: We shall examine it .....

श्री रामधारी गौड: स्पीकर साहब, जब लोगों से अपने बिजली बोर्ड की तारीफ सुनते हैं, तो हरेक हरियाणवी का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। आप देखिये, जब आप किसी प्रान्त से हरियाणा में दाखिल होते हैं तो जहां से आपको बिजली की रोशनी दिखाई देने लगती है आप झट अन्दाजा लगा लेते हैं कि हरियाणा आ गया है। यहां पर यह भी कहा गया कि पंजाब में

भटिण्डा का काम पहले खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में बिजली पहुंचाने का काम शुरू होने से 2–3 महीने पहले वहां पर काम शुरू नहीं किया गया था बल्कि वह तो सालों से हो रहा था। इन्होंने यह भी कहा कि फरीदाबाद में काम बड़ी सुस्ती से हुआ है। काम सुस्ती से नहीं हुआ। वहां पर कुछ मुश्किलात थी। जमींन हासिल करने में हमें रेलवे और रिहैब्लिटेशन डिपार्टमैंट्स के साथ कुछ सैटलमैन्टस करनी थी। एक उसमें यह भी बात थी कि पंजाब के गांव गांव मे बिजली पहुंचाने की कोई योजना नहीं थी। सब दिक्कतों के बावजूद भी हम बहुत तेजी से काम करते रहे हैं। हमारे एक आनरेबल मैम्बर कहते थे कि हमारा कलेम 37.5 मिला है। मैं बताना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो ब्यास लिंक का क्लेम मिलना था और वह मारा गया था हमें मिल जाये।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, वह क्लेम तब मारा गया था जबकि चौधरी रणबीर सिंह जी मिनिस्टर थे .....

श्री रामधारी गौड़ः स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि हमारा जो शेयर हमें मिलना था, और मारा गया था, वह हमें मिल जाये, हम यह कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा बिजली खपा सकें। ऐसे मालूम होता हैं कि चौधरी साहब ने अपने साथ में तो काम किया नहीं, और जब हम कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता .....

चौधरी जय सिंह राठीः इन्होंने तो आपके काम की तारीफ की है .....

श्री रामधारी गौड़ः ठीक हे, तारीफ तो करनी चाहिए क्योंकि जो काम हुआ है वह तारीफ के ही काबिल है .....

चौधरी जय सिंह राठीः .....

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, जय सिंह राठी ने जो शब्द कहा है यह एक्सपंज होना चाहिए क्योंकि यह अन–पार्लियामैंट्री है ..... (विघ्न)

श्री रामधारी गौड़ः स्पीकर साहब, यहां कहा गया है कि सरकार लोगों की मदद नहीं करती। अगर मदद न करती तो लोग इसे कैसे अच्छा कहते अगर इस सरकार की साख बढ़ी है तभी तो इसे बिजली पहुंचाने के लिए पैसा मिला है। अगर साख बढ़ी न होती तो आजकल के जमाने में कोई एक पाई भी देने को तैयार नहीं होता। यह जो सब कुछ काम हो रहा है, यह साख की वजह से ही तो हो रहा है। मैं यह मानता हूं कि अभी इसमें कमियां हैं। अभी तक तो यह कोशिश की गई है कि गांव गांव में बिजली पहुंचाई जाये लेकिन सरकार अब इसमें जो कोई कमियां रह गी हैं, उनको दूर करने में ताकत लगायेगी। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि बिजली में जो कमियां हैं, हम उसे बहुत ही जल्दी से दूर करेंगे। सारे भारतवर्ष में हरियाणा ही एक ऐसा प्रान्त है जिसने गांव गांव में बिजली पहुंचाने में पहल की है। पहले हमारे

प्रान्त में 20 हजार ट्यूबवैल थे। अब हमारे यहां 80 हजार से भी ज्यादा हो गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members ! I am grateful for the cooperation extended by you to me during this session.

8.30 P.M.

Now we adjourn Sine-die.

(The Sabha then adjourned Sine-die)